30वीं वार्षिक रिपोर्ट
30th ANNUAL REPORT
2018-19

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001:2015 Certifed Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092
14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092
फोन/Phone : 011-22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 011-22054395
ई-मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website : www.nsfdc.nic.in

विषय–सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	नोटिस	1
2	कंपनी–सूचना	2
3	अध्यक्षीय संदेश	3
4	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	10
5	तुलन–पत्र	87
6	आय और व्यय लेखा	88
7	नकद प्रवाह विवरण	92
8	सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	143
9	सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर	154
10	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	160
11	पंजीकृत कार्यालय एवं संपर्क केंद्र	162

CIN: U93000DL1989NPL034967

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation

(A Government of India Undertaking)

एनएसएफडीसी/सचि/30वीं वाआबै/270/1712 8 नवंबर, 2019

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 30वीं वार्षिक आम बैठक 11.11.2019 (सोमवार) को प्रातः 11:30 बजे सचिव (सान्याअ) कक्ष, 'ए' विंग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगीः

सामान्य कार्य :

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, प्रबंध समिति के उत्तर और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका पर विचार करना, अपनाना और निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साधारण संकल्प के रूप में पास करना :

"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उस पर प्रबंध समिति के उत्तर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका को प्राप्त किया, विचार किया और अपनाया।

कृते निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह०
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 8 नवंबर, 2019

टिप्पणी :

बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने के लिए एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है (परोक्षी फार्म संलग्न है)।

पंजीकृत एवं प्र. काः 14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092
Regd. & H.O.: 14th Floor, SCOPE Minar, Core - 1 & 2, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110092
दूरभाष/Tel.: 011-22054391, 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 011-22054395, 22054349
ई-मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website : www.nsfdc.nic.in

कंपनी सूचना

निदेशक मंडल (2018–19)

श्री के. नारायण
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(01.09.2019 से)

श्री श्याम कपूर
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(29.07.2016 से 30.08.2019 तक)

श्री बी.एल. मीणा
(दिनांक 04.06.2015 से 26.08.2019 तक)

श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी
(दिनांक 14.01.2016 से 18.07.2019 तक)

श्री गुलाब सिंह
(दिनांक 26.08.2014 से 30.08.2019 तक)

श्री एस.एम. आवले
(दिनांक 04.06.2015 से)

श्री कैजांग छोफेल लामा
(दिनांक 17.04.2017 से)

श्री लाचीराम भुक्या
(दिनांक 23.03.2018 से)

श्री भास्कर पंत
(दिनांक 23.03.2018 से)

श्री पीयूष श्रीवास्तव
(दिनांक 23.03.2018 से)

सुश्री विशाखा सैलानी (स्वतंत्र निदेशक)
(दिनांक 17.04.2017 से)

डॉ. के. रामलिंगम (स्वतंत्र निदेशक)
(दिनांक 20.03.2019 से)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स नरेश के. गुप्ता एंड कं., सनदी लेखाकार,
201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30,
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, **दिल्ली –110092**

बैंकर्स
सिंडिकेट बैंक, दिल्ली
केनरा बैंक, दिल्ली/ मुंबई/बेंगलूरू
भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली/कोलकाता
कॉर्पोरेशन बैंक, दिल्ली
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली
विजया बैंक, दिल्ली
इंडियन ओवरसीज बैंक, दिल्ली
इलाहाबाद बैंक, दिल्ली
आईडीबीआई, दिल्ली
बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली
बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
आंध्रा बैंक, दिल्ली
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दिल्ली
पंजाब एंड सिंध बैंक, दिल्ली
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
कोटक महिंद्रा बैंक, दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
लक्ष्मी नगर, **दिल्ली – 110092**

कंपनी सचिव
श्रीमती अन्नु भोगल

11 नवबंर, 2019 को एनएसएफडीसी की 30वीं वार्षिक आम बैठक पर अध्यक्षीय संदेश

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से मैं निगम की 30वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस विशिष्ट अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

आप सभी सदस्यों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा–परीक्षित वार्षिक लेखे को पहले ही परिचालित कर दिया गया है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा समझूंगा।

31 मार्च, 2019 को आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी ₹1500.00 करोड़ थी और प्रदत्त अंश पूंजी ₹1485.40 करोड़ थी।

- **मुख्य उपलब्धियां**

  <u>प्रस्तावों की स्वीकृति</u>

  वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को ₹782.26 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए।

  <u>निधियों का संवितरण</u>

  वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 81,431 लाभार्थियों को लाभांवित करने हेतु योजनाओं के कार्यान्वयनार्थ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को 68% के लक्ष्य (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में ₹671.21 करोड़ अर्थात् वर्ष 2018–19 के दौरान उपलब्ध कुल निधियों का 79.09% संवितरित किया।

  <u>कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

  वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुसूचित जातियों के 19,089 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए ₹27.89 करोड़ की लागत से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत और कार्यान्वित किए हैं और 30 (तीस) कौशल प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय कौशल परिषदों के साथ साझेदारी स्थापित करके ₹14.25 करोड़ [अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान, प्रशिक्षण (अनुदान) – अग्रिम एवं प्रशिक्षण व्यय – लाभार्थी सहित] संवितरित किए। प्रशिक्षण आरंभ करने वाले 19,089 प्रशिक्षणार्थियों में से, वर्ष 2017–18 के दौरान अपना प्रशिक्षण शुरू करने और इस वर्ष के दौरान प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले 6,226 प्रशिक्षणार्थियों सहित 16,229 प्रशिक्षणार्थियों ने अपने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए। इसके अलावा, प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले 13,668 प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार/वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

समझौता–ज्ञापन (एमओयू) (2018–19) लक्ष्य के समक्ष उपलब्धियां

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने औसत शुद्ध आय और अतिदेय ऋण/कुल ऋण (निवल) के प्रतिशत के रूप में कर पश्चात् लाभ (पैट) या अधिशेष को छोड़कर, समझौता–ज्ञापन के सभी लक्ष्यों को 'उत्कृष्ट' श्रेणी के अंतर्गत हासिल किया हैं। लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल भारित अंक 94.20 हैं, जो 'उत्कृष्ट' रेटिंग के अनुरूप हैं।

- **विशेष पहलें**

वर्ष 2018–19 के दौरान, आपके निगम ने अपनी गतिविधियों को और बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए विशेष पहलें की हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) राज्यों में संयुक्त (कंपोजिट) जागरूकता शिविर

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मंत्रालय और राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित 12 संयुक्त/जागरूकता शिविरों में भाग लिया। ये शिविर बिहार (गया), गुजरात (नर्मदा), हिमाचल प्रदेश (कुल्लू), पंजाब (फिरोजपुर), उत्तर प्रदेश (बलिया, रॉबर्ट्सगंज, बिजनौर, फतेहपुर) और मध्य प्रदेश (सतना, चित्रकूट) में आयोजित किए गए। ऐसे प्रत्येक शिविर में एनएसएफडीसी को अपनी योजनाओं को प्रचारित करने और आगंतुकों के बीच जन–जागरूकता उत्पन्न करने के लिए योजनाओं के पैम्फलेट बांटने के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए गए। कुछ शिविरों में सफल लाभार्थियों को एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने और व्यवसाय संबंधी क्रियाकलापों के बारे में अनुभवों को जनसमूह के बीच साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया।

(ii) महिला लाभार्थियों का कवरेज

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 52,331 महिला लाभार्थियों को ₹276.60 करोड़ की रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो कि वर्ष के कुल संवितरण का 41.21% है और वित्तीय एवं भौतिक दोनों संदर्भों में 40% के मानदंड के एवज में कुल कवरेज का 64.26% है।

(iii) राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यपालक विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) और चैनलाइजिंग एजेंसियों (सीए) के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यपालक विकास कार्यक्रम (ईडीपी) शुरू किया है, जिसमें प्रति कार्यक्रम ₹50,000/- का अधिकतम प्रावधान है। यह ईडीपी, एससीए और सीए के अधिकारियों को (i) एनएसएफडीसी की योजनाओं को समझने में, इसके कार्यान्वयन, निधि के उपयोग और अतिदेयों की वसूली में, (ii) एनएसएफडीसी की योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों और आने वाली बाधाओं को समझने में और (iii) एनएसएफडीसी की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाधाओं को दूर करने तथा अपनी पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

(iv) अनुसूचित जाति बुनकर क्लस्टर का विकास

वर्ष के दौरान, बेसलाइन सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् आपके निगम ने विकास आयुक्त (हथकरघा) वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत 9 क्लस्टर परियोजनाओं को असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों के संबंधित हथकरघा और वस्त्र निदेशालय को प्रस्तुत किया है। 09 प्रस्तावों में से असम के 04 प्रस्तावों को राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी), असम सरकार द्वारा संस्तुत किया गया और मंजूरी हेतु विचार के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा), उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया।

आपके निगम ने अपनी पहुंच (आउटरीच) का विस्तार करने के लिए अखिल भारत में विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के कार्यान्वयन के लिए वर्ष के दौरान एक और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) अर्थात् भारतीय बांस संसाधन और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईबीएआरटी) के साथ समझौता–करार (एमओए) पर हस्ताक्षर किया है।

(v) <u>अनुसूचित जाति शिल्पकार क्लस्टर का विकास</u>

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने ग्राम–पूंगल और उसके आसपास के क्षेत्रों, जिला–बीकानेर और गदरा रोड, जिला–बाड़मेर (राजस्थान) में चलाए जा रहे एएचवीवाई क्लस्टर के अंतर्गत दूसरी और अंतिम किस्त की प्रतिपूर्ति के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा जारी किए गए ₹49.77 लाख के एवज में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को ₹115.40 लाख राशि की उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अपनी पहुंच (आउटरीच) का विस्तार करने के लिए, आपके निगम ने विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय की अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के अखिल भारत में कार्यान्वयन के लिए वर्ष के दौरान दो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) अर्थात् मैसर्स वेल्यूर फैबटैक्स प्राइवेट लिमिटेड, डिब्रूगढ़ (असम) और मैसर्स भारतीय बांस संसाधन और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईबीएआरटी), नई दिल्ली के साथ समझौता–करार (एमओए) पर हस्ताक्षर किया है।

(vi) <u>लाभार्थियों के लिए की गई पहलें</u>

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और एनबीएफसी–एमएफआई के लिए ऋण नीतियों में संशोधन किया। ऋण नीतियों में निम्नलिखित संशोधन किए गए

(i) अनुसूचित जाति के पात्र लाभार्थियों को दूसरी बार ऋण उपलब्ध कराया जाता है, यदि उन्होंने एनएसएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत प्रथम बार ऋण लिया है बशर्ते कि (i) पूर्व ऋण की पूर्ण चुकौती और (ii) एससीए/सीए द्वारा पूर्व ऋण के द्वारा वास्तविक परिसंपत्तियों के सृजन और व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने का प्रमाणपत्र हो।

(ii) पीएसबी/आरआरबी पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत न्यूनतम पुनर्वित्त बकाया राशि को घटाकर ₹10,000/- तथा अधिकतम पुनर्वित्त बकाया राशि को बढ़ाकर ₹45.00 लाख कर दिया गया है।

(iii) मियादी ऋण (टीएल) योजना के अंतर्गत यूनिट लागत में ₹30.00 लाख से ₹50.00 लाख तक वृद्धि।

(iv) सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के लिए नई ऋण नीति शुरू की गई।

(v) सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली उद्यम निधि योजना की शुरूआत।

(vi) वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) के अंतर्गत 7 वर्ष तक की चुकौती अवधि सहित दो वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए ₹1.50 लाख से ₹4.50 लाख तक यूनिट लागत में वृद्धि।

(vii) <u>स्वच्छ भारत अभियान</u>

आपके निगम ने 'स्वच्छता' संबंधी विभिन्न गतिविधियां निष्पादित कीं और विभिन्न जगहों और स्थानों पर पर्यावरण की स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी। एनएसएफडीसी ने जेजे कलस्टर चित्रा विहार; सी–ब्लॉक, प्रीत विहार, दिल्ली के झुग्गी बस्ती क्षेत्र; बस्ती विकास केंद्र, त्रिलोकपुरी, दिल्ली, गांधी नगर, दिल्ली और ब्रह्मपुरी, दिल्ली में गैर–आवासीय विद्यालय में सफाई और अपशिष्ट संग्रह अभियान का आयोजन किया। एनएसएफडीसी ने प्रीत विहार झुग्गी बस्ती क्षेत्र, चित्रा विहार के जेजे क्लस्टर और त्रिलोकपुरी बस्ती में बेहतर स्वच्छता व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए घर–घर

जाकर जागरूकता अभियान चलाया। एनएसएफडीसी ने सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र, गांधी नगर, दिल्ली के शौचालयों और क्लास रूम का नवीनीकरण शुरू किया। निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में भूमि के ऊपर दो टैंक लगाए गए।

इसके अतिरिक्त, एनएसएफडीसी द्वारा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गाम– गट्टी राजो के, फिरोजपुर के साथ आकांक्षी जिला फिरोजपुर में स्वच्छ भारत पखवाड़ा मनाया गया और स्वच्छता के विषय पर स्कूल के बच्चों के बीच चित्रकला, पेंटिग, कविता, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गट्टी राजो के, फिरोजपुर, पंजाब के सीमाई क्षेत्र में रहने वाले लोग पिछले कई वर्षों से संदूषित और प्रदूषित जल का उपयोग कर रहे थे जोकि चर्म रोग सहित अन्य कई बीमारियों का मूल कारण था। आपके निगम ने इन गांवों में रहने वाले लोगों के लिए गहरे स्तर तक खुदा हुआ बोरबेल और आर.ओ. यंत्र स्थापित करने हेतु परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।

इसके साथ ही, आपके निगम ने आकांक्षी जिले फिरोजपुर (पंजाब), फतेहपुर (उ.प्र.), गया (बिहार), नर्मदा (गुजरात) और अन्य जगहों जैसे– बिजनौर (उ.प्र.), उज्जैन (म.प्र.), त्रिलोकपुरी (दिल्ली) और गांधीनगर (दिल्ली) में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसीनेटर की भी स्थापना की।

(viii) <u>अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन</u>

आयुष मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, एनएसएफडीसी ने 21 जून, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर, निगम के सभी कार्मिकों के लिए 'योग–सत्र' का आयोजन किया गया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय ने आपके निगम के कार्मिकों के योग प्रशिक्षण हेतु एक योग निर्देशिका को भेजा था। एनएसएफडीसी के सभी कार्मिकों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी की। आपके निगम ने एनएसएफडीसी कार्यालय परिसर में निगम के सभी कार्मिकों के लिए प्रतिदिन सायंकाल में नियमित रूप से योग–सत्र का आरंभ भी किया है।

(ix) <u>एमएसई के लिए सार्वजनिक प्रापण (Procurement) नीति</u>

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण (Procurement) नीति में संशोधन अनुसार सभी केंद्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादों और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्रापण के 5% के उप–लक्ष्य सहित 25% तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों से की जाएगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25% के लक्ष्य के अंदर महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से खरीद के लिए 3% का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जाएगा। आपके निगम ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति के अनुपालन में, वर्ष 2018–19 के दौरान अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

(x) <u>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का सुदृढ़ीकरण</u>

आपका निगम विभिन्न रिपोर्टों के सृजन के लिए आंतरिक रूप से तैयार किए गए मॉड्यूल में परियोजना संबंधी आंकड़ों के लिए डाटाबेस अनुरक्षित कर रहा है। विभिन्न वायरसों, स्पाईवेयर, एडवेयर और अन्य दोषपूर्ण प्रोग्रामों के प्रति आंकड़ों, हार्डवेयर और नेटवर्किंग के व्यापक संरक्षण के लिए आपके निगम ने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर संस्थापित किया है, जिसे आवधिक रूप से अपडेट किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु रिपोर्ट वर्ष के दौरान, पीसी, लैपटॉप, सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों का प्रापण किया गया।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देश पर, राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा एनएसएफडीसी के साथ मिलकर सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली (एसबीएमएस) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसे माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी, 2019 को लोकार्पण (लॉच) किया गया था।

सॉफ्टवेयर का उपयोग लक्षित लाभार्थियों द्वारा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋणों को ऑनलाइन प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

- आपके निगम ने एक नई गतिशील, दिव्यांग अनुकूल, द्विभाषी वेबसाइट प्रारंभ की है जो भारत सरकार के वेबसाइट दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुपालन में एक वेब आधारित कौशल प्रशिक्षण अनुप्रयोग है जिसे पूर्व वेबसाइट की जगह एनआईसी क्लाउड सर्वर में होस्ट किया जा रहा है।

- रोजगार योग्य कुशल व्यक्तियों के लिए एक 'जॉब पोर्टल' विकसित और शुरू किया गया है। यह पोर्टल उन उम्मीदवारों का विवरण रखता है जिन्हें एनएसएफडीसी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। इसका उपयोग विभिन्न संगठनों द्वारा आवश्यक कौशल समूह सहित कुशल उम्मीदवारों की खोज के लिए किया जा सकता है।

- ई–कार्यालय का कार्यान्वयन, एनएसएफडीसी मुख्यालय में कार्यान्वित कर दिया गया है।

- नया वेब–आधारित एनएसएफडीसी का ऋण लेखांकन सॉफ्टवेयर विकसित कर दिया गया है और वर्तमान में समानांतर चल रहा है।

- एनएसएफडीसी के अधिकारियों के लिए नया वेब–आधारित वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर/एसीआर) को विकसित और क्रियान्वित किया गया है।

(xi) कार्पोरेट गर्वनेंस (निगमित शासन)

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 एवं लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित निगमित शासन के उच्च मानकों को बनाए रखने और निगमित शासन के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है।

(xii) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास (सीएसआर और एसडी) नीति बनाई और बोर्ड को संस्तुति के लिए प्रस्तुत की गई है। कंपनी के कार्यकलापों को दर्शाने वाली कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, ₹93.72 लाख (जो कि पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निवल लाभ का 2% है) के बजटीय आवंटन में से, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹41.74 लाख खर्च किए।

(xiii) संसाधन संपर्क कार्यक्रम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में कुछ प्रकटीकरण अपेक्षित हैं। आपका निगम अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों को पूरा करता है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आने वाली निगमित कंपनियां, जो दिनांक 27.02.2014 की अधिसूचना के अनुसार जारी नई कंपनी नियमावली (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति), 2014 में भी उल्लेखित हैं कि वे कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी।

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत लाभ कमाने वाले तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों क्रमशः भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमआईसीएल) और ब्रिज एडं रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड से स्वीकृति मिली है। इसके अलावा, आपके निगम ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में लागत साझा करने के लिए

कॉर्पोरेट फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। कॉर्पोरेट फाउंडेशन के अंतर्गत टाटा स्ट्राइव, टेक महिंद्रा फाउंडेशन, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, डालमिया भारत फाउंडेशन और हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट है। इसके अलावा, पूर्व स्वीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधियों के एवज में, वर्ष के दौरान संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को ₹121.10 लाख की राशि निर्मुक्त की गई।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उपरोक्त परियोजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं।

- **आगे का मार्ग**

आपका निगम, आर्थिक वृद्धि को तीव्रता प्रदान करने के लिए और आय बढ़ाने के लिए लक्ष्य समूह के सहायतार्थ नवीन दृष्टिकोणों को अपनाएगा। सहायता का केंद्र बिंदु आर्थिक कार्यों, व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करने वाले कौशल विकास में बना रहेगा। भौगोलिक दृष्टि से लक्ष्य समूह की बहुलता वाले क्षेत्रों पर विशेषतः देश के पिछड़े जिलों को प्रधानता होगी। आपका निगम, अनुसूचित जाति के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बहु–उद्देशीय कार्यनीति अपनाने के लिए विद्यमान सहयोगी संबंधों को बनाए रखते हुए, चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों को नया भागीदार बनाएगा।

- **आभारोक्ति**

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मैं आपकी सतत सहायता और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पर्याप्त सहायता और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं, विभिन्न राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, चैनलाइजिंग एजेंसियों जिसमें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–माइक्रो फाइनेंस संस्थान आदि शामिल हैं, से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं, प्रशिक्षण संस्थानों को, जिनके कारण लक्ष्य समूह के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, उनके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं, अपने निगम के सभी कर्मचारियों के निष्ठापूर्वक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूं जिसकी वजह से हम उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके। मैं इस यात्रा में सभी स्टेक होल्डरों के सतत सहयोग की आशा करता हूं।

ह०
(के. नारायण)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 11 नवंबर, 2019

संक्षिप्त शब्द (ऐक्रोनिम)

संक्षिप्त शब्द	पूर्ण शब्द
अजजा	अनुसूचित जन जाति
अजा	अनुसूचित जाति
अपवि	अन्य पिछड़ा वर्ग
अप्रा (एए)	अपीलीय प्राधिकारी
आईआईटीएफ	भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला
आईएसएसडीआरआई	वसूली संरचना के विकास के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन योजना
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आरआरबी	क्षत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	जनसूचना का अधिकार
ओटीसी	काउंटर पर
ईओआईओआई	व्यय से अधिक आय
एचएमवी	भारी मोटर वाहन
एनएपीई	उत्कृष्ट निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
एनआईसी	नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर
एनआईसीएसआई	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवाएं अधिनिगमित
एनएसएफडीसी	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
एनजीओ	गैर–सरकारी संस्था
एनबीएफसी	गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्था
एमओएसजेएंडई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
एमएसई	सूक्ष्म लघु उद्योग
एमओयू	समझौता–ज्ञापन
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमसीडी	दिल्ली नगर निगम
एलएमवी	हलके मोटर वाहन
एलडीडीपी	चूक भुगतान पर नकद हानि
एससीए	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी
एससीएसपी	अनुसूचित जाति उप–योजना
डीपीई	लोक उद्यम विभाग
डीपीएल	गरीबी रेखा के दोगुने से नीचे
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
सीए	चैनलाइजिंग एजेंसी
सीएपीआईओ	केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी
सीपीआईओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
सीएसआर	निगमित सामाजिक दायित्व
सीवीसी	मुख्य सतर्कता आयोग
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
टीए/डीए	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता
टीओ	पारदर्शिता अधिकारी

निदेशक मंडल की रिपोर्ट (2018–19)

आपके निगम की 30वीं वार्षिक आम बैठक में, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वार्षिक आम बैठकें, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों की अभ्युक्तियों के साथ आपके निगम की प्रगति पर चर्चा करने के लिए अवसर हैं।

1. निगम की रूपरेखा

आपका निगम, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में भारत सरकार द्वारा 08 फरवरी, 1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 8) के अंतर्गत 'लाभ–निरपेक्ष कंपनी' के रूप में स्थापित किया गया था। इसने 09.04.2001 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। निगम का 10.04.2001 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के कारण द्विभाजन हुआ। इस द्विभाजन के परिणामस्वरूप, आपका निगम अब पूर्णतः अनुसूचित जाति के लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

1.1 दृष्टि

पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के माध्यम से व्यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ प्रभावी, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

1.2 लक्ष्य

वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार और कौशल विकास एवं अन्य नवीन पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की समृद्धि को बढ़ावा देना।

1.3 उद्देश्य

आपके निगम के संस्था के ज्ञापन–पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) में, प्राप्त किए जाने वाले निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों की सूची दी गई है:

(i) अनुसूचित जाति की आबादी के लिए ट्रेडों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की पहचान करना।

(ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना।

(iii) छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।

(iv) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना।

(v) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिए उनके वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करना।

(vi) लक्ष्य समूह को अपनी परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के लिए सहयोग प्रदान करना।

(vii) भारत और विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को ऋण प्रदान करना।

(viii) पात्र युवाओं को भारत में वोकेशनल (व्यावसायिक) शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के बाद कौशल और नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए ऋण प्रदान करना।

उक्त उद्देश्य के अनुसरण में आपका निगम राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल भागीदारों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देने और विभिन्न ऋणेत्तर योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रहा है।

1.4 प्राधिकृत और प्रदत्त अंश पूँजी

वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी ₹1500.00 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के आरंभ में प्रदत्त अंश पूंजी ₹1348.01 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने एनएसएफडीसी को ₹137.39 करोड़ की इक्विटी सहायता जारी की। वित्तीय वर्ष के अंत में संचयी प्रदत्त पूंजी ₹1485.40 करोड़ थी।

1.5 संगठन की संरचना

आपके निगम के कार्यालयाध्यक्ष अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हें मुख्य महाप्रबंधक, 2 महाप्रबंधक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों की टीम द्वारा सहायता मिलती है। आपके निगम में 79 कर्मचारी हैं। परियोजना, वित्त, मानव संसाधन और प्रशासन विभाग के अलावा, निगमित सेवाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा, समन्वय, सतर्कता, विधि, एमआईएस, कौशल प्रशिक्षण, रिकार्ड प्रबंधन और राजभाषा कक्ष हैं। राज्यों में एनएसएफडीसी की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने की दृष्टि से विशिष्ट राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता में परियोजना डेस्क भी हैं। उपर्युक्त के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, अन्य संस्थाओं और अंतिम वित्त प्रदाताओं अर्थात् गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सूक्ष्म वित्तपोषण संस्थाओं (एनबीएफसी–एमएफआई) के माध्यम से पूरे भारत में एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से एक बैंकिंग प्रभाग है, जिसके प्रमुख महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक हैं। परियोजना विभाग और बैंकिंग प्रभाग के इन दो डेस्कों के अलावा एक प्रशिक्षण कक्ष है, जिसे अनन्य रूप से लक्ष्य समूह के कौशल विकास से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं।

संगठन का चार्ट **अनुलग्नक-I** पर दर्शाया गया है।

1.6 संपर्क केंद्र

आपके निगम के तीन संपर्क केंद्र हैं, जो संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल पार्टनरों से संपर्क रखते हैं और संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करते हैं। संपर्क केंद्रों के स्थल और उनके क्षेत्राधिकार नीचे दिए जा रहे हैं:

क्रम सं.	संपर्क केंद्र	क्षेत्राधिकार
i.	बैंगलूरू	तमिलनाडु, तेलंगाना केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुद्दुचेरी
ii.	मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली
iii.	कोलकाता	ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों और दिल्ली व चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्रों को सीधे प्रधान कार्यालय द्वारा देखा जा रहा है।

1.7 चैनल वित्त प्रणाली

(i) आपका निगम संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नामित पूरे देश के 37 राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से लक्ष्य समूह को विभिन्न ऋण और ऋणेत्तर सुविधाएं देता है, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन द्वारा नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपके निगम ने योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी–एमएफआई) और अन्य संस्थाओं को वैकल्पिक चैनल के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान में 31.03.2019 को आपके निगम के पास 59 वैकल्पिक चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं।

(ii) राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची **अनुलग्नक–II (क) और II (ख)** पर दी गई है।

(iii) स्थानीय जरूरतों, पात्र आवेदकों की पहचान और लाभार्थियों के चयन, ऋणी के साथ प्रलेखन, योजनाओं का कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों से ऋण की वसूली पर आधारित परियोजना प्रस्तावों की तैयारी एवं प्रायोजन, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में है।

1.8 निधियों का नोशनल आबंटन

आपका निगम, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियाँ नोशनल रूप से आबंटित करता है।

1.9 निधियों के संवितरण के लिए मानक (नॉर्म्स)

1.9.1 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के मानक

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियों की निर्मुक्ति करने से पहले, निम्नलिखित मानकों पर विचार किया जाता है:

❖ **गारंटी:**

राज्य सरकार की गारंटी/बैंक गारंटी/राज्य सरकार के आदेशों/राज्य सरकार के आश्वासनों की पर्याप्त उपलब्धता।

❖ **उपयोगिता स्तर:**

फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

❖ **देयों की चुकौती:**

एक वर्ष से अधिक कोई अतिदेय राशि नहीं होनी चाहिए।

उक्त मानदंडों का ऋण योजनाओं में संवितरण के मामले में पालन किया जाता है। जहां तक 01.12.2009 से आरंभ शिक्षा ऋण योजना का संबंध है, राज्य सरकार गारंटी की उपलब्धता और एक वर्ष से अधिक पुराना अतिदेय का न होना, शिक्षा ऋण की मंजूरी के समय को सुनिश्चित किया जाता है।

1.9.2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, पीएसबी और आरआरबी (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- ❖ संवितरण के समय एनएसएफडीसी को भुगतान योग्य कोई अतिदेय राशियाँ नहीं होनी चाहिए।
- ❖ परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

- ❖ गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 10% से कम होनी चाहिए अथवा पिछले 05 वित्तीय वर्षों के लिए औसत निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 10% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, निवल एनपीए, इन 05 वर्षों में से पिछले 03 वर्षों के लिए हर वर्ष 10% से कम होनी चाहिए।
- ❖ पिछले वित्तीय वर्ष में लाभ होना चाहिए या पिछले 05 वर्षों में से कम से कम किन्हीं 03 वर्षों में लाभ होना चाहिए।
- ❖ किसी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

1.9.3 अन्य संगठनों के लिए मानक

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) द्वारा जारी एनएसएफडीसी के पक्ष में एनएसएफडीसी के लिए सावधि जमा / बैंक गारंटी / उत्तर दिनांकित बहु–शहरीय (मल्टीसिटी पोस्ट डेटेड) चेक।

1.9.4 एनबीएफसी–एमएफआई के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार एनबीएफसी–एमएफआई (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- ❖ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक के लिए एनएसएफडीसी निधियों का उपयोग लंबित नहीं होना चाहिए।
- ❖ परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।
- ❖ संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अतिदेय राशि भुगतानयोग्य नहीं होनी चाहिए।
- ❖ एनबीएफसी–एमएफआई को संवितरण प्रतिभूति की शर्त के अधीन होगा–
  - क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) से गारंटी संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य या उत्तर दिनांकित चेकों (पीडीसी) के रूप में 50% और पीएसबी से 50% सावधि जमा के रूप में हो। संवितरित की जाने वाली धनराशि के 50% के समतुल्य एक अदिनांकित पीडीसी हो।

- गैर–क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य गारंटी/सावधि जमा या 50% तक संबंधित संपत्ति मालिक (मालिकों) की व्यक्तिगत/कॉरपोरेट गारंटी के साथ–साथ आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के बंधक के रूप में और बाकी पीसीबी से गारंटी/सावधि जमा के रूप में होनी चाहिए।

1.9.5 सहकारी बैंकों के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार सहकारी बैकों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- ❖ संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य कोई अतिदेय नहीं होना चाहिए।
- ❖ परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, सहकारी बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

- ❖ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

अथवा

पिछले 05 वित्तीय वर्षों का औसत निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होना चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का निवल एनपीए इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होना चाहिए।

- ❖ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले तीन वर्षों में लगातर लाभ होने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

अथवा

चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तीय वर्षों में लाभ में होना चाहिए।

- ❖ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- ❖ सहकारी बैंक के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट।

1.9.6 सहकारी समितियों के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार सहकारी समितियों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- ❖ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक के लिए एनएसएफडीसी निधियों का उपयोग लंबित नहीं होना चाहिए।
- ❖ परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपरोक्त के अलावा, सहकारी समितियों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगाः

- ❖ सहकारी समिति की शेयर पूंजी में केंद्र / राज्य सरकार को हित धारक होना चाहिए।
- ❖ केंद्र / राज्य सरकार को सहकारी समिति के निदेशक मंडल / शासकीय निकाय में सदस्यों को नामित करना चाहिए।
- ❖ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

  अथवा

  पिछले 05 वित्तीय वर्षों का औसत निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होना चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेसियाँ) का निवल गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों (एनपीए) इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होना चाहिए।
- ❖ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले तीन वर्षों में लगातर लाभ होने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

  अथवा

  चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तीय वर्षों में लाभ में होना चाहिए।
- ❖ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियां) की क्रिसिल के 'ए' के समकक्ष पर्याप्त सुरक्षा के साख की रेटिंग होनी चाहिए।
- ❖ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- ❖ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले तीन वर्षों में किसी बाह्य ऋण के पुनर्भुगतान का चूककर्ता या किसी कॉर्पोरेट ऋण को पुनर्गठन नहीं करना चाहिए।
- ❖ सहकारी समिति के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट होनी चाहिए।

1.10 आवेदकों का पात्रता मानदंड

एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत शामिल होने के लिए आवेदकों के पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

(i) आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय का होना चाहिए।

(ii) ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3.00 लाख (दिनांक 08.03.2018 से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए) तक होनी चाहिए।

वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लागू नहीं होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत राशि को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

1.11 महिला लाभार्थियों के समावेशन के लिए मानदंड

आपका निगम अपनी योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला लाभार्थियों को शामिल करने को महत्व देता है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकारी

एनएसएफडीसी की लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत तैयार वस्त्र की दुकान खोलने के लिए श्रीमती पूर्णिमा नारंग, भट्ट गाँव, जिला मन्ना, जिला–रायपुर को ऋण दिया गया।

कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिमुखीकरण और समन्वय पर टास्क फोर्स की अनुशंसा के परिणामस्वरूप, आपके निगम में वित्तीय और प्रत्यक्ष दोनों रूप से 40% महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए मानदंड हैं।

1.12 आपके निगम की योजनाएं

आपके निगम के पास लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजनाएं हैं। लाभार्थियों को कृषि और समवर्गी, लघु उद्योगों और परिवहन सेक्टरों सहित सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आपका निगम उच्च शिक्षा लेने और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए भी ऋण प्रदान करता है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए निगम द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के विवरण निम्नलिखित हैं:

1.12.1 ऋण आधारित योजनाएं

आपके निगम ने पिछले कुछ वर्षों में अपने लक्ष्य समूह के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए, मियादी ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण, लघु ऋण वित्त, महिला समृद्धि योजना, महिला किसान योजना, शिल्पी समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय योजना, शिक्षा ऋण योजना, वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना, हरित व्यवसाय योजना, स्टैंड–अप इंडिया योजन, आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना और उद्यम निधि योजना सहित विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही ऋण राशि की प्रमात्रा के आधार पर 1% से 8% तक वार्षिक की रेंज में रियायती ब्याज–दर पर ऋण दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उक्त ब्याज दरों में 2-3% (आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना और उद्यम निधि योजना के मामले में 8% को छोड़कर) जोड़ने की और लाभार्थियों से ब्याज प्रभारित करने की अनुमति दी जाती है।

1.12.1(क) यूनिट लागत, एनएसएफडीसी का अंश और ब्याज दर

क्रम सं.	योजना	यूनिट लागत	निम्नलिखित पर प्रभारित वार्षिक ब्याज दर	
			चैनलाइजिंग एजेंसी	लाभार्थीगण
(i)	मियादी ऋण	₹50.00 लाख तक, तथापि एनएसएफडीसी अंश/इकाई के आधार पर निम्नानुसार ब्याज प्रभारित किया जाता है।		
क	मियादी ऋण	₹5.00 लाख तक	3%	6%
ख	मियादी ऋण	₹5.00 लाख से अधिक व ₹10.00 लाख तक	5%	8%
ग	मियादी ऋण	₹10.00 लाख से अधिक और ₹20.00 लाख तक	6%	9%
घ	मियादी ऋण	₹20.00 लाख से अधिक और ₹45.00 लाख तक	7%	10%
(ii)	कार्यशील पूंजी ऋण	₹5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए संपूर्ण कार्यशील पूंजी और ₹5.00 लाख से अधिक और ₹30.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए कुल कार्यशील पूंजी का 70% अथवा ₹7.00 लाख/इकाई, जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाता है।	8%	10%
(iii)	लघु ऋण वित्त	₹0.60 लाख तक	2%	5%

क्रम सं.	योजना	यूनिट लागत	निम्नलिखित पर प्रभारित वार्षिक ब्याज दर	
			चैनलाइजिंग एजेंसी	लाभार्थीगण
(iv)	महिला समृद्धि योजना	₹0.60 लाख तक	1%	4%
(v)	महिला किसान योजना	₹2.00 लाख तक	2%	5%
(vi)	शिल्पी समृद्धि योजना	₹2.00 लाख तक	2%	5%
(vii)	लघु व्यवसाय योजना	₹5.00 लाख तक	3%	6%
(viii)	शिक्षा ऋण योजना	एनएसएफडीसी का अंश संपूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क का 90% तक अथवा ₹10.00 लाख तक (भारत में) और ₹20.00 लाख तक (विदेश में), जो भी कम हो।	1.5% (पुरूष) 1% (महिला)	4% (पुरूष) 3.5% (महिला)
(ix)	वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	दो वर्ष की अवधि तक के पाठ्यक्रम के लिए ₹4.00 लाख तक	1.5% (पुरूष) 1% (महिला)	4% (पुरूष) 3.5% (महिला)
(x)	हरित व्यवसाय योजना	₹7.50 लाख तक ₹7.50 लाख से अधिक और ₹15.00 लाख तक ₹15.00 लाख से अधिक और ₹30.00 लाख तक	2% 3% 4%	4% 6% 7%
(xi)	स्टैंड–अप इंडिया योजना	₹10.00 लाख से अधिक और ₹20.00 लाख तक ₹20.00 लाख से अधिक और ₹30.00 लाख तक	6% 7%	9% 10%
(xii)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	₹0.60 लाख तक	5% (पुरूष*) 4% (महिला*)	13% (पुरूष*) 12% (महिला*)
(xiii)	उद्यम निधि योजना#	₹5.00 लाख तक	4%	12%

*आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना, केवल गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी–एमएफआई) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य समूह, वार्षिक आधार पर देय राशियों की समय से पूर्ण अदायगी पर एनएसएफडीसी से ब्याज में 2% वार्षिक की दर से छूट पाने के पात्र होंगे, जिसे एनबीएफसी–एमएफआई से तुरंत अदायगी के बारे में सूचना प्राप्त करने के पश्चात, एनएसएफडीसी द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाएगा।

#उद्यम निधि योजना, सहकारी समितियों/बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

1.12.1(ख) वित्त के साधन

आपके निगम की ऋण नीति के अनुसार, निगम (एनएसएफडीसी) इकाई लागत का 90% तक ऋण उपलब्ध कराता है और शेष राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी एवं/अथवा प्रवर्तक (प्रमोटर) 10% उपलब्ध कराते हैं, केवल वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना, को छोड़कर, जहां ऋण के रूप में परियोजना लागत का शत–प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है।

1.12.1(ग) प्रवर्तक का अंशदान

परियोजना में प्रवर्तक की हिस्सेदारी और योगदान के लिए प्रति इकाई रु 1.00 लाख से अधिक लागत की मियादी ऋण परियोजनाओं के अंतर्गत प्रवर्तक (प्रमोटर) के अंशदान पर नीचे दिए विवरण के अनुसार बल दिया जाता है:

क्र. सं.	परियोजना/प्रति इकाई लागत	परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में प्रवर्तक का कम से कम अंशदान
(i)	₹ 1.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	इस पर बल नहीं दिया जाता है।
(ii)	₹ 1.00 लाख से अधिक तथा ₹ 2.50 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	2%
(iii)	₹ 2.50 लाख से अधिक तथा ₹ 5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	3%
(iv)	₹ 5.00 लाख से अधिक तथा ₹ 10.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	5%
(v)	₹ 10.00 लाख से अधिक तथा ₹ 20.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	7%
(vi)	₹ 20.00 लाख से अधिक तथा ₹ 50.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	10%

1.12.1(घ) लाभार्थियों को आर्थिक सहायता (सब्सिडी)

शिक्षा ऋण योजना तथा वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना को छोड़कर, सभी योजनाओं में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को जारी की गई अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से ₹ 10,000/- की दर से अथवा इकाई लागत का 50%, जो भी कम हो, की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) गरीबी रेखा से कम आय वाले लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित लाभार्थी (12वीं कक्षा के बाद) मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी के भी पात्र हैं, जोकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए केंद्रीय ब्याज सब्सिडी की योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

1.12.1(ङ) विलंबन काल (मोरेटोरियम)

लाभार्थियों को ऋण संवितरण के बाद मूलधन की अदायगी के लिए विलंबन काल (अदायगी अवधि अवकाश) दिया जाता है ताकि लाभार्थी अपने व्यवसाय क्रियाकलापों में मजबूती से खड़े हो सकें। तथापि, ब्याज राशि के भुगतान के लिए विलंबन काल नहीं दिया जाता है। विभिन्न योजनाओं में विलंबन काल अवधि नीचे दी जा रही है:

योजना	विलंबन काल
➢ मियादी ऋण योजना	व्यापार कार्य की प्रकृति के आधार पर 6 माह से 12 माह
➢ लघु ऋण वित्त	3 माह
➢ महिला समृद्धि योजना	3 माह
➢ महिला किसान योजना	12 माह

योजना	विलंबन काल
➢ शिल्पी समृद्धि योजना	6 माह
➢ लघु व्यवसाय योजना	6 माह
➢ शिक्षा ऋण योजना	पाठ्यक्रम पूरा होने के छह माह बाद अथवा रोजगार पाने पर, जो भी पहले हो।
➢ वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण योजना	पाठ्यक्रम पूरा होने के छह माह बाद अथवा रोजगार पाने पर, जो भी पहले हो।
➢ हरित व्यवसाय योजना	6 माह
➢ आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	3 माह
➢ स्टैंड–अप इंडिया योजना	भारत सरकार की स्टैंड–अप इंडिया योजना के नॉर्म के अनुसार
➢ उद्यम निधि योजना	3 माह

1.12.1(च) ऋण अदायगी अवधि

ऋण अदायगी अवधि मोटे तौर पर नकदी प्रवाह अर्जन के मूल्यांकन, परियोजना परिसंपत्ति की आयु एवं परियोजना की गेस्टेशन (परिपक्वता) अवधि के आधार पर निश्चित की जाती है। विभिन्न योजनाओं और क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण अदायगी अवधियां नीचे दी जा रही हैं:

योजनाएं	अदायगी की अवधि
मियादी ऋण योजना भूमि आधारित कार्य (कृषि भूमि पर खेती, बागवानी व सिंचाई इत्यादि)	10 वर्ष तक
परिवहन कार्य (ऑटोरिक्शा, जीप, मालवाहक इत्यादि)	5 वर्ष तक
लघु उद्योग	5 वर्ष तक
सर्विस क्षेत्र गतिविधियां	5 वर्ष तक
कार्यशील पूंजी ऋण	2 वर्ष तक
महिला किसान योजना	10 वर्ष तक
शिल्पी समृद्धि योजना	5 वर्ष तक
लघु व्यवसाय योजना	6 वर्ष तक
वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	दो वर्ष तक की अवधि वाले पाठ्यक्रमों के लिए 7 वर्ष
शिक्षा ऋण योजना	10 वर्ष तक (₹ 7.50 लाख तक के ऋण हेतु) और 15 वर्ष तक (₹ 7.50 लाख से अधिक ऋण हेतु)
लघु ऋण वित्त	3½ वर्ष तक

योजनाएं	अदायगी की अवधि
महिला समृद्धि योजना	3½ वर्ष तक
हरित व्यवसाय योजना	10 वर्ष तक
आजीविका माइक्रो फाइनेंस वित्त योजना	3½ वर्ष तक
स्टैंड–अप इंडिया योजना	भारत सरकार की स्टैंड–अप इंडिया योजना के नॉर्म के अनुसार
उद्यम निधि योजना	6 वर्ष तक

1.12.1(छ) <u>दूसरी बार ऋण सुविधा</u>

लाभार्थी, यदि उन्होंने एनएसएफडीसी की किसी भी योजना के अंतर्गत पहली बार ऋण लिया है, तो निर्धारित अवधि में पूरी ऋण राशि की अदायगी करने के पश्चात, आपके निगम की किसी भी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं:

(क) पहले लिए गए ऋण की समय पर पूरी अदायगी हो और (ख) वास्तव में सृजित परिसंपत्ति तथा व्यापार के सफलतापूर्वक चलने की फील्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की हो।

1.12.1(ज) <u>वित्तपोषित परियोजनाओं की क्षेत्र–वार निदर्शी सूची</u>

विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत निधित परियोजनाओं को चार मुख्य क्षेत्रों, नामतः कृषि और समवर्गी, उद्योग, सेवा एवं परिवहन तथा शिक्षा ऋण योजना में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं की निदर्शी सूची नीचे दी जा रही है:

कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र	
➢ कृषि भूमि खरीद	➢ ट्रैक्टर ट्रॉली
➢ पॉली हाऊस	➢ ट्रॉली के साथ पॉवर टिल्लर
उद्योग क्षेत्र	
➢ आटा चक्की और मिर्च पिसाई चक्की	➢ फ्लाई ऐश ईंट निर्माण
सेवा एवं परिवहन क्षेत्र	
➢ लघु उद्यम	➢ टेंट हाऊस
➢ किराना और शीतल पेय	➢ सेटरिंग मैटीरियल
➢ मिनी होटल	➢ दवाई की दुकान
➢ मिनी सुपर बाजार	➢ चमड़े की चप्पल उत्पादन इकाई
➢ कंक्रीट मिश्रण	➢ लेजर और स्क्रीन के साथ डीटीपी
➢ इंटरनेट के साथ जीरॉक्स मशीन	➢ वकील कार्यालय
➢ मशरूम प्रसंस्करण	➢ फास्ट फूड
➢ हरित व्यवसाय (ई–रिक्शा)	➢ गेस्ट हाऊस सह–लॉज
➢ पिकअप वैन	➢ ऑटो टैक्सी
➢ सामान वाहक ऑटो ट्रॉली	➢ जीप टैक्सी
➢ टैक्सी कार	➢ लघु व्यवसाय
➢ सामान वाहक ऑटो	➢ सवारी ऑटो

शिक्षा ऋण योजना	
➢ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल इंजीयिरिंग, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, बी.ई., बी.टेक, एम टेक इत्यादि)	➢ नर्सिंग (बी.एससी.)
➢ परिवहन डिजाइन में पी.जी. डिप्लोमा	➢ सूचना प्रौद्योगिकी (बीसीए/एमसीए)
➢ वास्तुकला (बी.आर्क)	➢ प्रबंधन (बीबीए/एमबीए)
➢ चिकित्सा (बीएएमएस/बीएचएमएस/एमबीबीएस/एमडी)	➢ विधि (एलएलबी/एलएलएम)
➢ फार्मेसी (बी.फार्मा/एम.फार्मा)	➢ डेंटल (बीडीएस)
➢ हॉस्पिटलिटी और होटल प्रबंधन संस्थान (बी.एससी.)	➢ शिक्षा (पीटीसी/बी.एड.)

1.12.2 गैर–ऋण आधारित योजनाएं

1.12.2(क) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

- आपका निगम अपैरल, इलेक्ट्रानिक्स, फर्नीचर व फिटिंग्स, चमड़ा, रसायनों और पेट्रोरसायनों, वस्त्र, रबड़, पूंजीगत वस्तु, संचालन और क्रियान्वयन (लौजिस्टिक्स), खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कारपेट, यंत्रीकरण तथा स्वचालन इत्यादि नियोजनयोग्य क्षेत्रों में लक्ष्य समूह के व्यक्तियों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम प्रायोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तकनीकी कौशल के अलावा, सॉफ्ट कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
- ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित सरकारी/अर्ध–सरकारी/स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों/क्षेत्रीय कौशल परिषद्/क्षेत्रीय कौशल परिषद् से संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं तथा प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति माह ₹1,500/– की दर से वृत्तिका दी जाती है।
- प्रशिक्षणार्थियों को, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनल भागीदारों के जरिए आपके निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता के साथ नियोजन सहायता और/अथवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमीय मार्गदर्शन भी दिए जाते हैं।

असम स्किल डेवलपमेंट मिशन, नागांव के अंतर्गत टू शॉफ्ट हैंडलूम वीवर में प्रशिक्षण प्राप्त करते एनएसएफडीसी प्रयोजित प्रशिक्षणार्थी

1.12.2(ख) लाभार्थियों को विपणन सहायता

आपका निगम लाभार्थियों को अपने उत्पादों को चुनिंदा प्रदर्शनियों एवं मेलों में बिक्री योग्य उत्पादों को बेचने के लिए अवसर प्रदान करता है।

1.12.2(ग) मेले और प्रदर्शनी में लाभार्थियों को निःशुल्क स्टाल

(i) आपका निगम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में भाग लेता है एवं लाभार्थियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री हेतु निःशुल्क स्टाल उपलब्ध कराता है।

(ii) इन प्रदर्शनियों में प्रतियोगिता से लाभार्थियों को न केवल अपने उत्पाद को बेचने बल्कि ग्राहकों, डीलरों और निर्यातकों से बातचीत करने एवं नए उत्पादों के विकास के लिए जरूरतों/आवश्यकताओं को जानने का भी अवसर मिलता है।

सूरजकुंड, फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेला–2019 के दौरान एनएसएफडीसी के लाभार्थीगण

1.12.2(घ) लाभार्थियों को विपणन प्रशिक्षण

ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार, कारीगरों के उत्पादों के विपणन और विकास/पुनः डिजाइनिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के आदानों को लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए विपणन प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में काउंटर पर अच्छी विक्रय कला के कार्य–निवेश के साथ ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल उत्पादों में रूपांतर कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित आईआईटीएफ–2018 के दौरान एनएसएफडीसी के लाभार्थीगण

1.12.2(ङ.) जागरूकता शिविर

एनएसएफडीसी की योजनाओं के बारे में लक्ष्य समूह के बीच जन–जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया जाता है और उपस्थितों को निगम की योजनाओं की जानकारी संबंधी ब्रोशर और पैम्फलेट बांटे जाते हैं। सफल लाभार्थियों को निगम की योजनाओं और व्यापार संबंधी अन्य क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण लेने के अपने अनुभवों के बारे में जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

2. प्रबंधन चर्चाएं और विश्लेषण रिपोर्ट

2.1 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

2.1.1 प्रस्तावों की स्वीकृति

वर्ष के दौरान आपके निगम ने, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को ₹ 782.26 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए।

2.1.2 निधियों का संवितरण

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने, 81,431 लाभार्थियों को लाभांवित करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को 68% के लक्ष्य (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में ₹ 671.21 करोड़ अर्थात् वर्ष 2018–19 के दौरान उपलब्ध कुल निधियों का 79.09% संवितरित किया।

2.1.2(क) <u>संवितरण और शामिल लाभार्थियों के योजना–वार ब्योरे</u>

वर्ष 2018–19 और उससे पूर्व वर्ष के लिए संवितरण और शामिल लाभार्थियों के ब्योरे नीचे दिए जा रहे हैं:

क्र. सं.	योजना	राशि (₹ करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2017-18	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**
क.	**मियादी ऋण योजनाएं**				
(i)	मियादी ऋण	124.35	124.09	3,375	2,161
(ii)	हरित व्यवसाय योजना	1.75	24.17	20	2,350
(iii)	स्टैंड–अप इंडिया योजना	9.25	0.00	76	0
(iv)	महिला किसान योजना	0.47	0.00	118	0
(v)	शिल्पी समृद्धि योजना	0.28	0.00	70	0
(vi)	लघु व्यवसाय योजना	205.53	442.74	11,937	36,657
(vii)	शिक्षा ऋण योजना	4.74	6.27	266	181
	उप–कुल (क)	**346.37**	**597.27**	**15,862**	**41,349**
ख.	**लघु ऋण योजना**				
(i)	लघु ऋण वित्त योजना	187.46	40.61	42,027	9,266
(ii)	महिला समृद्धि योजना	65.14	32.74	50,057	30,694
(iii)	आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना	1.91	0.59	394	122
	उप–कुल (ख)	254.51	73.94	92,478	40,082
	सकल कुल [(क) + (ख)]	**600.88**	**671.21**	**1,08,340**	**81,431**

2.1.2(ख) **संवितरण और शामिल लाभार्थियों के क्षेत्र–वार ब्योरेः**

क्र. सं.	योजना	राशि (₹ करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2017-18	**2018-19**	**2017-18**	**2018-19**
(i)	मियादी ऋण				
(क)	प्राथमिक क्षेत्र (भूमि, खरीद, सिंचाई और अन्य संबद्ध क्रियाकलाप)	6.28	32.53	461	793
(ख)	तृतीयक क्षेत्र (सर्विस व परिवहन)	118.07	91.56	2,914	1,368
	जोड़ (क) + (ख)	**124.35**	**124.09**	**3,375**	**2,161**
(ii)	हरित व्यवसाय योजना	1.75	24.17	20	2,350
(iii)	स्टैंड–अप योजना	9.25	0.00	76	0

क्र. सं.	योजना	राशि (₹ करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
(iv)	महिला किसान योजना (प्राथमिक सेक्टर)	0.47	0.00	118	0
(v)	शिल्पी समृद्धि योजना	0.28	0.00	70	0
(vi)	लघु व्यवसाय योजना	205.53	442.74	11,937	36,657
(vii)	लघु ऋण वित्त योजना	187.46	40.61	42,027	9,266
(viii)	महिला समृद्धि योजना	65.14	32.74	50,057	30,694
(ix)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	1.91	0.59	394	122
(x)	शिक्षा ऋण योजना	4.74	6.27	266	181
	सकल जोड़ (i से x)	**600.88**	**671.21**	**1,08,340**	**81,431**

2.1.2(ग)(i) समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां (2018–19)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए समेकित समझौता–ज्ञापन लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुलग्नक–III** पर दी गई हैं। उपलब्धियों के अनुसार और लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल भारित अंक 94.20 है, जो ''उत्कृष्ट'' रेटिंग के अनुरूप हैं।

(ii) प्रचालन से आय

वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्रचालन से आय रु 57.21 करोड़ है।

(iii) प्रचालन लाभ या अधिशेष / प्रचालन से आय (निवल)

वर्ष के दौरान, आपके निगम का प्रचालन (निवल) से प्रचालन लाभ या अधिशेष / आय 64.93% है।

(iv) औसत निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर पश्चात लाभ (पीएटी) या अधिशेष

वर्ष के दौरान, औसत निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर पश्चात लाभ (पीएटी) या अधिशेष 2-62% है।

(v) संवितरित ऋण / उपलब्ध कुल निधि

वर्ष के दौरान, आपके निगम के पास संवितरित ऋण / कुल उपलब्ध निधि 79.09% है।

(vi) अतिदेय ऋण / कुल ऋण (निवल)

वर्ष के दौरान, अतिदेय ऋण / कुल ऋण (निवल) 20.29% है।

(vii) गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) / कुल ऋण (निवल)

वर्ष के दौरान, गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) / कुल ऋण (निवल) 0.78% है।

(viii) **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का ऑनलाइन कार्यान्वयन** (कर्मचारी डाटा प्रशासन, कर्मचारी स्वयं–सेवा, निकासी प्रक्रिया, प्रतिभा प्रबंधन इत्यादि को ऑनलाइन करने सहित) और **वित्त के साथ इसका एकीकरण**

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 05.10.2018 को छुट्टी प्रबंधन, सेवा पुस्तिका, कर्मचारी स्वयं सेवा, सेवा से कार्यमुक्ति प्रक्रिया आदि हेतु ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का सॉफ्टवेयर विकसित किया।

(ix) **भारत में उत्कृष्टता केंद्र जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई इत्यादि में प्रशिक्षण प्रदान करके प्रतिभा प्रबंधन और जीविका प्रगति**

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने भारत में उत्कृष्टता केंद्र जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई इत्यादि में कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करके प्रतिभा प्रबंधन और जीविका प्रगति के अंतर्गत 100% लक्ष्य प्राप्त करते हुए समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में पांच कर्मचारियों को प्रायोजित किया।

(x) **प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार / स्वरोजगार प्रदान करना**

वर्ष के दौरान, लक्ष्य समूह के 13,668 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार / स्वरोजगार प्रदान किया गया।

2.1.2(घ) **योजना–वार / क्षेत्रवार संवितरण**

वर्ष 2018–19 के दौरान निष्पादन को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

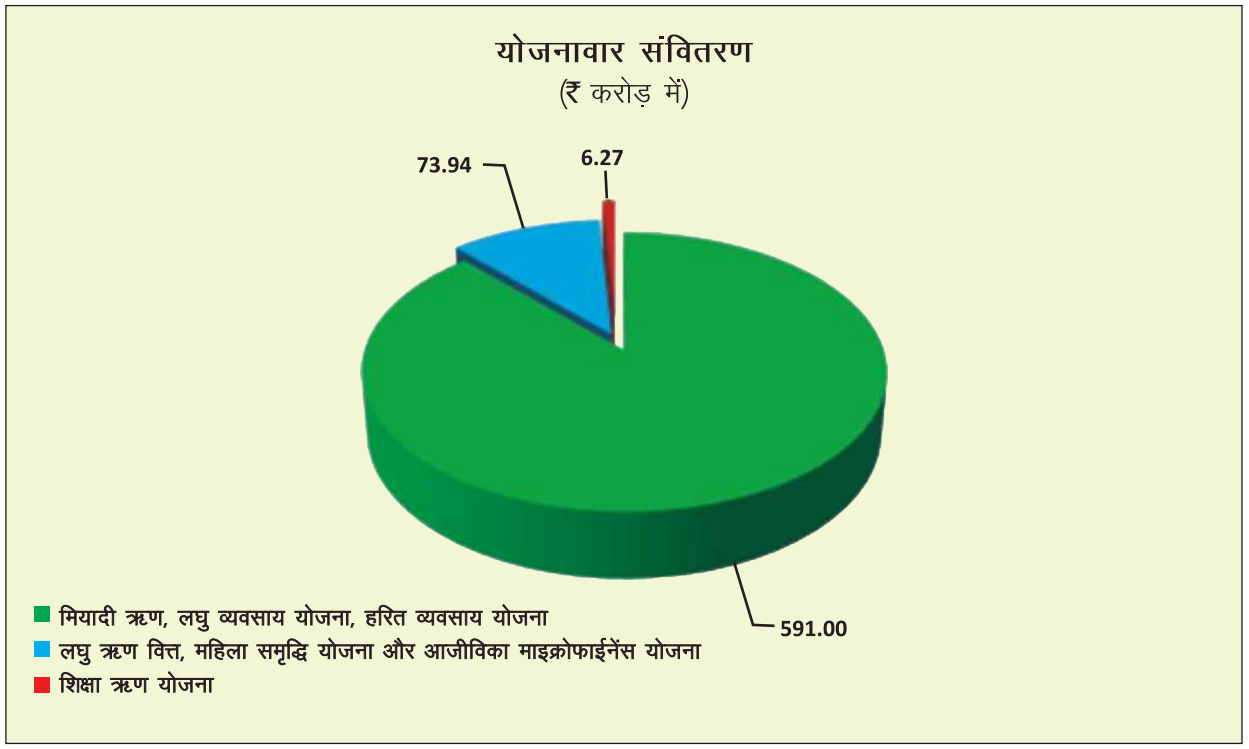

(i) मियादी ऋण योजना में लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई), हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस) शामिल हैं।

(ii) लघु ऋण योजना में लघु ऋण वित्त (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) और आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (एएमवाई) शामिल हैं।

(iii) शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)

मियादी ऋण योजना के अंतर्गत क्षेत्रवार संवितरण (2018–19)

(₹ करोड़ में)

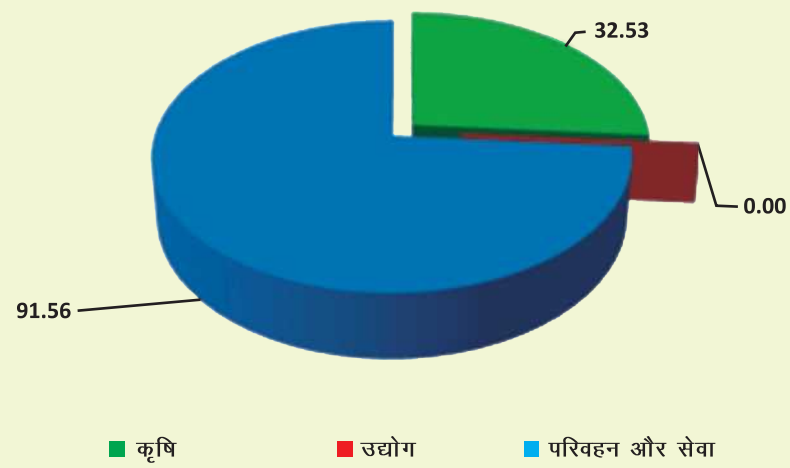

गत तीन वर्षों के दौरान संवितरण का निष्पादन

(₹ करोड़ में)

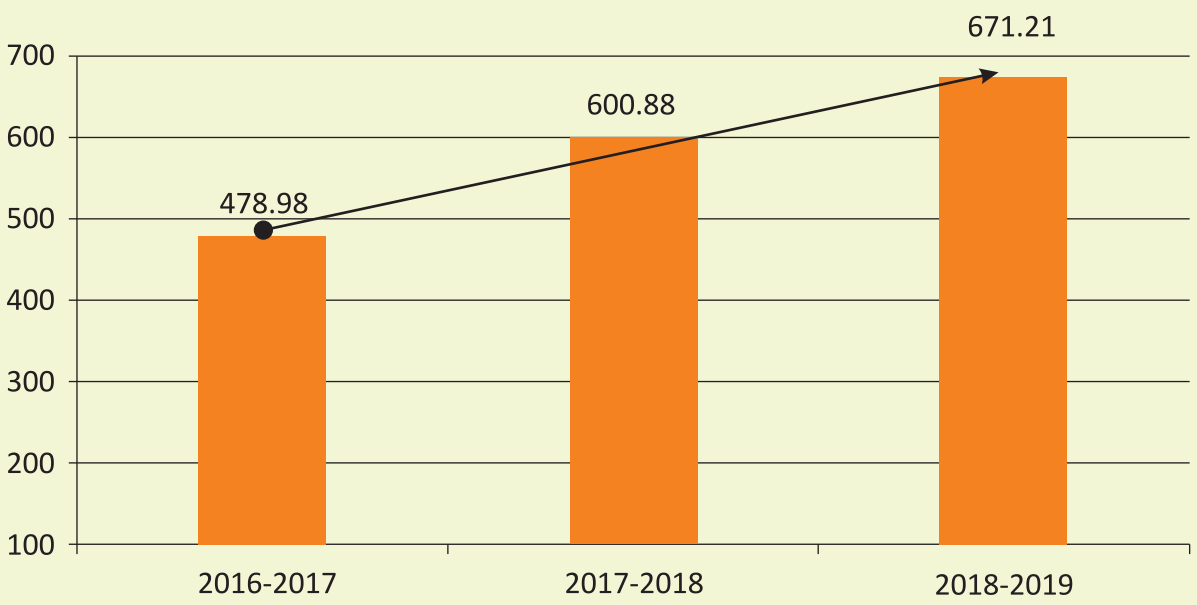

2.1.3 महिला लाभार्थियों का कवरेज

- वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 52,331 महिला लाभार्थियों को रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है, जो कि महिला लाभार्थियों को लाभांवित करने के 40% मानदंड प्रत्यक्ष शर्तों की तुलना में कुल कवरेज का 64.26% है।

श्रीमती अजीथा कुमारी एस. को एनएसएफडीसी मियादी ऋण योजना के अंतर्गत दर्जी की दुकान खोलने के लिए ऋण प्रदान किया गया।

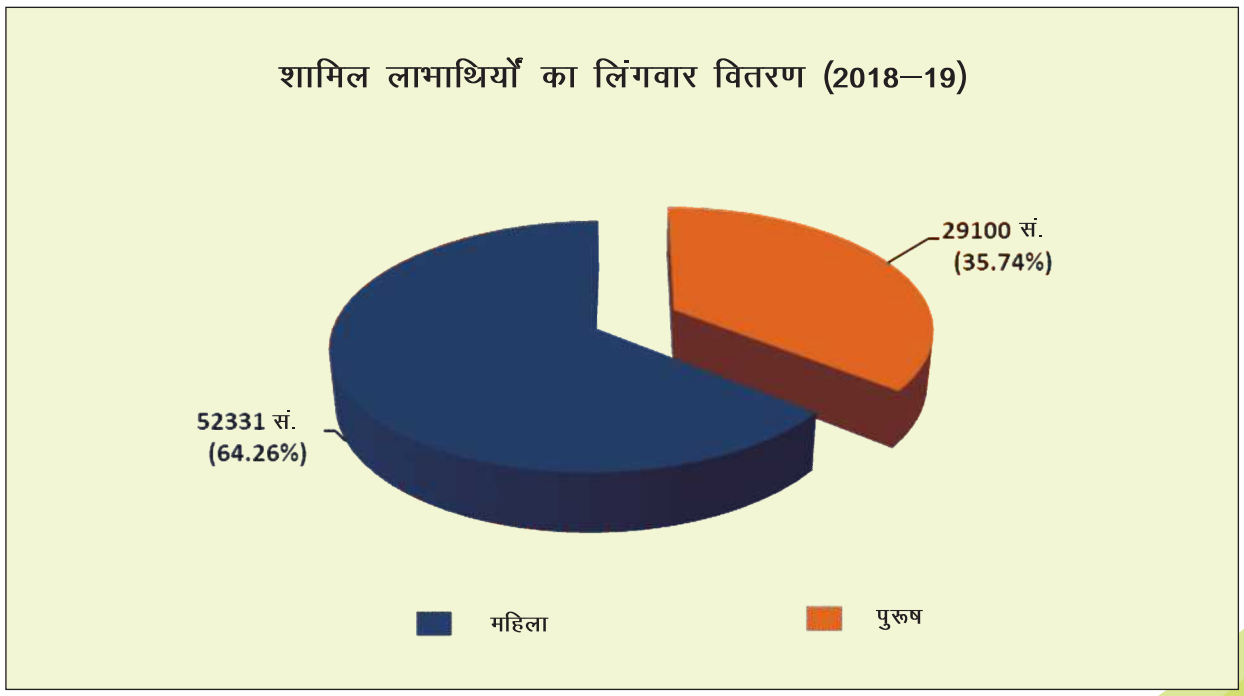

- इसी प्रकार, वर्ष के दौरान, आपके निगम ने महिला लाभार्थियों के लिए ₹276.60 करोड़ संवितरित किए हैं, जो 40% के वित्तीय मानदंड की तुलना में वर्ष के कुल संवितरण का 41.21% है।

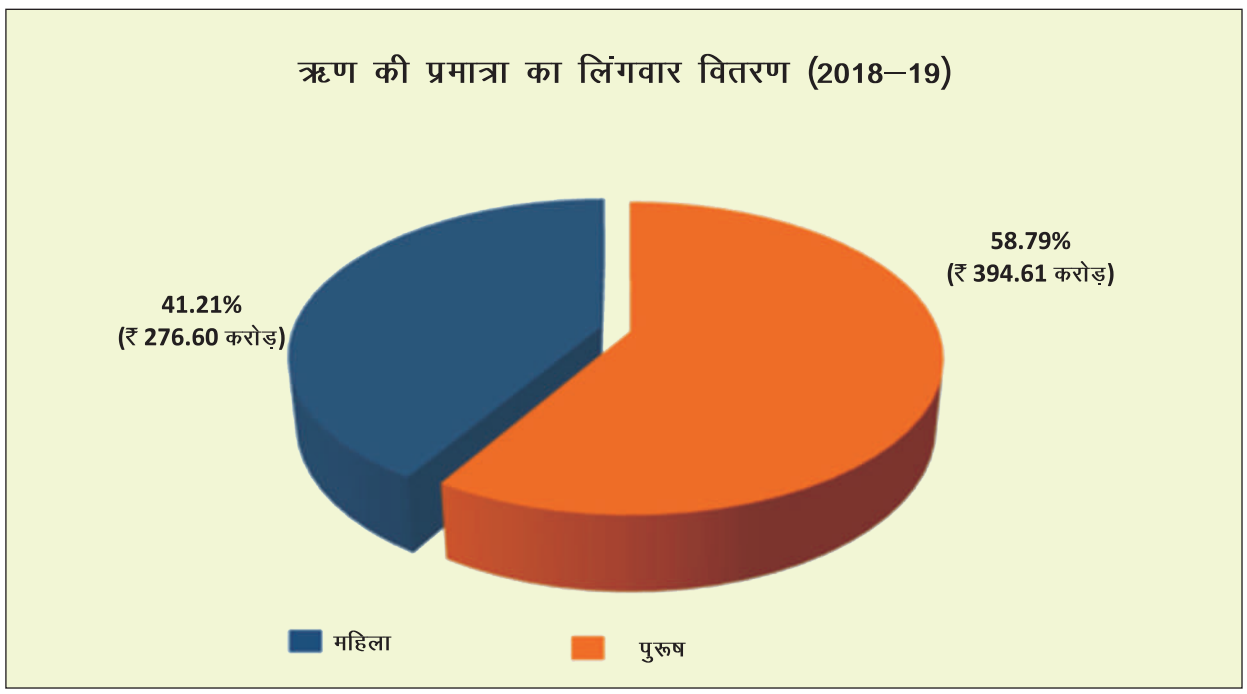

- गत तीन वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों को संवितरण बढ़ते क्रम में है।

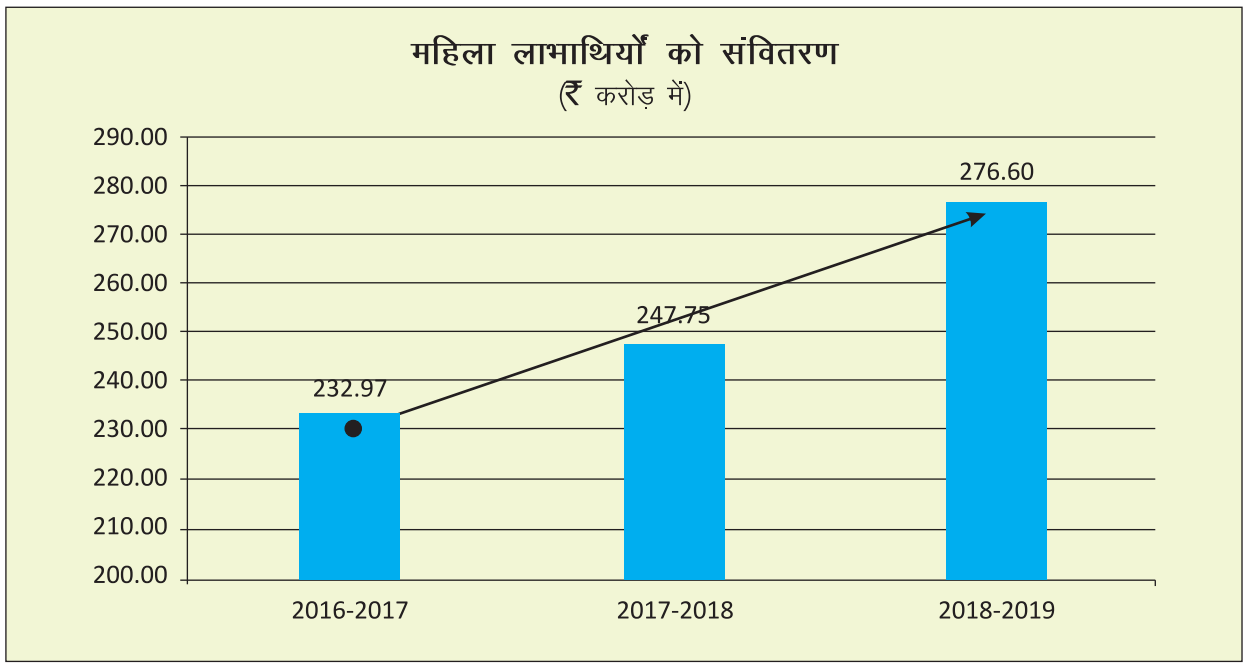

2.1.4 ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का कवरेजः

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों से 57.58% और शहरी क्षेत्रों से 42.42% लाभार्थियों को कवर किया है।

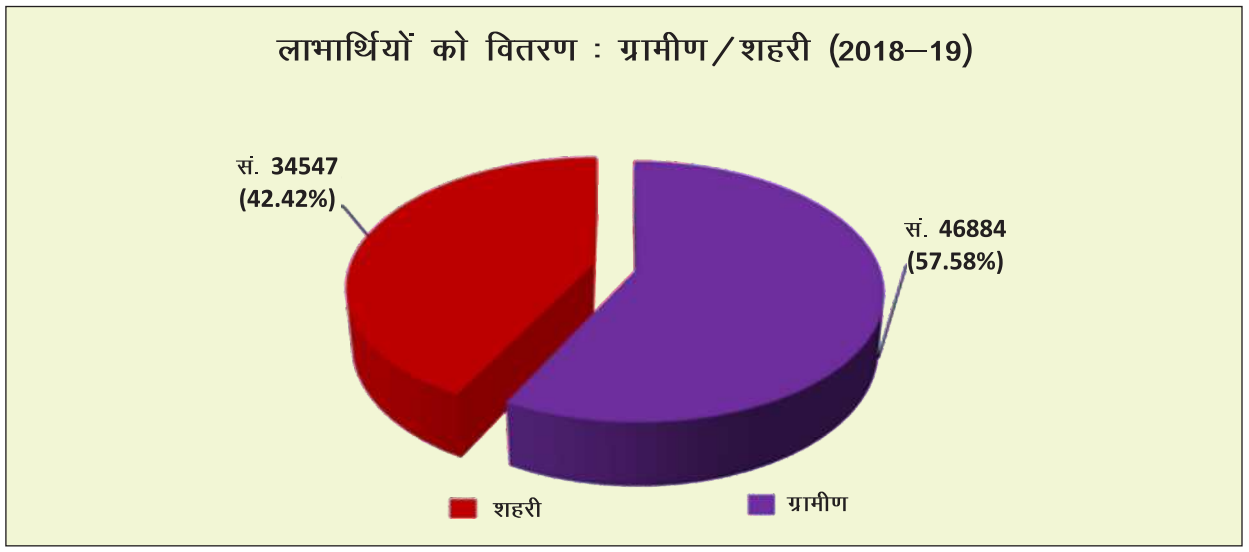

लाभार्थियों को वितरण : ग्रामीण/शहरी (2018–19)

2.1.5 निधि उपयोग

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्मुक्त निधियों के उपयोग में सुधार लाने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ गहन अभियान चलाया है। इसके परिणामस्वरूप 31.03.2019 को संचयी उपयोग स्तर 86.88% प्राप्त किया गया।

2.1.6 लाभार्थियों का कवरेज – गरीबी रेखा से नीचे वाले (बीपीएल) तथा बीपीएल से ऊपर एवं गरीबी रेखा से दोगुने (डीपीएल) के नीचे वाले लाभार्थीगण

चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त उपयोग रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष के दौरान, आपके निगम की योजनाओं के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 58% और बीपीएल से ऊपर एवं डीपीएल से नीचे की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 42% लाभार्थियों को कवर किया गया।

बीपीएल/डीपीएल लाभार्थियों का कवरेज प्रतिशत (2018–19)

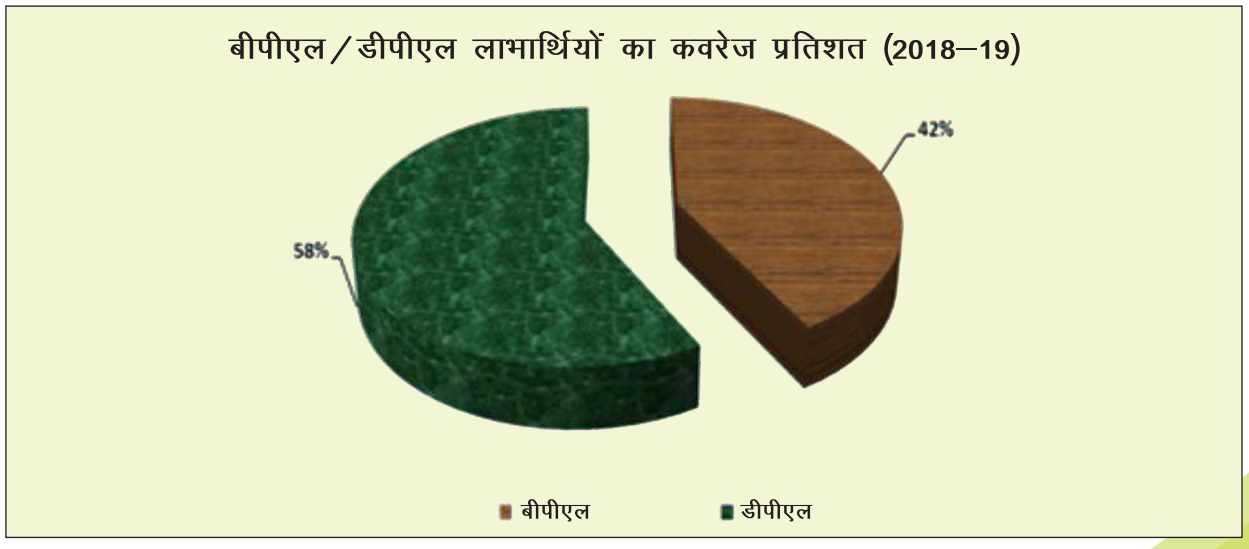

2.1.7 संचयी संवितरण की तुलना में इक्विटी सहायता

- वर्ष के दौरान, आपके निगम को भारत सरकार से ₹137.39 करोड़ की इक्विटी सहायता प्राप्त हुई और ₹671.21 करोड़ संवितरित किए गए।
- 31.03.2019 को संचयी इक्विटी सहायता ₹1485.40 करोड़ रही है, जिसकी तुलना में आपके निगम ने ₹5149.89 करोड़ का संचयी संवितरण प्राप्त किया, जिसमें 12.65 लाख लाभार्थी कवर किए गए, जिनमें से 7.38 लाख (58.43%) महिला लाभार्थी थीं।
- अब तक का संवितरण भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी सहायता का 3.47 गुना है।

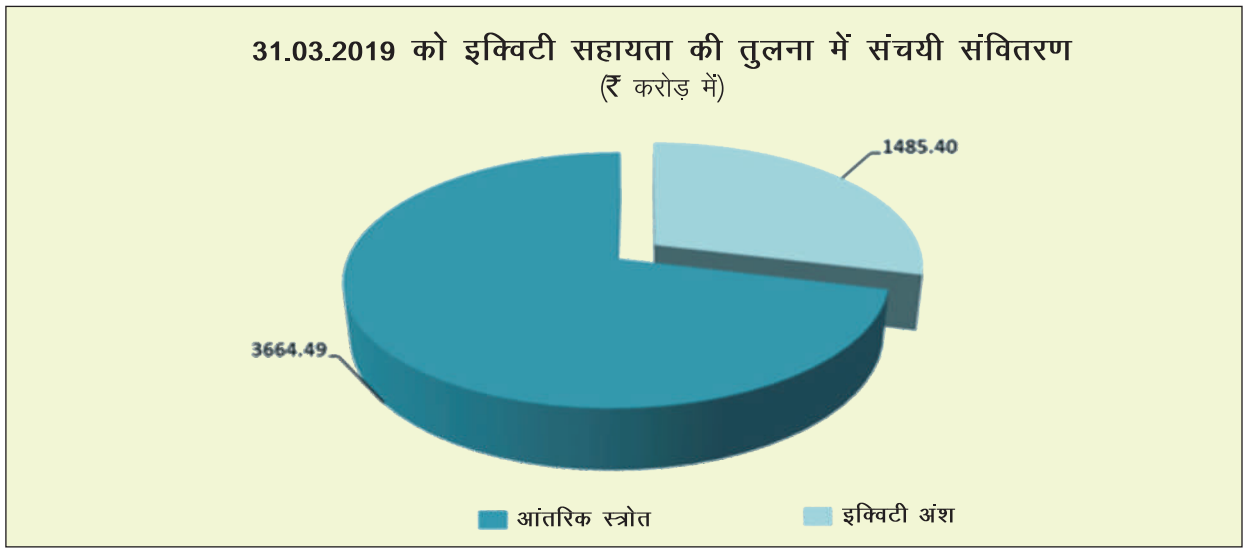

2.1.8 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/चैनलाइजिंग एजेंसी से ऋण की वसूली

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों से ₹356.67 करोड़ की वसूली प्राप्त की।

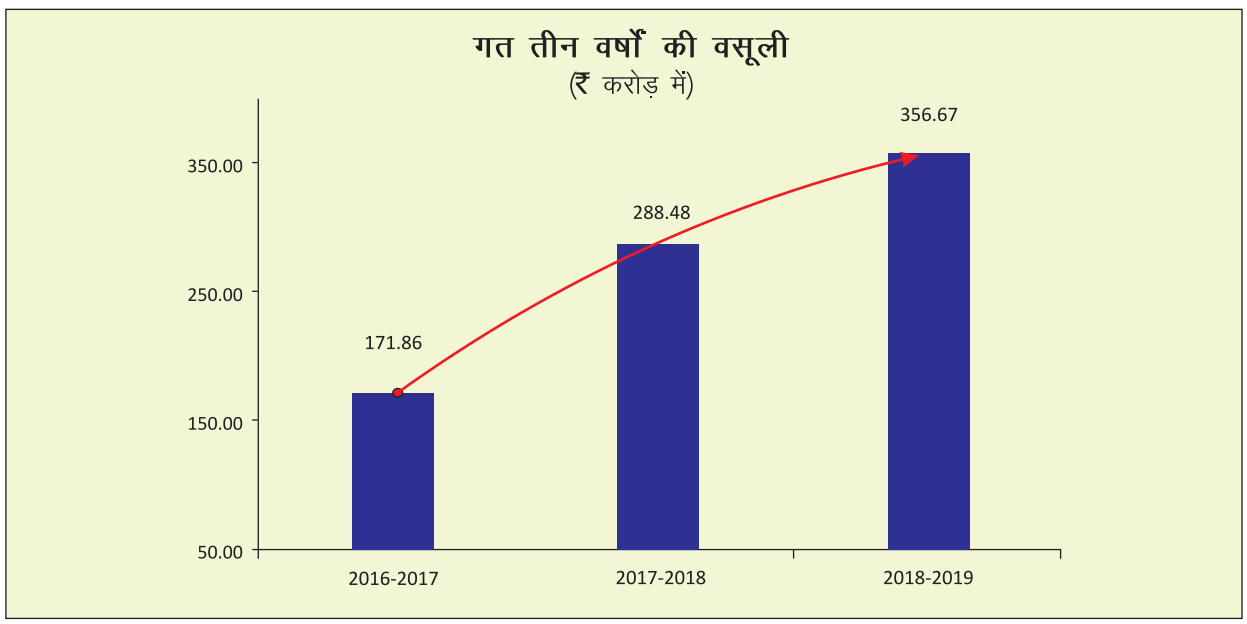

2.1.9 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों की कार्यपद्धति

आपका निगम चैनल वित्त प्रणाली अपनाता है, जिसमें राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों को निधियां दी जाती हैं। वित्त वर्ष के आरंभ में सामान्य चैनल में 37 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां और वैकल्पिक चैनल में 56 चैनलाइजिंग एजेंसियां थीं। वित्तीय वर्ष में, आपके निगम ने वैकल्पिक चैनल में 5 नई एजेंसियों के साथ समझौता–ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। इस प्रकार एनएसएफडीसी के पास 37 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां और वैकल्पिक चैनल में 59 अन्य एजेंसियां (बिहार और पंजाब राज्यों में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलयन के बाद) थीं। वर्ष के दौरान, 27 राज्यों एवं 7 संघ शासित क्षेत्रों में से 25 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों ने निधियों का लाभ प्राप्त किया है।

2.1.10 भागीदारी

2.1.10(क) निगम के उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए सरकारी विभागों/स्थापित संस्थानों के साथ भागीदारी:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने निगम के उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की:

दिनांक 27.07.2018 को लागत भागीदारी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य सीएसआर गतिविधियों को आयोजित करने के लिए सीएसआर भागीदारी के लिए डालमिया भारत फाउंडेशन के साथ समझौता – करार हस्ताक्षरित किया गया। श्री विशाल भारद्वाज, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डालमिया भारत फाउंडेशन और श्री देवानंद, मुख्य महाप्रबंधक ने समझौता–करार को हस्ताक्षरित और परस्पर अंतरित किया।

क्र. सं.	संस्थान	उद्देश्य
1	पंजाब एंड सिंध बैंक, नई दिल्ली	राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच के विस्तार हेतु।
2	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कड़प्पा	आंध्र प्रदेश में पहुंच के विस्तार हेतु।
3	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट	गुजरात में पहुंच के विस्तार हेतु।
4	श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि. (सेवा बैंक), अहमदाबाद	
5	स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लि. (स्त्री निधि), हैदराबाद	तेलंगाना में पहुंच के विस्तार हेतु।
6	वेल्यूर फैबटैक्स प्रा. डिब्रूगढ़.	अनुसूचित जाति शिल्पकारों/बुनकरों के क्लस्टरों के विकास हेतु।
7	सेंटर फॉर इंडियन बैंबू रिसोर्स एंड टेक्नॉलजी (सीआईबीएआरटी), नई दिल्ली	

क्र. सं.	संस्थान	उद्देश्य
8	मैनेजमेंट एंड आंद्रप्रनर्शिप एंड प्रोफेशनल स्किल्स काउंसिल, नई दिल्ली	
9	एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, हरियाणा	
10	मीडिया एंड एंटर्टेमंट स्किल काउंसिल, नई दिल्ली	
11	लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल, चेन्नै	
12	स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लीशर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली	
13	सीआईआई इंस्टिट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स (सीआईआई आईएल), चेन्नै	
14	इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन सर्वेलांस एंड कम्यूनिकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल (आईएएससी), नई दिल्ली	
15	पॉवर सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली	कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु।
16	अपोलो मेड स्किल लि., हैदराबाद	
17	इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमंट स्किल काउंसिल, नई दिल्ली	
18	असम स्किल डेवलमेंट मिशन, गुवाहटी	
19	पेंट्स एंड कोटिंग्स स्किल काउंसिल (पीसीएससी), मुंबई	
20	बीएसई इंस्ट्रीट्यूट लिमिटेड, मुंबई	
21	इंडियन आयरन एंड स्ट्रील सेक्टर स्किल काउंसिल (आईआईएसएसएससी), कोलकाता.	
22	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	
23	टाटा कम्युनिटी इनिशयेटिव ट्रस्ट, नई दिल्ली	कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कॉर्पोरेट सीएसआर वित्त पोषण।
24	हिन्दुस्तान लेटैक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट (एचएलएफपीपीटी), थिरूवंतपुरम	
25	भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि, मुंबई.	
26	अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, मुंबई.	कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु।
27	डालमिया भारत फाउंडेशन, नई दिल्ली	
28	टेक महिंद्रा फाउंडेशन, नई दिल्ली	

2.1.10(ख) प्रदर्शनियों / मेलों में सहभागिता:

सूरजकुंड मेला–2019, फरीदाबाद, हरियाणा में अपने उत्पाद बेचते हुए एनएसएफडीसी के लाभार्थी

आईआईटीएफ – 2018, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अपने उत्पाद बेचते हुए एनएसएफडीसी के लाभार्थी

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने लाभार्थियों के उत्पादों के लिए विपणन अवसर उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित प्रदर्शनियों / मेलों में भाग लिया। उपर्युक्त कार्यक्रमों में कवर किए गए राज्यों और प्रदर्शित की गई शिल्प वस्तुओं के ब्योरे निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	स्थान	दिनांक	प्रतिनिधि राज्य	प्रदर्शित और बिक्री की गई शिल्प वस्तुएं
1.	तीज त्योहार, दिल्ली हाट, पीतमपुरा, दिल्ली	10–25 अगस्त, 2018	दिल्ली, गुजरात	ब्लॉक प्रिंटिंग, तैयार वस्त्र, कढ़ाई का सामान
2.	शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट, आई एन ए, नई दिल्ली	1–15 नवंबर, 2018	दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उ.प्र., महाराष्ट्र, प.बंगाल, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर	ब्लॉक प्रिंटिंग, फाइबर का सामान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खादी का सामान, कोल्हापुरी चप्पल, एक्यूप्रेशर स्वास्थ्य सुरक्षा सामान, पत्थर का सामान, जूट बैग, जरी का सामान, तैयार वस्त्र, कढ़ाई का सामान, चंदेरी साड़ी, सूट, नकली गहने, मोती का कार्य, शॉल, जैकेट, मोजे, टोपियां, मफ्लर, बॉटिक प्रिंटिंग, लकड़ी के खिलौने इत्यादि।
3.	आई आई टी एफ, नई दिल्ली	14–27 नवंबर, 2018	असम, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पं. बंगाल, पुदुच्चेरी, जम्मू व कश्मीर	बेंत और बॉस का सामान, लकड़ी के खिलौने, काष्ठ जडित कला / पेंटिंग, हथकरघा साड़ी, वस्त्र बनाने के लिए कपड़ा, हस्तशिल्प, गहने, चमड़े की चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, अर्टारी / कशीदाकारी जरी, जरी के समान, क्रोशिया के सामान, बाटिक एवं ब्लॉक प्रिंटिंग साड़ी इत्यादि।

क्र. सं.	स्थान	दिनांक	प्रतिनिधि राज्य	प्रदर्शित और बिक्री की गई शिल्प वस्तुएं
4.	9वीं पूर्वी हिमालय प्रदर्शनी, शिलांग, मेघालय	10–17 दिसंबर, 2018	असम	हस्तनिर्मित सामान
5.	लोकोत्सव मेला, पणजी, गोवा	11–20 जनवरी, 2019	महाराष्ट्र	फाइबर का सामान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी
6.	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद, हरियाणा	1–17 फरवरी, 2019	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुद्दुच्चेरी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, पंश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक	एम्ब्रोयडिड क्रोशिया के कपड़े, चादरें, पैच वर्क, हथकरघा शॉलें, स्टोल, जैकेट, जुराबें, टोपियां और मफलर, चंदेरी साडियां, फाइबर वस्तुएं और पेंटिंग्स, चर्म–उत्पाद, राजस्थानी व पंजाबी जूती, रेडीमेड वस्त्र, बाटिक प्रिंटिंग, लकड़ी के खिलौने, रोज वूड पेंटिंग, कांथा शिल्प, सॉफ्ट खिलौने, ब्लॉक प्रिंटिंग इत्यादि।

वर्ष के दौरान, दिल्ली में 3 प्रमुख प्रदर्शनियों में हमारे लाभार्थियों की कुल बिक्री का आंकड़ा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	प्रदर्शनियों का नाम	दिनांक	ब्रिकी आंकड़ा (₹)
1.	शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट, आईएनए	1–15 नवंबर, 2018	47,53,890.00
2.	आईआईटीएफ, नई दिल्ली	14–27 नवंबर, 2018	28,09,900.00
3.	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद (हरियाणा)	1–17 फरवरी, 2019	54,65,400.00
	समग्र योग		**1,30,29,190.00**

2.1.11 राज्यों में संयुक्त (कंपोजिट) जागरूकता शिविर

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मंत्रालय और राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित 12 संयुक्त/जागरूकता शिविरों में भाग लिया। ये शिविर बिहार (गया), गुजरात (नर्मदा), हिमाचल प्रदेश (कुल्लू), पंजाब (फिरोजपुर), उत्तर प्रदेश (बलिया, रॉबर्ट्सगंज, बिजनौर, फतेहपुर) और मध्य प्रदेश (सतना, चित्रकूट) में आयोजित किए गए। ऐसे प्रत्येक शिविर में एनएसएफडीसी को अपनी योजनाओं को प्रचारित करने और आगंतुकों के बीच जन–जागरूकता उत्पन्न करने के लिए योजनाओं के पैम्फलेट बांटने के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए

एनएसएफडीसी द्वारा जून, 2018 में आकांक्षी जिला फिरोजपुर, पंजाब में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान जागरूकता शिविर – सह – निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थय जांच शिविर आयोजित किया गया।

गए। कुछ शिविरों में सफल लाभार्थियों को एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने और व्यवसाय संबंधी क्रियाकलापों के बारे में अनुभवों को जनसमूह के बीच साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया।

क्र. सं.	प्रदर्शनी / मेला	तारीख
i.	जागरूकता शिविर, सतना, मध्य प्रदेश	8 अप्रैल, 2018
ii.	जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर, बिजनौर, उ.प्र.	16 अप्रैल, 2018
iii.	जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर, फिरोजपुर, पंजाब	5 जून, 2018
iv.	जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर, फिरोजपुर, पंजाब	31 जुलाई, 2018
v.	जागरूकता शिविर, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश	14–15 सितंबर, 2018
vi.	कुल्लू दशहरा, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	19–28 अक्तूबर, 2018
vii.	जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर, फतेहपुर, उ.प्र.	24 अक्तूबर, 2018
viii.	जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर, बोधगया, बिहार	21 दिसंबर, 2018
ix.	स्वदेशी मेला, बलिया, उ.प्र.	22–31 दिसंबर, 2018
x.	जागरूकता शिविर, बोधगया, बिहार	23 फरवरी, 2019
xi.	ग्रामोदय मेला, चित्रकूट, मध्य प्रदेश	24–27 फरवरी, 2019
xii.	जागरूकता शिविर, नर्मदा, गुजरात	22–26 नवंबर, 2019

2.1.12 ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजना का बाह्य मूल्यांकन अध्ययन

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मैसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट प्रा. लि. (सीएमएसडी), नई दिल्ली को अपनी ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजना के मूल्यांकन और अध्ययन का कार्य सौंपा था। इस अध्ययन में 13 राज्यों में 2016–17 के दौरान प्रशिक्षित 2,379 लाभार्थी / प्रशिक्षणार्थी कवर किए गए।

अध्ययन के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार शामिल लाभार्थी/प्रशिक्षणार्थियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल
(i)	आंध्र प्रदेश	100	35	135
(ii)	बिहार	100	140	240
(iii)	गुजरात	100	60	160
(iv)	हिमाचल प्रदेश	100	20	120
(v)	जम्मू व कश्मीर	100	20	120
(vi)	झारखंड	100	54	154
(vii)	कर्नाटक	414	90	504
(viii)	महाराष्ट्र	100	55	155
(ix)	मणिपुर	100	20	120
(x)	पंजाब	100	60	160
(xi)	तमिलनाडु	100	121	221
(xii)	तेलंगाना	140	30	170
(xiii)	त्रिपुरा	100	20	120
	कुल	**1654**	**725**	**2379**

2.1.13 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल प्रशिक्षण संस्थान

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुसूचित जातियों के 19,089 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए ₹27.89 करोड़ की लागत से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत और कार्यान्वित किए हैं और तीस (30) कौशल प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय कौशल परिषदों के साथ साझेदारी स्थापित करके ₹14.25 करोड़ अनुसूचित जातियों के कल्याण, प्रशिक्षण (अनुदान) – अग्रिम एवं प्रशिक्षण व्यय – लाभार्थी के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान सहित, संवितरित किए। इसके अलावा, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, केन्द्रीय भण्डारण निगम लि., भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, आई एफ सी आई सोशल फाउंडेशन, भारतीय धातु एवं खनिज व्यापार निगम (एमएमटीसी लिमिटेड), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से ₹175.73 लाख की राशि सीएसआर फंड के तहत प्राप्त हुई और संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को जारी की गई। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे स्व–नियोजित दर्जी, चमड़े के जूते–चप्पल – क्लोजिंग और स्टिचिंग, चर्म वस्त्र – कटिंग और क्लिकिंग, मशीन ऑपरेटर–इंजेक्शन मोल्डिंग (एमओ–आईएम), मशीन ऑपरेटर–ब्लो मोल्डिंग (एमओ–बीएम), सीएनसी ऑपरेटर टर्निंग, बेकहो लोडर ऑपरेटर, सीएनसी ऑपरेटर वर्टिकल मशीनिंग इत्यादि विभिन्न व्यापारों/क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे। प्रशिक्षण आरंभ करने वाले 19,089 प्रशिक्षणार्थियों में से, 10,003 प्रशिक्षणार्थियों ने अपने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए और सूचना के अनुसार स्व/वैतनिक रोजगार में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति चल रही है। इसके अलावा, वर्ष 2017–18 के दौरान प्रशिक्षण आरंभ करने वाले 6226 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण वर्ष के दौरान पूरा किया गया था।

वर्ष 2018–19 के दौरान, आरंभ और पूर्ण किए गए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार सार **अनुलग्नक–IV** पर दिया गया है।

2.1.14 अनुसूचित जाति बुनकर क्लस्टर का विकास

वर्ष के दौरान, बेसलाइन सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् आपके निगम ने, विकास आयुक्त (हथकरघा) वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत 9 क्लस्टर परियोजनाओं को असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों के संबंधित हथकरघा और वस्त्र निदेशालय को प्रस्तुत किया है। 09 प्रस्तावों में से असम के 04 प्रस्तावों को राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी), असम सरकार द्वारा संस्तुत किया गया है और मंजूरी हेतु विचार के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा), उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया है।

विकास आयुक्त (हथकरघा) के राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत ब्लॉक – बोरडलोनी, जिला, धेमाजी, असम की एनएसएफडीसी सहायता प्राप्त महिला लाभार्थी

आपके निगम ने अपनी पहुंच (आउटरीच) का विस्तार करने के लिए अखिल भारत में विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के कार्यान्वयन के लिए वर्ष के दौरान एक और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) अर्थात् भारतीय बांस संसाधन और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईबीएआरटी) के साथ समझौता–करार (एमओए) पर हस्ताक्षर किया है।

2.1.15 अनुसूचित जाति शिल्पकार क्लस्टर का विकास

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने ग्राम–पूंगल और उसके आसपास के क्षेत्रों, जिला–बीकानेर और गदरा रोड, जिला–बाड़मेर (राजस्थान) में चलाए जा रहे एएचवीवाई क्लस्टर के अंतर्गत दूसरी और अंतिम किस्त की प्रतिपूर्ति के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा जारी किए गए ₹49.77 लाख के एवज में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को ₹115.40 लाख राशि की उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत गदरा रोड, बाडमेर जिला (राजस्थान) में हस्त कढ़ाई (शीशा) शिल्प क्लस्टर की एनएसएफडीसी सहायता प्राप्त महिला शिल्पकारों को दि. 22.05.2018 को टूल किट बांटी गईं।

अपनी पहुंच (आउटरीच) का विस्तार करने के लिए, आपके निगम ने विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय की अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के अखिल भारत में कार्यान्वयन के लिए वर्ष के दौरान दो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) अर्थात् मैसर्स वेल्यूर फैबटैक्स प्राइवेट लिमिटेड, डिब्रूगढ़ (असम) और मैसर्स भारतीय बांस संसाधन और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईबीएआरटी), नई दिल्ली के साथ समझौता–करार (एमओए) पर हस्ताक्षर किया है।

वित्त वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को ₹19.97 लाख मंजूर किए और रु 9.26 लाख निर्मुक्त किए। क्लस्टर–वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	क्लस्टर का स्थान	क्लस्टर की गतिविधि	शिल्पकारों की संख्या	मंजूर राशि (₹ में)	निर्मुक्त राशि (₹ में)
(i)	आर्ट इल्ल्यूमिनेट्स मैनकाइंड (एआईएम), कोलकाता	जीतवारपुर, मधुबनी, बिहार	मधुबनी पेंटिंग और सुजनी क्राफ्ट	40	19.97	9.26

2.1.16 वर्ष 2018–19 के लिए सर्वोत्तम पांच कार्य निष्पादन करने वाली राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां

(क) स्वीकृति ली गई		
रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	राशि (₹ करोड़)
1	एपीएससीसीएफसी, आंध्र प्रदेश	165.65
2	आरएसएफडीसी, राजस्थान	62.73
3	जीएससीडीसी, गुजरात	35.92
4	डब्ल्यूबीएससीएसटी एवं ओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	26.60
5	केएसडीसी, केरल	23.77

(ख) संवितरण लिया गया		
रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	राशि (₹ करोड़)
1	एपीएससीसीएफसी, आंध्र प्रदेश	140.59
2	डब्ल्यूबीएससीएसटी एवं ओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	34.94
3	जीएससीडीसी, गुजरात	31.90
4	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	12.04
5	जेएण्डकेएससीएसटी एवं ओबीसीडीसी, जम्मू व कश्मीर	9.93

(ग) निधि का उपयोग (संचयी)		
रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	प्रतिशतता
1	एचएसएफडीसी, हरियाणा	100.00
2	सीएसएएसएफडीसी, छत्तीसगढ़	89.30
3	जेएण्डकेएससीएसटी एवं ओबीसीडीसी, जम्मू व कश्मीर	89.21
4	जीएससीडीसी, गुजरात	88.38
5	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	84.11

(घ) अदायगी की गई		
रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	राशि (₹ करोड़)
1	डब्ल्यूबीएससीएसटी एवं ओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	43.00
2	जीएससीडीसी, गुजरात	32.42
3	एपीएससीसीएफसी, आंध्र प्रदेश	16.16
4	आरएसएफडीसी, राजस्थान	13.70
5	लिडकॉम, महाराष्ट्र	9.28

(ङ) कवर किए गए लाभार्थी		
रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	राशि (₹ करोड़)
1	डब्ल्यूबीएससीएसटी एवं ओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	30,186
2	एपीएससीसीएफसी, आंध्र प्रदेश	7,094
3	केएसडीसी, केरल	946
4	जीएससीडीसी, गुजरात	650
5	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	512

(च) महिला लाभार्थी		
रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	संख्या
1	डब्ल्यूबीएससीएसटी एवं ओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	30,000
2	एपीएससीसीएफसी, आंध्र प्रदेश	2,845
3	केएसडीसी, केरल	763
4	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	574
5	जीएससीडीसी, गुजरात	259

2.1.17 **वर्ष 2018–19 के लिए सर्वोत्तम पांच कार्य–निष्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**

अखिल भारत के लिए संवितरण लिया गया		
रैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैक का नाम	राशि (₹ करोड़)
1	आंध्रा बैंक	68.07
2	पंजाब नैशनल बैंक	27.24
3	सिंडिकेट बैंक	26.21
4	विजया बैंक	8.52
5	इलाहाबाद बैंक	5.39

2.1.18 वर्ष 2018–19 के लिए सर्वोत्तम पांच कार्य–निष्पादन करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

संवितरण लिया गया		
रैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र के बैंक का नाम	राशि (₹ करोड़)
1	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त, गोमती नगर, लखनऊ	60.75
2	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़, कर्नाटक	57.88
3	बडौदा यूपी ग्रामीण बैंक, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	36.00
4	पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला, पंजाब	33.87
5	काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	31.50

2.1.19 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलें

2.1.19(क) वसूली अवसंरचना के विकास (आईएसएसडीआरआई) के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की प्रोत्साहन योजना

आपका निगम 2007–08 से एक वित्तीय वर्ष में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा एनएसएफडीसी को चुकाई गई कुल राशि का 0.5% की दर से प्रोत्साहन देने के लिए योजना चला रहा है, यह ऐसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के लिए है, जिनकी वित्त वर्ष के अंत में संचयी वसूली 60% से अधिक है अथवा पिछले वित्तीय वर्ष से कम से कम 10% अंश (पॉइंट) का वसूली में सुधार है और जिन्होंने एनएसएफडीसी को शत–प्रतिशत अदायगी की है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के अनुरोध पर, योजना को नीचे दिए अनुसार उदार किया गया है:

(i) पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में, एनएसएफडीसी को शत–प्रतिशत अदायगी करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.5% उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5% पॉइंट है।

(ii) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अंत में एनएसएफडीसी को 90% अदा करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.25% उपलब्ध कराया जाएगा बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा उनका वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5 प्रतिशत पॉइंट है।

चूंकि योजना का राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा अच्छा स्वागत किया गया था, इसलिए इसका कार्यान्वयन 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

2.1.19(ख) राष्ट्रीय निष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार (एनएपीई) की योजना

आपका निगम, बेहतर निष्पादन करने वाले एससीए के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2007–08 से 'राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का रेटिंग तंत्र और बेहतर निष्पादन के लिए पुरस्कार की योजना' चला रहा है। योजना का नाम संशोधित कर 'निष्पादन उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना' (एनएपीई) कर दिया गया है। योजना में संशोधन भारत सरकार की वर्तमान प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

नई योजना वर्ष 2016–17 से लगभग ₹45.00 लाख प्रति वर्ष के कुल बजट से कार्यान्वित की जाएगी।

'निष्पादन उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' के अंतर्गत एससीए को निष्पादन प्रोत्साहन निम्न प्रकार से दिया जाएगाः

स्तर	पैरामीटर	पुरस्कार			कुल
		पहला	दूसरा	तीसरा	
I	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में ₹3.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए	5.00	3.00	2.00	10.00
II	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में ₹3.00 करोड़ से अधिक और ₹10.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए	7.00	5.00	3.00	15.00
III	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में ₹10.00 करोड़ से अधिक की निधि लेने वाले एससीए	10.00	6.00	4.00	20.00
	कुल	**22.00**	**14.00**	**9.00**	**45.00**

2.1.19(ग) <u>एनएसएफडीसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए)/चैनलाइजिंग एजेंसियों (सीए) के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यपालक विकास कार्यक्रम</u>

एनएसएफडीसी अधिकतम ₹50,000/- प्रति कार्यक्रम के बजट के साथ एससीए और सीए के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यपालक विकास कार्यक्रम का आयोजन कर सकता है।

2.1.20 <u>लाभार्थियों के लिए की गई पहलें</u>

2.1.20(क) <u>राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए एनएसएफडीसी ऋण नीति में संशोधन</u>

(i) अनुसूचित जाति के पात्र लाभार्थियों को दूसरी बार ऋण उपलब्ध कराया जाता है, यदि उन्होंने एनएसएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत प्रथम बार ऋण लिया है बशर्ते कि (i) पूर्व ऋण की पूर्ण चुकौती और (ii) एससीए/सीए द्वारा पूर्व ऋण के द्वारा वास्तविक परिसंपत्तियों के सृजन और व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने का प्रमाणपत्र हो।

(ii) पीएसबी/आरआरबी पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत न्यूनतम पुनर्वित्त बकाया राशि को घटाकर ₹10,000/- तथा अधिकतम पुनर्वित्त बकाया राशि को बढ़ाकर ₹45.00 लाख कर दिया गया है।

(iii) मियादी ऋण (टीएल) योजना के अंतर्गत यूनिट लागत में ₹30.00 लाख से ₹50.00 लाख तक वृद्धि।

(iv) वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) के अंतर्गत 7 वर्ष तक की चुकौती अवधि सहित दो वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए ₹1.50 लाख से ₹4.00 लाख तक यूनिट लागत में वृद्धि।

2.1.20(ख) <u>नई ऋण नीति और योजना का आरंभ</u>

(i) सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के लिए नई ऋण नीति शुरू की गई।

(ii) उद्यम निधि योजना के नाम से नई योजना प्रारंभ की गई जो सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

2.1.21 <u>स्वच्छ भारत अभियान</u>

स्वच्छ भारत अभियान के दौरान एमसीडी स्कूल, त्रिलोकपुरी, दिल्ली में पौधा रोपण

आपके निगम ने ''स्वच्छता'' संबंधी विभिन्न गतिविधियां निष्पादित कीं और विभिन्न जगहों और स्थानों पर पर्यावरण की स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी। एनएसएफडीसी ने जेजे क्लस्टर चित्रा विहार सी–ब्लॉक, प्रीत विहार, दिल्ली के झुग्गी बस्ती क्षेत्र बस्ती विकास केंद्र, त्रिलोकपुरी, दिल्ली, गांधी नगर, दिल्ली और ब्रह्मपुरी, दिल्ली में गैर–आवासीय विद्यालय में सफाई और अपशिष्ट संग्रह अभियान का आयोजन किया। एनएसएफडीसी ने प्रीत विहार झुग्गी बस्ती क्षेत्र, चित्रा विहार के जेजे क्लस्टर और त्रिलोकपुरी बस्ती में बेहतर स्वच्छता व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए घर–घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया। एनएसएफडीसी ने सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र, गांधी नगर, दिल्ली के शौचालयों और क्लास रूम का नवीनीकरण शुरू किया। निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में भूमि के ऊपर दो टैंक लगाए गए।

इसके अतिरिक्त, एनएसएफडीसी द्वारा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्राम– गट्टी राजो के, फिरोजपुर के साथ आकांक्षी जिला फिरोजपुर में स्वच्छ भारत पखवाड़ा मनाया गया और स्वच्छता के विषय पर स्कूल के बच्चों के बीच चित्रकला, पेंटिग, कविता, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गट्टी राजो के, फिरोजपुर, पंजाब के सीमाई क्षेत्र में रहने वाले लोग पिछले कई वर्षों से संदूषित और प्रदूषित जल का उपयोग कर रहे थे जोकि चर्म रोग सहित अन्य कई बीमारियों का मूल कारण था। आपके निगम ने इन गांवों में रहने वाले लोगों के लिए गहरे स्तर तक खुदा हुआ बोरबेल और आर.ओ. यंत्र स्थापित करने हेतु परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।

इसके साथ ही, आपके निगम ने आकांक्षी जिले फिरोजपुर (पंजाब), फतेहपुर (उ.प्र.), गया (बिहार), नर्मदा (गुजरात) और अन्य जगहों जैसे– बिजनौर (उ.प्र.), उज्जैन (म.प्र.), त्रिलोकपुरी (दिल्ली) और गांधीनगर (दिल्ली) में सैनिटर नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसीनेटर की भी स्थापना की।

2.1.22 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

एनएसएफडीसी में अंतराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

आयुष मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, एनएसएफडीसी ने 21 जून, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर, निगम के सभी कार्मिकों के लिए 'योग–सत्र' का आयोजन किया गया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय ने आपके निगम के कार्मिकों के योग प्रशिक्षण हेतु एक योग निर्देशिका को भेजा था। एनएसएफडीसी के सभी कार्मिकों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी की। आपके निगम ने एनएसएफडीसी कार्यालय परिसर में निगम के सभी कार्मिकों के लिए प्रतिदिन सायंकाल में नियमित रूप से योग–सत्र का आरंभ भी किया है।

2.1.23 सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण (Procurement) नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण (Procurement) नीति में संशोधन अनुसार सभी केंद्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादों और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्रापण के 5% के उप–लक्ष्य सहित 25% तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों से की जाएगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25% के लक्ष्य के अंदर महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से खरीद के लिए 3% का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जाएगा। आपके निगम ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति के अनुपालन में, वर्ष 2018–19 के दौरान अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

3. प्रचालनात्मक कार्य–निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन

3.1 आय और व्यय लेखा

(i) वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्रचालन (निवल) से आय (राजस्व) ₹57.21 करोड़ है। तथा प्रचालन (निवल) से प्रचालन लाभ या अधिशेष/राजस्व 64.93% है।

(ii) आपके निगम की आय ₹66.62 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018–19 में ₹71.33 करोड़ हो गई है।

(iii) कर्मचारी लागत सहित कुल व्यय ₹19.14 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018–19 में ₹20.06 करोड़ हो गया।

(iv) व्यय से आय की अधिकता, वर्ष 2017–18 के ₹47.48 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018–19 में ₹51.27 करोड़ है।

3.2 लाभ का विनियोजन

निगम व्यय से आय की अधिकता का 10% विशेष आरक्षित निधि में तथा शेष राशि सामान्य आरक्षित में अंतरित करता है। तद्नुसार, विशेष आरक्षित निधि में ₹5.12 करोड़ विनियोजित किया है और सामान्य आरक्षित में भावी संवितरण करने के लिए ₹46.15 करोड़ अंतरित किया है।

3.3 प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर अर्जन वर्ष 2017–18 के ₹36.71 और ₹36.71 (मूलभूत और तरलीकृत) की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान ₹35.13 और ₹35.13 (मूलभूत और तरलीकृत) है।

3.4 गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) / कुल ऋण (निवल)

वर्ष के दौरान, आपके निगम का गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) / कुल ऋण (निवल) का प्रतिशत 0.78% है।

3.5 ऋण संवितरण / कुल उपलब्ध निधि

वर्ष के दौरान, आपके निगम के ऋण संवितरण / कुल उपलब्ध निधि का प्रतिशत 79.09% है।

3.6 ऋण अतिदेय / कुल ऋण (निवल)

वर्ष के दौरान, आपके निगम का कुल ऋण अतिदेय / कुल ऋण (निवल) का प्रतिशत 20.29% है।

3.7 निवेश पर वापसी : कर पश्चात लाभ (पीएटी) या अधिशेष / औसत निवल मूल्य

वर्ष 2017–18 में निगम के निवल मूल्य ₹1745.89 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018–19 में ₹1959.95 करोड़ हो गया है। वर्ष के दौरान आपके निगम का कर पश्चात लाभ (पीएटी) या अधिशेष / निवल मूल्य 2.62% है।

4. निगम की कार्य पद्धति में सुधार

4.1 समझौता–ज्ञापन श्रेणीकरण (2017–18)

आपके निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए समझौता–ज्ञापन प्रस्तुत किया। लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने समझौता–ज्ञापन के लिए 61.78% का कंपोजिट स्कोर और "अच्छा" श्रेणी प्रदान की है।

एनएसएफडीसी को सर्वश्रेष्ठ वित्तीय निष्पादन की श्रेणी के लिए हिंदुस्तान रत्न पीएसयू पुरस्कार – 2018 प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार माननीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा माननीय सांस्कृतिक मंत्री, डॉ. महेश शर्मा, की उपस्थिति में माननीय रेल, वित्त और कोयला मंत्री, श्री पीयूष गोयल के कर कमलों से श्री श्याम कपूर, अ.प्र.नि. एनएसएफडीसी को प्रदान किया गया।

4.2 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

आपका निगम विभिन्न रिपोर्टों के सृजन के लिए आंतरिक रूप से तैयार किए गए मॉड्यूल में परियोजना संबंधी आंकड़ों के लिए डाटाबेस अनुरक्षित कर रहा है। विभिन्न वायरसों, स्पाईवेयर, एडवेयर और अन्य दोषपूर्ण प्रोग्रामों के प्रति आंकड़ों, हार्डवेयर और नेटवर्किंग के व्यापक संरक्षण के लिए आपके निगम ने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर संस्थापित किया है, जिसे आवधिक रूप से अपडेट किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु रिपोर्ट वर्ष के दौरान, पीसी, लैपटॉप, सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों का प्रापण किया गया।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देश पर, राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा एनएसएफडीसी के साथ मिलकर सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली (एसबीएमएस) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसे माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी, 2019 को लोकार्पण (लॉंच) किया गया था। सॉफ्टवेयर का उपयोग लक्षित लाभार्थियों द्वारा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋणों को ऑनलाइन प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

- आपके निगम ने एक नई गतिशील, दिव्यांग अनुकूल, द्विभाषी वेबसाइट प्रारंभ की है जो भारत सरकार के वेबसाइट दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुपालन में एक वेब आधारित कौशल प्रशिक्षण अनुप्रयोग है जिसे पूर्व वेबसाइट की जगह एनआईसी क्लाउड सर्वर में होस्ट किया जा रहा है।

- रोजगार योग्य कुशल व्यक्तियों के लिए एक 'जॉब पोर्टल' विकसित और शुरू किया गया है। यह पोर्टल उन उम्मीदवारों का विवरण रखता है जिन्हें एनएसएफडीसी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। इसका उपयोग विभिन्न संगठनों द्वारा आवश्यक कौशल समूह सहित कुशल उम्मीदवारों की खोज के लिए किया जा सकता है।

- ई–कार्यालय का कार्यान्वयन, एनएसएफडीसी मुख्यालय में कार्यान्वित कर दिया गया है।

- नया वेब–आधारित एनएसएफडीसी का ऋण लेखांकन सॉफ्टवेयर विकसित कर दिया गया है और वर्तमान में समानांतर चल रहा है।

- एनएसएफडीसी के अधिकारियों के लिए नया वेब–आधारित वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर/एसीआर) को विकसित और क्रियान्वित किया गया है।

माननीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री, श्री थावरचंद गेहलोत ने नई दिल्ली में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के समाज कल्याण विभाग के अपर सचिवों/प्रधान सचिवों के सम्मेलन में दि. 27 फरवरी, 2019 को सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली (एसबीएमएस) की शुरूआत की। एसबीएमएस साफ्टवेयर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर एनएसएफडीसी और अन्य निगमों के सहयोग से राष्ट्रीय ई–गवर्नेस प्रभाग, (एनईजीडी), एमईआईटीवाई, भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया। इस अवसर पर सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता, सुश्री नीलम साहनी, अप्रनि, एनएसएफडीसी श्री श्याम कपूर और अध्यक्ष एवं अध्यक्ष एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, एनईजीडी, श्री एम.एस.राव भी उपस्थित थे।

5. मानव संसाधन विकास

5.1 मानव पूंजी और एनएसएफडीसी स्टाफ का प्रशिक्षण

आपके निगम में 31 मार्च, 2019 को प्रधान कार्यालय और निगम के तीन संपर्क केंद्रों को मिलाकर कुल 79 कर्मचारी नियोजित थे। निगम, संगठनात्मक स्थापना में अलग–अलग व्यक्तियों और समूहों के जॉब कार्य–निष्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और विकास को, संगठनात्मक क्रियाकलापों से संबंधित कार्य के रूप में मानता है। मानव संसाधनों को, अधिनियमों, नियमों और व्यवसाय लक्ष्यों के अनुरूप बनाने की दृष्टि से कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, आपके निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रबंधन से संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रमुख संस्थानों में भेजा गया। प्रशिक्षण और संस्थानों के ब्योरे निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/संस्थान का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान का नाम
1.	एमएसएमई क्लस्टर के लिए सॉफ्ट व हार्ड इंटरवेंशन	एनई–एमएसएमई, हैदराबाद
2.	योग सत्र	आंतरिक प्रशिक्षण
3.	'लोक उद्यम सर्वेक्षण 2017–18 की ऑनलाइन डाटा इनपुट शीट भरने के लिए अनुदेश' पर कार्यशाला	भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली
4.	'स्वं–सहायता समूह के लिए सूक्ष्म, लघु उद्यम की उन्नति' पर प्रशिक्षण	एनई–एमएसएमई, हैदराबाद
5.	'प्रबंधन प्रभावशीलता' पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम	आईआईएम, कोलकाता

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/संस्थान का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान का नाम
6.	प्रबंधन प्रणाली ज्ञान पर कार्यशाला	डीपीई व ओएनजीसी
7.	सीआईआई सेक्टर में साइबर सुरक्षा चुनौती की पहल पर कार्यशाला	डाटा सिक्युरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) के साथ स्कोप
8.	जीएसटी पर कार्यशाला	आईएसटीएम, नई दिल्ली
9.	ई–ऑफिस पर कार्यशाला	आईएसटीएम, नई दिल्ली
10.	आरटीआई–अपीलीय प्राधिकारी पर कार्यशाला	आईएसटीएम, नई दिल्ली
11.	'वरिष्ठ और मध्य स्तर के लिए सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम' विषय पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम	आईआईएम, कोलकाता
12.	'गैर–वित्तीय कार्यपालकों के लिए वित्त' पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम	आईआईएम, कोलकाता
13.	'नेतृत्व और समूह निर्माण' पर प्रबंधन विकास पर कार्यक्रम	आईआईएम, कोलकाता
14.	'डिजिटल फोरेंसिक : चुनौती और भविष्य' पर कार्यशाला	राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड, भारतीय गुणवत्ता परिषद, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली
15.	'प्रबंधकीय नेतृत्व और संघर्ष समाधान' पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम	आईआईएम, कोलकाता
16.	'समय प्रबंधन और प्राथमिकता' पर प्रशिक्षण	मै. स्यानप्सेटेक ई–सर्विसेस प्रा. लि.
17.	पीएफएमएस–ईएटी मॉड्यूल पर प्रशिक्षण	मानस संसाधन मंत्रालय
18.	कंप्यूटर पर बेसिक प्रशिक्षण	एनएसआईसी, नई दिल्ली

5.2 निगम के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व

आपके निगम ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के लिए आरक्षण और छूट के लिए भारत सरकार की नीति का अनुपालन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त दि.04.06.2009 के पत्र सं.1–4/2009–सम के माध्यम से प्राप्त कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 14.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/17/2008–स्था.(आरक्षण) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के प्रतिनिधित्व संबंधी अपेक्षित डाटा निर्धारित प्रारूप में क्रमशः **अनुलग्नक–V, VI और VII** पर है।

5.3 भर्ती में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ध्यान देने के लिए उपाय

आपका निगम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.07.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39016/7(एस)/2006–स्था.(बी) में निहित दिशानिर्देशों और अन्य बातों के साथ–साथ अल्पसंख्यकों की भर्ती के लिए विशेष ध्यान देने के विचारार्थ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15–सूत्री कार्यक्रमों का पालन भी कर रहा है।

5.4 कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न

कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुपालन में, आपके निगम ने संगठन के परिसर में यौन उत्पीड़न की घटना/शिकायतों, यदि कोई है, की जांच करने के लिए प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्र स्तर पर 'आंतरिक शिकायत समिति' गठित की है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 22 के अनुपालन में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित है:

1.	वर्ष के दौरान प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निपटान किया गया	लागू नहीं
3.	ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक तक लंबित थे	लागू नहीं
4.	लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	–
5.	नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप	अपेक्षित नहीं

6. अन्य उपलब्धियां

6.1 राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

एनएसएफडीसी, संघ की राजभाषा नीति और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, निगम के कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है। हिंदी कार्यान्वयन का कार्य मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग के अंतर्गत हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक और सहायक द्वारा उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता में किया जाता है।

6.1.1 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाता है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2018–19 और अन्य आदेश/निदेश, एनएसएफडीसी के भी विभागों/अनुभागों/संपर्क केंद्रों को उनके अनुपालन हेतु भेजे जाते हैं। राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु निर्धारित और तैयार किए जाते हैं।

6.1.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

एनएसएफडीसी में हिंदी के प्रगामी प्रयोग और प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित होने वाली इसकी बैठकों को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा नीति के अनुसार एनएसएफडीसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एनएसएफडीसी की 'राजभाषा कार्यान्वयन समिति' गठित है। वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें क्रमशः 22.06.2018, 04.09.2018, 26.12.2018 और 28.03.2019 को आयोजित की गईं। समिति ने वार्षिक कार्यक्रम 2018–19 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित

1967) और राजभाषा नियम, 1976 के संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की। समिति ने इस संबंध में, आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा की और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित सुझावों की सिफारिश की।

6.1.3 हिंदी कार्यशाला का आयोजन

वर्ष के दौरान, राजभाषा हिंदी में टिप्पण और मसौदा लेखन को प्रोत्साहित करने, इनस्क्रिप्ट/लिप्यंतरण/गूगल वाइस टाइपिंग टूल्स द्वारा यूनिकोड में हिंदी टाइपिंग सहित राजभाषा में कार्य करने के कौशल को बढ़ाने के लिए एनएसएफडीसी के कार्मिकों के लिए दिनांक 27.06.2018, 10.09.2018, 11.09.2018, 28.12.2018 और 29.03.2019 को पांच आंतरिक कार्यालयीन (इन–हाऊस) कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके साथ ही संघ की राजभाषा नीति के नवीनतम प्रावधानों को साझा किया।

6.1.4 हिंदी प्रोत्साहन योजनाएं

'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए हिंदी में अधिकाधिक काम करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्मानित किया गया जैसे – (1) मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना, (2) अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना, (3) हिंदी में कार्यालयीन टाइपिंग और आशुलिपि कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता योजना, (4) राजभाषा चल शील्ड, (5) श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना और (6) स्टाफ का समवर्ती मूल्यांकन पुरस्कार योजना। श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना के अंतर्गत श्री प्रमोद कुमार झा, कनिष्ठ कार्यपालक, कौशल प्रशिक्षण विभाग को राजभाषा हिंदी में सराहनीय कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। राजभाषा चल शील्ड पुरस्कार के अंतर्गत मानव संसाधन विभाग को सम्मानित किया गया और विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को नकद और विशेष बैच से सम्मानित किया गया।

प्रशासन विभाग को वर्ष 2017–18 की राजभाषा चल शील्ड प्रदान की गई

श्री पी.के. झा. कनिष्ठ कार्यपालक को 'शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान से सम्मानित किया गया

6.1.5 हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा

वर्ष के दौरान, 14 सितंबर, 2018 को हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी के संदेश पढ़े गए। कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाने हेतु निगम के कार्मिकों द्वारा प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्रों में 06–20 सितंबर, 2018 की अवधि के दौरान 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया गया। पखवाड़े के दौरान, प्रधान कार्यालय, दिल्ली में प्रश्न मंच, हिंदी

टंकण और हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और संपर्क केंद्रों में हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

6.1.6 राजभाषा सांस्कृतिक संध्या और काव्य गोष्ठी

हिंदी पखवाड़ा के दौरान एनएसएफडीसी द्वारा आयोजित राजभाषा सांस्कृतिक संध्या और काव्य गोष्ठी के दौरान प्रसिद्ध कवि डॉ. लक्ष्मी शंकर बाजपेयी को सम्मानित करते अ.प्र.नि., एनएसएफडीसी

'राजभाषा सांस्कृतिक संध्या और काव्य गोष्ठी' का आयोजन 29.09.2018 को एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी के साथ संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर, एनएसएफडीसी के अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु एक लघु नाटक 'हिंदी की दशा' प्रस्तुत किया। दर्शकों ने अभिनय और नाटक की सराहना की। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों ने भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके बाद, काव्यगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कवि डा. लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, श्रीमती ममता किरण वाजपेयी, श्री महेंद्र शर्मा, श्री नश्तर अमरोहवी और श्री दिनेश रघुवंशी ने अपनी कविताओं का पाठ किया जिसे दर्शकों द्वारा सराहा गया।

6.2 सतर्कता जागरुकता सप्ताह

सर्तकता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर सत्यनिष्ठा शपथ लेते एनएसएफडीसी कार्मिक

वर्ष के दौरान, आपके निगम में केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 'भ्रष्टाचार मिटाओ – नया भारत बनाओ' विषय पर दिनांक 29.10.2018 से 02.12.2018 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह–2018 मनाया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन दिनांक 29.10.2018 को आपके निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को संगठन और नागरिकता के लिए ईमानदारी की शपथ दिलाने के साथ आरंभ हुआ। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने कार्मिकों को सतर्कता के महत्व पर संबोधित किया। इसी प्रकार, आपके निगम के संपर्क केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने–अपने संपर्क केंद्रों में भी शपथ लेने के साथ 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' आरंभ हुआ।

आपके निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभ के लिए भारत के महामहीम राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार और मुख्य सतर्कता आयुक्तों के संदेशों को भी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया। सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर एनएसएफडीसी व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी भी प्रदर्शित की गई थी।

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के दौरान आपके निगम द्वारा आंतरिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर आयोजित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने की अनुभूतिपूर्ण आवश्यकता पर विचार करने और ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर/नारे प्रदर्शित किए गए।

सप्ताह के दौरान, निगम के कर्मचारियों के लिए 30.10.2018 को ''भ्रष्टाचार मिटाओं – नया भारत बनाओं'' विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ निबंधों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपरोक्त के अलावा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2018 के दौरान, एनएसएफडीसी के बोर्ड कक्ष में दिनांक 02.11.2018 को एनएसएफडीसी के सभी कार्मिकों के लिए 'निवारक सतर्कता' विषय पर एक कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यशाला में महाप्रबंधक (मासं) श्री वी.एस.एन. राव, एमएमटीसी ने अपना वक्तव्य दिया जिन्हें सतर्कता मामलों से निपटने का व्यापक अनुभव है। श्री राव ने कार्मिकों को निवारक सतर्कता पर सीवीसी द्वारा बनाई गई फिल्म दिखाई और एक घंटे की पावर पाइंट प्रस्तुति भी दी। प्रस्तुति के बाद, कार्मिकों की सतर्कता जागरूकता का आकलन करने के लिए बहु विकल्पीय प्रश्नोत्तर भी पूछे गए। कार्मिकों ने बहुत उत्साह से कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी करके इसे संवादपूर्ण कार्यशाला बनाया।

6.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपका निगम अक्तूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन कर रहा है।

(i) अपने कार्मिकों सहित निगम के कार्य का ब्योरा निगम की वेबसाइट (www.nsfdc.nic.in) पर दिया गया है।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत, यथा अपेक्षित मैनुअलों को तैयार किया गया और वेबसाइट पर दिया गया।

(iii) निगम ने अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अपीलीय प्राधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी को पदनामित किया।

(iv) निगम आरटीआई के शुरूआती वर्ष 2016–17 से ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रबंधित आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर अनुकूलन के जरिए आरटीआई को ऑनलाइन कार्यान्वित कर रहा है।

(v) केंद्रीय सूचना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुपालन के संबंध में पारदर्शिता लेखापरीक्षा की सुविधा दी है।

(vi) वर्ष के दौरान, 71 आरटीआई आवेदन और 3 अपील प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों/अपीलों को निर्धारित समय के अंदर निपटाया गया।

(vii) केंद्रीय सूचना आयोग को ऑन–लाइन रिपोर्ट किए गए अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदनों की वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान प्रत्येक तिमाही की स्थिति नीचे दी जा रही है:

	तिमाही के आरंभ में प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित होकर प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील को रद्द किया	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील को स्वीकार किया
पहली तिमाही के दौरान प्रगति (अप्रैल से जून, 2018)						
अनुरोध	02	05	11	01	01	12
पहली अपील	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0
दूसरी तिमाही के दौरान प्रगति (जुलाई से सितंबर, 2018)						
अनुरोध	04	10	15	05	01	17
पहली अपील	0	लागू नहीं	02	लागू नहीं	0	01
तीसरी तिमाही के दौरान प्रगति (अक्तूबर से दिसंबर, 2018)						
अनुरोध	06	07	10	05	0	17
पहली अपील	01	लागू नहीं	01	लागू नहीं	0	01
चौथी तिमाही के दौरान प्रगति (जनवरी से मार्च, 2019)						
अनुरोध	01	04	09	02	0	05
पहली अपील	01	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	01
	नामोद्दिष्ट सीएपीआईओ की कुल संख्या		नामोद्दिष्ट सीपीआईओ की कुल संख्या		नामोद्दिष्ट पारदर्शिता अधिकारी की कुल संख्या	नामोद्दिष्ट अपीलीय अधिकारी की कुल संख्या
	0		1		1	1

ब्लॉक II (संगृहीत शुल्क, प्रभारित दंड और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विवरण)

	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
धारा 7(1) के अंतर्गत संगृहीत पंजीकरण शुल्क (₹ में)	50	30	30	30
धारा 7(3) के अंतर्गत संगृहीत अतिरिक्त शुल्क (₹ में)	55	0	0	92

(viii) केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड सूचना का अधिकार पर चौथी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.03.2019 तक के सूचना का अधिकार के 02 आवेदन लंबित थे। इन आवेदनों का बाद में निर्धारित समय सीमा में जवाब दिया गया।

6.4 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

आपके निगम द्वारा किए गए क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(एम) के अंतर्गत विवरणों के प्रकटीकरण के दायरे में नहीं आते, जहां तक यह ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित है।

6.5 वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का सार

कंपनी की वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का सार फार्म संख्या एमजीटी–9 में **अनुलग्नक–VIII** पर अनुबद्ध है।

7. कर्मचारी और संबंधित प्रकटन का विवरण

अधिनियम की धारा 197(12) के प्रावधान और कंपनी नियम, 2014 के नियम 5(2) 5(3) (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के संबंध में पूर्ण वर्ष तक नियोजित रहे कर्मचारियों, जिन्हें उक्त नियमों में दी सीमा से अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है, के नाम और विवरण इसके साथ **अनुलग्नक–IX** पर अनुबद्ध हैं।

पारिश्रमिक संबंधी प्रकटन और अधिनियम की धारा 197(2) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के तहत आवश्यक अन्य विवरणों को वार्षिक लेखे में दिया गया है।

8. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास (सीएसआर और एसडी) नीति बनाई और बोर्ड को संस्तुति के लिए प्रस्तुत की गई है। कंपनी के कार्यकलापों को दर्शाने वाली कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nsfdc.nic.in/en/csr पर देखा जा सकता है।

सामुदायिक केंद्र, गाँधी नगर, नई दिल्ली में स्थापित सैनिटरी नैपकिन वैडिंग मशीन का उद्घाटन करते अप्रनि, एनएसएफडीसी

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक–X** में संलग्न है।

9. संसाधन संपर्क कार्यक्रम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में कुछ प्रकटीकरण अपेक्षित हैं। आपका निगम अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों को पूरा करता है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आने वाली निगमित कंपनियां, जो दिनांक 27.02.2014 की अधिसूचना के अनुसार जारी नई कंपनी नियमावली (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति), 2014 में भी उल्लेखित हैं कि वे कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी।

दि. 31.07.18 को लागत भागीदारी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य सीएसआर गतिविधियों को आयोजित करने के लिए सीएसआर भागीदारी के लिए टेक महिंद्रा फाउंडेशन के साथ समझौता – करार हस्ताक्षरित किया गया। श्री चेतन कपूर, मुख्य प्रचालन अधिकारी, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और श्री देवानंद, मुख्य महाप्रबंधक एनएसएफडीसी ने अप्रनि, एनएसएफडीसी की उपस्थिति में समझौता – करार हस्ताक्षरित किया और परस्पर अंतरित किया।

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत लाभ कमाने वाले तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों क्रमशः भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमआईसीएल) और ब्रिज एडं रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड से स्वीकृति मिली है। इसके अलावा, आपके निगम ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में लागत साझा करने के लिए कॉर्पोरेट फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। कॉर्पोरेट फाउंडेशन के अंतर्गत टाटा स्ट्राइव, टेक महिंद्रा फाउंडेशन, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, डामिया भारत फाउंडेशन और हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट है। इसके अलावा, पूर्व स्वीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधियों के एवज में, वर्ष के दौरान संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को ₹ 121.10 लाख की राशि निर्मुक्त की गई।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उपरोक्त परियोजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं।

10. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

कंपनी, कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस का पालन करती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट इस रिपोर्ट का अविभाज्य अंग है और **अनुलग्नक–XI** पर है। कंपनी के लेखापरीक्षकों से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण–पत्र कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हैं एवं कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट **अनुलग्नक–XII** पर अनुबद्ध हैं।

11. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की अध्यक्षता, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने की। दिनांक 31.03.2019 को बोर्ड में 11 सदस्य थे। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संबद्ध कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

12. निदेशक मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की दो बैठकें आयोजित हुईं। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुबद्ध कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

12.1 पारिश्रमिक समिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं हुई।

12.2 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की शर्तें पूरी करता है। कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी (अध्यक्ष), श्री एस. एम. आवले (सदस्य) और श्री श्याम कपूर (सदस्य) थे। श्रीमती अन्नु भोगल (कंपनी सचिव), लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया।

12.3 जागरूक तंत्र

प्रशासनिक मंत्रालय के आदेशों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो कंपनी के पृथक और स्वतंत्र विभाग अर्थात् सतर्कता विभाग के प्रभारी हैं। इसके अलावा, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के अंतर्गत निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को व्हिसल ब्लोअर द्वारा भी सुरक्षित प्रकटन किया जा सकता है।

13. जोखिम प्रबंधन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइनों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल द्वारा जोखिम का उचित मूल्यांकन करने, प्रबंधन, निर्धारित कार्य (फ्रेम वर्क) और आंतरिक जोखिम मूल्यांकन को भी कम करने, कॉरपोरेट के साथ एकीकृत करने के लिए खाका तैयार करने हेतु जोखिम प्रबंधन नीति अनुमोदित की गई है।

कंपनी, मुख्य जोखिम एवं अनिश्चितताएं, जो कंपनी की कार्यनीति के उद्देश्य की प्राप्ति के सामर्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, को सुलझाने का प्रबंध, अनुश्रवण करती है तथा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। कंपनी की प्रबंधन समिति, संगठनात्मक ढांचा, प्रक्रिया और स्तर तथा आचार संहिता बताती है कि कंपनी व्यापार को तथा उससे जुड़े जोखिमों को कैसे प्रबंधित करती है।

14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जांच की गई और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

15. वार्षिक आम बैठक

वर्ष के दौरान, वर्ष 2017–18 के लेखों को अपनाने के लिए दिनांक 25.09.2018 को 29वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई थी। संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नाम में एक शेयर के सिवाय संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा धारित है, जिनका प्रतिनिधित्व सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करता है। वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखे निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ अपनाए गए।

16. निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकों का कहना है कि

(i) वार्षिक लेखे को तैयार करने में उपयुक्त लेखा मानदंडों का पालन किया गया है तथा दिए गए तथ्यों संबंधी उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

(ii) वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए आय व व्यय का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।

(iii) निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

(v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने योग्य आंतरिक नियंत्रणों को बनाया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपयुक्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और ऐसी उपयुक्त एवं प्रभावी प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी।

17. लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

17.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स नरेश के. गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। इस रिपोर्ट में कंपनी की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के उत्तर क्रमशः **परिशिष्ट – क और ख** पर दिए गए हैं।

17.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एमएबी–IV के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) और (7) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखे पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां और कंपनी का उत्तर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–ग पर है।

17.3 आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध समिति के लिए कार्य प्रबंधन कोड और नीति बनाई है। कंपनी के सभी निदेशक मंडल और कोड के अनुपालन को मुख्य अधिकारियों ने स्वीकार किया है।

18. सामान्य

आपके निदेशक बताते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोई खुलासा अथवा रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है:

(i) धारा 149 की उप धारा (6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा पर बयान;

(ii) यदि कंपनी धारा 178 की उप धारा (1) के अंतर्गत शामिल है तो अर्हताएँ निश्चित करने के मानदंड, कंपनी की नीति, सकारात्मक विशेषताएँ, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा धारा 178 की उप धारा (3) के अंतर्गत दिए अन्य मामलों सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति;

(iii) धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण;

(iv) धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ संविदा अथवा व्यवस्था संबंधी निर्धारित प्रारूप में विवरण;

(v) राशि, यदि कोई है, उसे लाभांश के रूप में अदा करने के लिए संस्तुत किया जाना चाहिए;

(vi) प्राधिकारियों अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई विशेष या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भावी प्रचालन को प्रभावित करें।

19. आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, निगम के कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिसके परिणामस्वरूप लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा निर्धारित समझौता–ज्ञापन लक्ष्य के तहत 'उत्कृष्ट' निष्पादन श्रेणी प्राप्त हुई।

आपके निदेशकगण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को आपके निगम को बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए समय–समय पर मार्गदर्शन देने में सतत सहायता करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण, कंपनी कार्य विभाग, लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं राज्य स्तर के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों तथा अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा दी गई सतत सहायता के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, कंपनी के लेखापरीक्षकों की सतत् सलाह एवं मार्गदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह०
(के. नारायण)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03561648

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 18.09.2019

अनुलग्नक–I
(पैरा 1.5 देखें)

संगठन का चार्ट (31.03.2019 को)

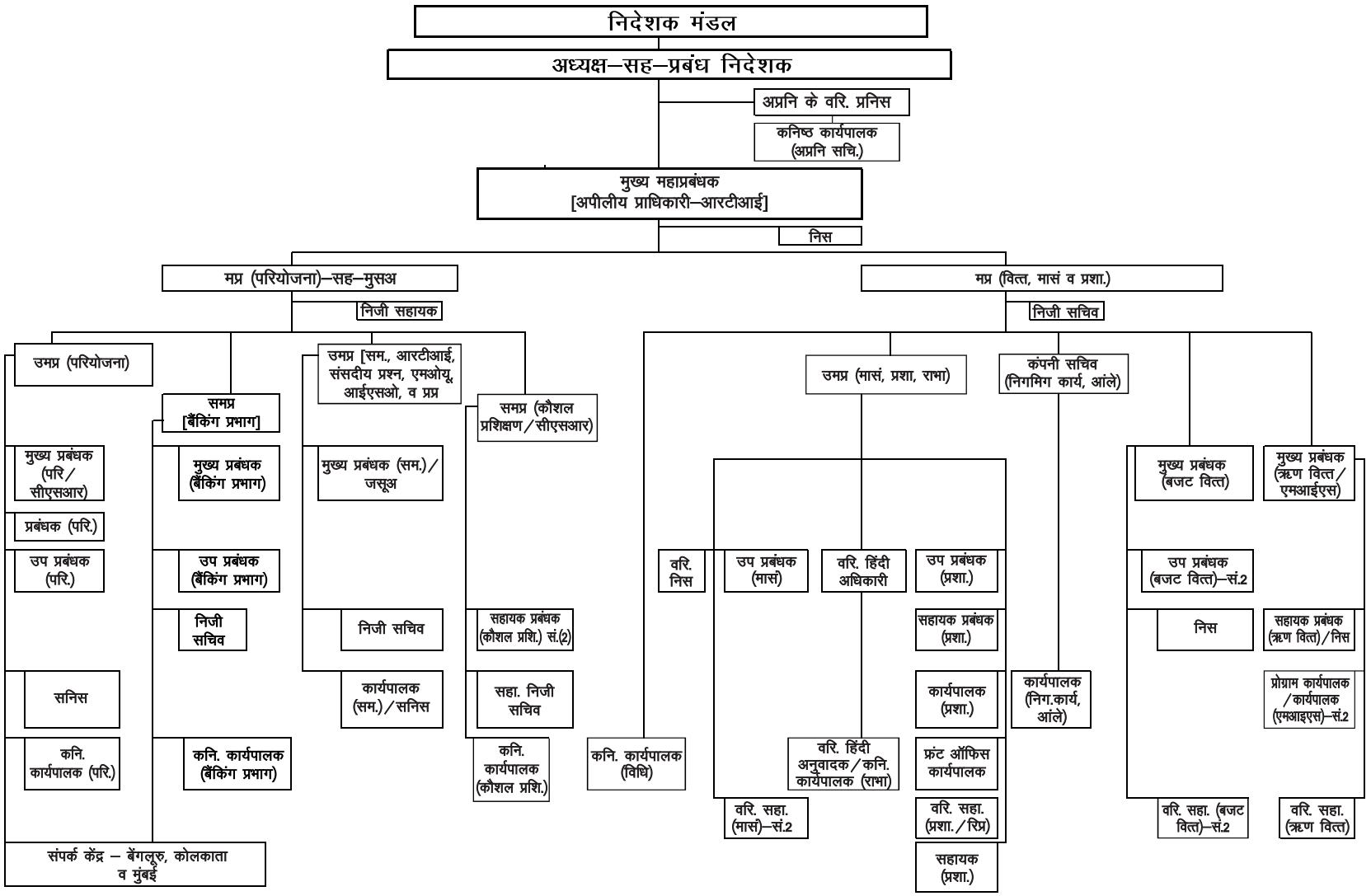

अनुलग्नक–II (क)

(पैरा 1.7 देखें)

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
1	आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड
2	असम	2. असम राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड
3	बिहार	3. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़	4. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
5	गोवा	5. गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
6	गुजरात	6. गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम
		7. डॉ. अम्बेडकर अंतोदय और विकास निगम
7	हरियाणा	8. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
8	हिमाचल प्रदेश	9. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम
9	झारखंड	10. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम
10	जम्मू व कश्मीर	11. जम्मू व कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड
11	कर्नाटक	12. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विकास निगम लिमिटेड
12	केरल	13. केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड
		14. केरल राज्य महिला विकास निगम
13	मध्य प्रदेश	15. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
14	महाराष्ट्र	16. महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड
		17. साहित्यरत्न लोकशाहिर अन्ना भाऊ साठे विकास निगम
		18. संत रोहिदास चर्मोद्योग एवं चर्मकार विकास निगम
15	मणिपुर	19. मणिपुर जनजाति विकास निगम लिमिटेड
		20. मणिपुर राज्य अजजा और अजा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड
16	मेघालय	21. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड
17	मिजोरम	22. मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड
		23. मिजोरम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
18	ओडिशा	24. ओडिशा अजा और अजजा विकास वित्त सहकारी निगम लिमिटेड
19	पंजाब	25. पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम
20	राजस्थान	26. राजस्थान अजा और अजजा वित्त एवं विकास सहकारी निगम
21	सिक्किम	27. सिक्किम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम
22	तमिलनाडु	28. तमिलनाडु आदि द्रविड़ गृह एवं विकास निगम
23	तेलंगाना	29. तेलंगाना अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड
24	त्रिपुरा	30. त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड
25	उत्तर प्रदेश	31. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
26	उत्तराखंड	32. उत्तराखंड बहु–उद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम
27	पश्चिम बंगाल	33. पश्चिम बंगाल अजा एवं अजजा विकास एवं वित्त निगम
28	चंडीगढ़	34. चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड
29	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन व दीव	35. दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम
30	दिल्ली	36. दिल्ली अजा/अजजा/अपि वर्ग/अल्पसंख्यक और विकलांग जन वित्तीय एवं विकास निगम
31	पुदुचेरी	37. पुदुचेरी आदि द्रविड़ विकास निगम लिमिटेड

टिप्पणी: विवरणिका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप राज्य और संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर है, जिनमें जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार वहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है।

अनुलग्नक – II (ख)
(पैरा 1.7 देखें)
(2 का 1)

चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची – वैकल्पिक चैनल

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
1	आंध्र प्रदेश	1. चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर
		2. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल
		3. सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर
		4. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडप्पा
2	असम	5. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, गुवाहाटी
		6. ग्रामीण विकास एवं वित्त प्राइवेट लिमिटेड, छयगांव
		7. असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
		8. लंगपी देहांगी रूरल बैंक, सतगांव
3	बिहार	9. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
		10. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
4	गुजरात	11. देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधी नगर
		12. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच
		13. श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद
		14. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
5	हरियाणा	15. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
		16. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, गुडगांव
6	हिमाचल प्रदेश	17. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
7	झारखंड	18. झारखंड सिल्क, टेक्सटाइल्स एवं हैंडिक्राफ्टस विकास निगम, रांची
		19. वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका
8	कर्नाटक	20. सिंडिकेट बैंक, बैंगलूरू
		21. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी
		22. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़
		23. कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर
		24. विजया बैंक, बैंगलूरू
		25. केनरा बैंक, बैंगलूरू
9	केरल	26. केरल ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम
10	महाराष्ट्र	27. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद
		28. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर
		29. अनिक वित्तीय सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद
		30. देना बैंक, बांद्रा, मुंबई
		31. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई
		32. बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई
11	मध्य प्रदेश	33. मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर
		34. नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक, इंदौर
12	ओडिशा	35. संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, राउलकेला
13	पंजाब	36. पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
14	राजस्थान	37. राजस्थान मरूधर बैंक, जोधपुर

अनुलग्नक – II (ख)
(पैरा 1.7 देखें)
(2 का 2)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
15	तमिलनाडु	38. इंडियन ओवरसीज बैंक, चैन्ने
		39. पल्लवन ग्रामा बैंक, सेलम
		40. पांडयन ग्रामा बैंक, विरुद्धनगर
16	तेलंगाना	41. आंध्रा बैंक, हैदराबाद
		42. तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
		43. स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, हैदराबाद
17	त्रिपुरा	44. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
18	उत्तर प्रदेश	45. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर
		46. इलाहाबाद, यू.पी. ग्रामीण बैंक, बांदा
		47. सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक, मेरठ
		48. बड़ौदा यू.पी. ग्रामीण बैंक, रायबरेली
		49. यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक, लखनऊ
		50. प्रथम बैंक, मुरादाबाद
		51. काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी
		52. ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त, गोमतीनगर, लखनऊ
19	उत्तराखंड	53. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून
20	पुद्दुचेरी	54. पुद्दुवई भरतियार ग्रामा बैंक, मुथियालपेट
21	पश्चिम बंगाल	55. इलाहाबाद बैंक, कोलकाता
		56. ब्रिट्टी प्रोशिक्षण प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
22	दिल्ली	57. डॉन बास्को टेक सोसायटी, नई दिल्ली
		58. पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली
		59. पंजाब एंड सिंध बैंक, नई दिल्ली

अनुलग्नक–III
(पैरा 2.1.2(ग)(i) देखें)

समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की उपलब्धियां [2018–19]

क्रम सं.	निष्पादन मापदंड	इकाई	अंक	'उत्कृष्ट' लक्ष्य (2018–19)	उपलब्धि
(क)	**अनिवार्य मानदंड**				
(i)	कारोबार–प्रचालन से आय	करोड़ रुपए	10	36.00	57.21
(ii)	प्रचालन से आय के प्रतिशत के रूप में प्रचालन लाभ या अधिशेष (निवल)	प्रतिशतता	20	45.00%	64.93%
(iii)	औसत निवल मूल्य के रूप में पीएटी या अधिशेष	प्रतिशतता	20	1.80%	2.62%
(ख)	**वैकल्पिक मानदंड**				
(i)	संवितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि	प्रतिशतता	15	68.00%	79.09%
(ii)	अतिदेय ऋण/कुल ऋण (निवल)	प्रतिशतता	10	23.50%	20.29%
(iii)	एनपीए/कुल ऋण (निवल)	प्रतिशतता	05	1.03%	0.78%
(iv)	**मानव संसाधन प्रबंधन**				
(क)	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का ऑनलाइन कार्यान्वयन (कर्मचारी डाटा प्रबंधन, कर्मचारी स्वयं सेवा, निकासी प्रक्रिया, प्रतिभा प्रबंधन आदि को ऑनलाइन करने सहित) और वित्त के साथ इसका एकीकरण	दिनांक	05	15-10-2018	5-10-2018
(ख)	भारत में उत्कृष्ट केंद्र जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई इत्यादि में प्रशिक्षण द्वारा प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर प्रगति	कार्मिकों की संख्या	05	5	5
(v)	**कोई अन्य विशिष्ट परिणामोन्मुखी मापनीय मानदंड**				
(क)	"प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार/स्व–रोजगार" प्रदान करना	व्यक्तियों की संख्या	10	13,000	13,668
	कुल		**100**		

अनुलग्नक–IV
(पैरा 2.1.13 देखें)

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (2018–19) के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार सार

(संख्या में)

क्रम.सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आरंभ किए गए कार्यक्रम (प्रशिक्षणार्थी)	पूर्ण कार्यक्रम (प्रशिक्षणार्थी)
1	आंध्र प्रदेश	517	197
2	असम	1130	80
3	बिहार	850	520
4	छत्तीसगढ़	530	0
5	दिल्ली	686	509
6	गुजरात	154	90
7	हरियाणा	220	208
8	हिमाचल प्रदेश	107	80
9	जम्मू व कश्मीर	120	0
10	झारखंड	630	450
11	कर्नाटक	847	402
12	केरल	257	227
13	मध्य प्रदेश	1589	939
14	महाराष्ट्र	801	141
15	ओडिशा	980	413
16	पंजाब	979	724
17	राजस्थान	406	166
18	तमिलनाडु	2059	1174
19	तेलंगाना	375	223
20	त्रिपुरा	123	120
21	उत्तर प्रदेश	4415	2430
22	उत्तराखंड	246	80
23	पश्चिम बंगाल	1068	830
	सकल कुल	**19089**	**10003**

अनुलग्नक–V
(पैरा 5.2 देखें)

अजा/अजजा/अपिव रिपोर्ट–I

वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम : **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली**

समूह	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01.01.2019 को)				कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा		
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
समूह 'क' प्रबंधकीय/ कार्यपालक स्तर*	38	09	02	05	1	-	-	-	03	01	01	-	-	-
समूह 'ख' गैर–पर्यवेक्षीय स्तर	09	03	01	02	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-
समूह 'ग' गैर–कार्यपालक स्टाफ (सफाई कर्मियों के अलावा)	33	17	01	08	6	-	-	02	02	-	01	-	-	-
कुल	**80**	**29**	**4**	**15**	**7**	**-**	**-**	**2**	**6**	**1**	**2**	**-**	**-**	**-**

*अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित।

अनुलग्नक–VI
(पैरा 5.2 देखें)
अजा/अजजा/अपिव रिपोर्ट–II

वर्ष की पहली जनवरी को समूह 'क' की विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम : **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली**

वेतनमान (रुपयों में)	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01.01.2019 को)				कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			अन्य पद्धति द्वारा		
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
प्रतिनियुक्ति पर अप्रनि [कॉमंभ पद्धति]	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-7: ₹100000-260000	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-6: ₹90000-240000	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-5: ₹80000-220000	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-4: ₹70000-200000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-3: ₹60000-180000	7	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-2: ₹50000-160000	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ई-1: ₹40000-140000	9	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ई-0: ₹30000-120000	10	3	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
कुल	**38**	**9**	**2**	**5**	**1**	-	-	-	**3**	**1**	**1**	-	-	-

अनुलग्नक – VII
(पैरा 5.2 देखें)

बैंचमार्क दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व (1 जनवरी, 2019 को यथास्थिति)

समूह	कार्मिकों की संख्या				सीधी भर्ती द्वारा							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या		
	कुल	दृबा	श्रबा	शावि	दृबा	श्रबा	शावि	कुल	दृबा	श्रबा	शावि	दृबा	श्रबा	शावि	कुल	दृबा	श्रबा	शावि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह 'क'	38	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	33	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**80**	**1**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणीः बैंचमार्क दिव्यांगजन का समग्र प्रतिनिधित्व 3.75% है।
(दृबा – दृष्टि बाधित, श्रबा – श्रवण बाधित, शावि – शारीरिक विकलांग)

अनुलग्नक–VIII
(पैरा 6.5 देखें)
(पृष्ठ 6 का 1)

प्ररूप एमजीटी–9
वार्षिक विवरणी का सार
31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसार

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

I. पंजीकरण और अन्य ब्योरे

(i)	सीआईएन	U93000DL1989NPL034967
(ii)	पंजीकरण की तारीख	8 फरवरी, 1989
(iii)	कंपनी का नाम	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
(iv)	कंपनी की श्रेणी / उप श्रेणी	प्राइवेट कंपनी / शेयर्स द्वारा परिसीमित
(v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क के ब्योरे	14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092
(vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है?	जी नहीं।
(vii)	रजिस्ट्रार और स्थानांतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क के ब्योरे	लागू नहीं।

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल आवर्त का 10% या अधिक का अंशदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को निर्दिष्ट किया जाएगाः–

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	वित्तीय	99912	100%

III. स्वामित्व, सहायक और सहयोगी कंपनियों के विवरणः–

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन / जीएलएन	स्वामित्व / सहायक / सहयोगी	धारित शेयर का %	लागू धारा
1					
2					

IV शेयर धारण प्रतिमान (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में साम्य शेयर पूंजी ब्योरा)

अनुलग्नक–VIII
(पैरा 6.5 देखें)
(पृष्ठ 6 का 2)

(i) श्रेणी–वार शेयर धारण

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(क) प्रवर्तक									
(1) **भारतीय**									
(क) एकल/अ.हि.प.									
(ख) केंद्र सरकार	-	13480100	13480100	100	-	14854000	14854000	100	शून्य
(ग) राज्य सरकार(रें)									
(घ) निकाय/निगम									
(ङ) बैंक/वि.सं.									
(च) कोई अन्य									
उप–जोड़ (क) (1)									
2 विदेशी									
(क) अ.भा.–एकल									
(ख) अन्य – एकल									
(ग) निकाय निगम									
(घ) बैंक/वि.सं.									
(ङ) कोई अन्य									
उप–जोड (क) (2)									
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (क) = क(1)+ (क)(2)									
(ख) पब्लिक शेयरधारिता									
1. संस्थाएँ									
(क) म्युचुअल फंड									
(ख) बैंक/वि.सं.									
(ग) केंद्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार(रें)									
(ङ) उद्यम पूंजी कोष									
(च) एफआईआईएस									
(छ) विदेशी संस्थागत निवेशक									
(ज) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
उप–जोड़ (ख)(1)									

अनुलग्नक–VIII
(पैरा 6.5 देखें)
(पृष्ठ 6 का 3)

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
2. गैर संस्थागत									
(क) कॉर्पोरेट निकाय									
(i) भारतीय									
(ii) **विदेशी**									
(ख) व्यक्तिगत									
(i) ₹1.00 लाख तक की सांकेतिक शेयर पूंजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक									
(ii) ₹1.00 लाख से अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक									
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
उप–योग (ख) (2)									
कुल पब्लिक शेयर धारित (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)									
(ग) जीडीआर एवं एडीआर अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर									
सकल योग (क+ख+ग)									

(ii) संप्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता			वर्ष के अंत में शेयर धारिता			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	13480099	99.999%	-	14853999	99.999%	-	शून्य
2	श्री बी.एल मीणा	1	0.001%	-	1	0.001%	-	शून्य
	कुल	**13480100**	**100%**	-	**14854000**	**100%**	**-**	**-**

अनुलग्नक-VIII
(पैरा 6.5 देखें)
(पृष्ठ 6 का 4)

(iii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में कृपया स्पष्ट करें) – अपरिवर्तित

क्रम. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के प्रारंभ में	13480100	100%		
2	वर्ष के प्रारंभ में वृद्धि/गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए (अर्थात् आबंटन अंतरण/बोनस/ श्रमसाध्य साम्य आदि) वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/गिरावट	700000 (14.05.18) 673900 (16.07.18)		700000 (14.05.18) 673900 (16.07.18)	
3	वर्ष के अंत में	**14854000**	**100%**	**14854000**	**100%**

(iv) शीर्ष दस शेयर धारकों (निदेशकों, संप्रवर्तकों एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) का शेयर धारिता
प्रतिमान : शून्य

क्रम. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के प्रारंभ में				
2	बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आबंटन/अंतरण/बोनस/श्रमसाध्य साम्य इत्यादि) शेयर धारिता में वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथि–वार बढ़त/घटत				
3	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए)				

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिता:

क्रम. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.001	1	0.001
2	बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आबंटन/अंतरण/बोनस/श्रमसाध्य साम्य इत्यादि) शेयर धारिता में वर्ष के दौरान तिथि–वार बढ़त/घटत				
3	वर्ष के अंत में	1	0.001	1	0.001

अनुलग्नक-VIII
(पैरा 6.5 देखें)
(पृष्ठ 6 का 5)

(vi) ऋणग्रस्तता

कंपनी की बकाया/प्रोद्भूत किंतु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज समाहित ऋणग्रस्तताः शून्य

	जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i) मूलधन				
(ii) देय किंतु अप्रदत्त ब्याज				
(iii) प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज				
योग				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन – अभिवर्धन – कटौती				
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
(i) मूलधन				
(ii) देय किंतु अप्रदत्त ब्याज				
(iii) प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज				

(vii) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक

(क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि (₹)
1	**सकल वेतन**					
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन	**श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**				42,28,135/-
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य					शून्य
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ					शून्य
	स्टॉक विकल्प					शून्य
	श्रमसाध्य साम्य					शून्य
	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट करें					शून्य
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें					शून्य
	योग (क)					42,28,135/–
	अधिनियम के अनुसार सीमा					लागू नहीं

अनुलग्नक-VIII
(पैरा 6.5 देखें)
(पृष्ठ 6 का 6)

(ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिकः

(₹ में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
		विशाखा सैलानी	के. रामलिंगम*	
1	स्वतंत्र निदेशक			
	– बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस	28,000	4,000	32,000
	– कमीशन			
	– अन्य, विनिर्दिष्ट करें	2,19,600	33,936	2,53,536
	योग (1)	2,47,600	37,936	2,85,536
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक			
	– बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस			
	– कमीशन			
	– अन्य, विनिर्दिष्ट करें			
	योग (2)			
	कुल (2) = (1+2)	2,47,600	37,936	2,85,536
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा			

* दिनांक 20.03.2019 से प्रभावी

(ग) प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक के विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी*	जोड़
1	सकल वेतन		20,36,936	19,49,183	39,86,119
(क)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन	-	-	-	-
(ख)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-
(ग)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	श्रमसाध्य साम्या	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-
	– लाभ के प्रतिशत के रूप में	-	-	-	-
	– अन्य, विनिर्दिष्ट करें	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	1,76,962	1,70,770	3,47,732
	योग		22,13,898	21,19,953	43,33,851

* दिनांक 09.08.2018 से प्रभावी

(viii) शास्ति या दंड या अपराध उपशमनः शून्य

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शास्ति/दंड/अपराध उपशमन की फीस	प्राधिकारी (प्रादेशिक निदेशक या एनसीएलटी न्यायालय)	अपील, यदि हो (ब्योरा दें)

अनुलग्नक–IX
(पैरा 7 देखें)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत अपेक्षित कर्मचारियों के विवरण

(क) समीक्षाधीन पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित थे और वित्तीय वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक का कुल योग ₹1,02,00,000/- से कम नहीं था:

क्रम सं.	नाम और आयु	पदनाम और ड्यूटियों का स्वरूप	प्राप्त पारिश्रमिक	अर्हताएँ	अनुभव (वर्ष)	नियोजन प्रारंभ की तारीख	पूर्व नियोजन	अधिनियम की धारा 217 की उप–धारा (2क) के खंड (क) के उप–खंड (iii) के अर्थांतर्गत में कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
–शून्य–								

(ख) वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित थे एवं प्राप्त पारिश्रमिक प्रतिमाह ₹8,50,000/- की दर से कम न हो।

क्रम सं.	नाम और आयु	पदनाम और ड्यूटियों का स्वरूप	प्राप्त पारिश्रमिक	अर्हताएँ	अनुभव (वर्ष)	नियोजन प्रारंभ की तारीख	पूर्व नियोजन	ऊपर उप–नियम (2) के उप–खंड (iii) के अर्थांतर्गत कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	क्या ऐसा कोई कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का रिश्तेदार है और यदि हां, तो उस निदेशक या प्रबंधक का नाम
–शून्य–									

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त सभी नियुक्तियों की शर्तें एवं निबंधन कंपनी के नियमों के अनुसार हैं।
2. प्राप्त किए गए पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वेतन, भत्ते और बोनस शामिल हैं।
3. यदि पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए नियोजित किया गया है, तो उस वर्ष में प्राप्त कुल पारिश्रमिक अथवा याथास्थिति, ऐसी दर पर प्राप्त किया जो, प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक के वेतन से अधिक था और जो स्वयं अथवा अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का न्यूनतम 2 प्रतिशत धारित करता हो।

अनुलग्नक–X
(पैरा 8 देखें)
(4 का पृष्ठ 1)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर रिपोर्ट

यह निगम समावेशी आर्थिक विकास में दृढ़ता से विश्वास करता है। इस सिद्धांत पर कंपनी की सीएसआर पहलें आधारित हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अनुसूची VII विभिन्न क्षेत्रों को सूचीबद्ध करती है जिनमें कारर्पोरेट संस्थाओं (एंटिटी) से उनके सीएसआर निधियों को खर्च करने और सामाजिक विकास के लिए कार्यक्रमों को लागू करने की अपेक्षा की जाती है। एनएसएफडीसी ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कंपनी के सीएसआर पहलों को रणनीतिक रूप से चुना है।

1. कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना

निगम की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास (सीएसआर और एसडी) नीति जो कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा ''डीपीई के दिशानिर्देशों'' के अनुरूप तैयार किया गया है। सीएसआर नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है।

कंपनी ने निम्नलिखित निदेशकों सहित बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर कमेटी) गठित कीः–

(i)	श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी	अध्यक्ष
(ii)	श्री एस. एम. आवले, महाप्रबंधक (लेखा परीक्षा), आईडीबीआई बैंक	सदस्य
(iii)	श्री गुलाब सिंह, उप सचिव, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
(iv)	श्रीमती अन्नु भोगल, एनएसएफडीसी, कंपनी सचिव	सचिव

सीएसआर और एसडी नीति के अनुसार, सामाजिक दायित्व और सतत् विकास (सीएसआर और एसडी) नीति गतिविधियों को सीएसआर की आंतरिक समिति द्वारा कारपोरेट कार्यालय में समन्वित किया जाता है। यह समिति सीएसआर और एसडी गतिविधियों की देखरेख करने वाले बोर्ड द्वारा गठित सीएसआर समिति के प्रति उत्तरदायी है। वर्तमान में, सीएसआर की आंतरिक समिति का गठन निम्नानुसार हैः

(i)	श्री सी. रमेश राव, महाप्रबंधक (परियोजना)	अध्यक्ष
(ii)	श्रीमती अन्नु भोगल, कंपनी सचिव	सदस्य
(iii)	श्री डेविड रांगते, उप महाप्रबंधक	सदस्य
(iv)	श्री सपन बरुआ, सहायक महाप्रबंधक	सदस्य
(v)	श्री थोटा सतीश, मुख्य प्रबंधक	सदस्य

आकांक्षी जिला फिरोजपुर, पंजाब में एनएसएफडीसी द्वारा आयोजित चिकित्सा – सह– जागरूकता शिविर कार्यक्रम

एनएसएफडीसी ने सीएसआर की पहल के रूप में गंगा नदी, छपरा, बिहार में स्वच्छ गंगा निधि : घाट कार्य व नदी के सौदंर्यीकरण के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में अंशदान दिया।

अनुलग्नक–X
(पैरा 8 देखें)
(4 का पृष्ठ 2)

2. गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत निवल लाभ

(₹ लाख में)

(i)	**व्यय से अधिक आय(ईओआईओई)**	**राशि 2018-19**	**राशि 2017-18**
	2014-15	-	3614.09
	2015-16	4405.48	4405.48
	2016-17	4900.92	4900.92
	2017-18	4751.61	-
(ii)	**कुल (ईओआईओई)**	**14058.01**	**12920.49**
(iii)	घटाएं: अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए समायोजन	**0.32**	**0.54**
(iv)	निवल लाभ	14057.69	12919.95
(v)	औसत (iv / 3)	4685.90	4306.65
(vi)	निर्धारित सीएसआर व्यय अर्थात् (v) का 2%	93.72	86.13
(vii)	वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित राशि	53.38	-
(viii)	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	41.77	32.76
(ix)	वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित राशि (vi + vii - viii)	105.33	53.38

3. अव्ययित राशि का कारण

लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 10.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सीएसआर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है और प्रत्येक वर्ष एक विषय (थीम) आधारित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है। लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर के लिए स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रित हस्तक्षेप को सामान्य (विषय) के रूप में पहचाना गया है। अतएव, विषय आधारित कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट कार्यान्वयन एजेंसियों के अभाव की वजह से वर्ष 2018–19 के दौरान राशि अव्ययित रह गई।

अनुलग्नक–X
(पैरा 8 देखें)
(4 का पृष्ठ 3)

4. <u>वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए/चल रहे विषयगत परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा यहां दिया गया है:</u>

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं	अभिज्ञात सीएसआर परियोजना कार्यकलाप	वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाया गया	परियोजना या कार्यक्रम वार परिव्यय (बजट) राशि*	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ 6क + ₹ 6ख)	खर्च की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय (क)	परिव्यय (ऊपरी व्यय) (ख)		
1.	स्वच्छता और सफाई (स्वच्छता पखवाड़ा)	आस–पड़ोस, गलियों, पगडंडियों की सफाई, स्थानीय जगहों पर कूड़ेदान का वितरण, पार्कों में पौधा रोपण, प्रशिक्षण केंद्र में शौचालय की मरम्मत एवं नवीकरण और घर–घर जाकर सामूहिक अभियान के माध्यम से स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण के लिए सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना।	1) स्थानीय क्षेत्र जेजे क्लस्टर, चित्रा विहार, दिल्ली, प्रीत विहार, दिल्ली, गांधीनगर, दिल्ली, त्रिलोकपुरी, दिल्ली और ब्रह्मपुरी, दिल्ली का गैर–आवासीय विद्यालय 2) <u>राज्य और जिले</u> गट्टी राजो के, फिरोजपुर, पंजाब	129782	129782	-	129782	प्रत्यक्ष
2.	सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की स्थापना	सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानव अपशिष्ट और मल के पर्याप्त उपचार	<u>राज्य व जिले</u> फिरोजपुर (पंजाब), फतेहपुर (उप्र), गया (बिहार) नर्मदा (गुजरात) के	133574	133574	-	133574	प्रत्यक्ष

अनुलग्नक–X
(पैरा 8 देखें)
(4 का पृष्ठ 4)

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं	अभिज्ञात सीएसआर परियोजना कार्यकलाप	वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाया गया	परियोजना या कार्यक्रम वार परिव्यय (बजट) राशि*	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ 6क + ₹ 6ख)	खर्च की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय (क)	परिव्यय (ऊपरी व्यय) (ख)		
		और निपटान संबंधी विभिन्न स्थानों पर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इन्सीनेटर (भस्मक) लगाए गए।	आकांक्षी जिले और अन्य स्थान जैसे बिजनौर (उप्र), उज्जैन (मप्र), त्रिलोकपुरी (दिल्ली) और गांधीनगर (दिल्ली)					
3.	चिकित्सा–सह –जागरूकता शिविर	सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर निशुल्क नेत्र जांच और चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया।	राज्य व जिले फिरोजपुर (पंजाब), फतेहपुर (उप्र), गया (बिहार) नर्मदा (गुजरात) के आकांक्षी जिले और अन्य स्थान जैसे बिजनौर (उप्र)	913786	913786	-	913786	प्रत्यक्ष
4.	सीएसआर परियोजना के तहत स्वच्छ गंगा निधि (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)	• घाट का अंगीकण • नई तकनीकें अपनाना • शोध संचालन • जागरूकता उत्पन्न करना • पौधा रोपण इत्यादि	गंगा नदी क्षेत्र (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)	3000000	3000000	-	3000000	प्रत्यक्ष
कुल				**4177142**	**4177142**	**-**	**4177142**	

अनुलग्नक–XI
(पैरा 10 देखें)
(7 का पृष्ठ 1)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित अभिशासन) रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड (निगमित अभिशासन की संहिता) संबंधी कंपनी की राय पर विवरण

निगमित अभिशासन में एक प्रणाली शामिल है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि कंपनी मामलों को इस प्रकार प्रबंधित किया जा रहा है कि जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यापक अर्थों में सभी लेन–देन में निष्पक्षता है। इसका उद्देश्य हितधारकों (स्टेक होल्डरों) और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करना है। सुशासन संगठन की गतिशील उन्नति और सकारात्मक मानसिकता से उत्पन्न प्रथा है। हम अपने सभी हितधारकों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं, जोकि हमारे संबंध में भारत सरकार है। इसे अभिशासन प्रक्रियाओं में प्रदर्शित किया है और एक उद्यमी प्रदर्शन कामकाज के माहौल को केंद्रित करता है।

तेजी से विकास के बावजूद, वित्तीय प्रतिरोध (exclusion), अस्वीकार्य गरीबी स्तर, बेरोजगारी, पारंपरिक कृषि गतिविधियों से घट रहे आय के स्तर और कौशल की कमी अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास में प्रमुख चुनौती बनी रहती है। हालांकि, अनुसूचित जाति के विकासात्मक मानदंडों में 2001 से सुधार हुआ है। फिर भी, समाज में मुख्यधारा और अनुसूचित जाति की आबादी के बीच की खाई अभी भी बनी हुई है। पर्यावरण क्षरण और लिंग असमानता के साथ–साथ विकास में असंतुलन, समावेशी उन्नति को प्राप्त करने में मुख्य चुनौतियां उत्पन्न करते हैं।

एनएसएफडीसी को सुशासन को उन्नत करने और सेवाओं में सुधार करने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की क्षमता के विकास की पहल का समर्थन करने की आवश्यकता है। एनएसएफडीसी को भी अपने प्रचालन में सुशासन के तत्वों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का गठन और निदेशकों के पद

भारत के राष्ट्रपति, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कंपनी में निदेशकों को नियुक्त करते हैं। बोर्ड के निदेशकों के गठन में 15 पद हैं। दिनांक 31.03.2019 को बोर्ड में 11 सदस्य थे।

अनुलग्नक–XI
(पैरा 10 देखें)
(7 का पृष्ठ 2)

बोर्ड का गठन और निदेशकों की श्रेणी नीचे दी जा रही है:–

श्रेणी	निदेशक का नाम	स्थिति में
पूर्णकालिक, कार्यपालक, प्रबंध निदेशक	श्री श्याम कपूर	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
सरकारी निदेशक*:–		
(क) सा.न्या.अधि.मं. का प्रतिनिधित्व	श्री बी.एल. मीणा श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी	संयुक्त सचिव (एससीडी), सा.न्या.अधि.मं. वित्तीय सलाहकार, सा.न्या.अधि.मं.
(ख) अन्य मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व	श्री गुलाब सिंह श्री पीयूष श्रीवास्तव	वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग के प्रतिनिधि एमएसएमई के प्रतिनिधि
(ग) अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व	श्री एस.एम. आवले श्री भास्कर पंत	आईडीबीआई के प्रतिनिधि नाबार्ड के प्रतिनिधि
(घ) एससीए का प्रतिनिधित्व	श्री कैजांग छोफेल लामा श्री लाचीराम भुक्या	सिक्किम एससीए के प्रतिनिधि तेलंगाना एससीए के प्रतिनिधि
गैर–सरकारी निदेशक	सुश्री विशाखा सैलानी डॉ. के. रामालिंगम	

*अंशकालिक सरकारी निदेशक पदेन सदस्य हैं और उनकी अवधि कंपनी के बोर्ड में नियुक्ति के समय सरकार में उनके संबंधित पद की अवधि की सह–सीमा अवधि है।

2.2 निदेशक मंडल की बैठकें और प्रक्रिया

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कार्यकलापों की देखरेख के लिए गठित शीर्षस्थ समिति है। बोर्ड कंपनी की कार्यनीति के लिए निर्देश, प्रबंधन नीतियों और उसकी प्रभाविता देता है व मूल्यांकन करता है तथा सुनिश्चित करता है कि शेयर धारकों (भारत सरकार) का दीर्घावधि हित बना रहे।

2.3 तारीख सहित बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान, न्यूनतम दो बैठकों की आवश्यकता की तुलना में बोर्ड की दो बैठकें आयोजित हुईं। बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:–

बोर्ड की बैठक	तारीख	निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
149वीं	09-08-2018	10	06
150वीं	20-03-2019	11	09

एनएसएफडीसी धारा–8 कंपनी है और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार धारा 173(1) के तहत छूट प्राप्त है और इसके बजाय ''उस सीमा तक लागू होगी कि ऐसी कंपनियों के निदेशक मंडल प्रत्येक छः कैलेंडर माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करेंगे।"

अनुलग्नक–XI
(पैरा 10 देखें)
(7 का पृष्ठ 3)

2.4 बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	से	तक	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या (2018–19)	अवधि के दौरान बैठकों में उपस्थिति संख्या (2018–19)
श्री श्याम कपूर	29.07.2016	आज तक	2	2
श्री गुलाब सिंह	26.08.2014	आज तक	2	2
श्री बी.एल. मीणा	04.06.2015	आज तक	2	1
श्री सलिल एम. आवले	04.06.2015	आज तक	2	2
श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी	14.01.2016	आज तक	2	2
श्री लाचीराम भुक्या	23.03.2018	आज तक	2	-
श्री कैजांग छोफेल लामा	17.04.2017	आज तक	2	1
श्री भास्कर पंत	23.03.2018	आज तक	2	2
श्री पीयूष श्रीवास्तव	23.03.2018	आज तक	2	-
सुश्री विशाखा सैलानी	17.04.2017	आज तक	2	2
डॉ. के. रामालिंगम	20.03.2019	आज तक	1	1

2.5 निदेशकों की नियुक्तियां और उनके कार्यकाल की समाप्ति

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:–

क्रम सं.	निदेशक का नाम	से	तक	समाप्ति का कारण
1	डॉ. के. रामालिंगम	20.03.2019	आज तक	नियुक्ति

2.6 बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की कार्यवाही का रिकार्ड

कंपनी सचिव द्वारा बोर्ड और समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की कार्यवाही को रिकार्ड किया जाता है। बोर्ड के सदस्यों को उनकी टिप्पणी के लिए कार्यवृत्त का मसौदा परिचालित किया जाता है। बोर्ड/समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की स्थिति पर एक कार्रवाई रिपोर्ट बोर्ड/समिति के सदस्यों के सूचनार्थ रखी जाती है।

अनुलग्नक–XI
(पैरा 10 देखें)
(7 का पृष्ठ 4)

2.7 निदेशकों के लिए पारिश्रमिक

2.7.1 पूर्णकालिक, कार्यपालक, प्रबंध निदेशक

केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करने वाला सरकारी पत्र नियुक्ति की अवधि, वेतनमान आदि सहित उनकी नियुक्ति के विस्तृत निबंधनों और शर्तों को इंगित करता है और यह भी बताता है कि पत्र में शामिल अन्य निबंधनों और शर्तों के संबंध में, निगम के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

2.7.2 अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशक

अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशकों को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क का भी भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकारी निदेशकों में से कोई भी कंपनी के साथ किसी भी तरह का आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं करता है।

2.7.3 स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को लाभार्थियों और प्रशिक्षण संस्थानों के आधिकारिक दौरे पर खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। निदेशक मंडल ने दिनांक 20.03.2019 को आयोजित अपनी 150वीं बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड की बैठक/समिति की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों के निगम के निदेशक मंडल में आगमन अर्थात् दिनांक 17.04.2017 से प्रतिदिन ₹4,000/- की फीस अनुमोदित और तय की।

सुश्री विशाखा सैलानी को दिनांक 17.04.2017 को एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से वे निम्नलिखित बोर्ड बैठको/वार्षिक आम बैठकों में भाग ले चुकी हैं:

बोर्ड बैठक की तारीख	बोर्ड बैठक/वार्षिक आम बैठक की सं.	भाग लेने हेतु प्रदत्त फीस (₹ में)
17.04.2017	145वीं बोर्ड बैठक	4000/-
21.08.2017	146वीं बोर्ड बैठक	4000/-
29.09.2017	28वीं वार्षिक आम बैठक	4000/-
15.11.2017	147वीं बोर्ड बैठक	4000/-
23.03.2018	148वीं बोर्ड बैठक	4000/-
09.08.2018	149वीं बोर्ड बैठक	4000/-
20.03.2019	150वीं बोर्ड बैठक	4000/-

डॉ. के. रामालिंगम को 150वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 20.03.2019 को एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तद्नुसार, डॉ. के.रामालिंगम को कुल ₹4000/- बैठक की फीस दी जाती है।

अनुलग्नक–XI
(पैरा 10 देखें)
(7 का पृष्ठ 5)

2.8 आचार संहिता

एनएसएफडीसी एक सुपरिभाषित आचार संहिता का पालन करता है, जो सत्यनिष्ठा, हित–संघर्ष और गोपनीयता के मुद्दों को काफी हद तक संबोधित करता है और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर जोर देता है, जो कि सुशासन का आधार है। आचरण संहिता बोर्ड स्तर और बोर्ड से नीचे स्तर तक लागू है। अर्थात् सामान्य प्रबंधन कैडर तक बोर्ड स्तर से एक ग्रेड नीचे तक मौजूद है और रिर्पोटिंग वर्ष के लिए बोर्ड/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (महाप्रबंधकों) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

3 वार्षिक आम बैठक

पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान कंपनी की वार्षिक आम बैठक सचिव कक्ष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 6ठी मंजिल ('ए' विंग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, आयोजित वार्षिक आम बैठकों की तारीख और समय तथा उसमें पारित विशेष संकल्प निम्नलिखित हैं:

वर्ष	तारीख	समय	पारित विशेष संकल्प
2015 -16	27.09.2016	अपराह्न 3.00 बजे	शून्य
2016 -17	29.09.2017	दोपहर 12.00 बजे	शून्य
2017 -18	25.09.2018	अपराह्न 2.30 बजे	शून्य

4. लेखा परीक्षा समिति

निगम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 (पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 के तहत) के अधीन एक लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कंपनी है और न ही एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक है। यह एक निजी सरकारी कंपनी है और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि कंपनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा के तहत नहीं आती है, इसलिए लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान निगम पर लागू नहीं था। हालांकि, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई के लिए जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन दिनांक 14.01.2016 को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित निर्देश के संबंध में किया गया था।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05.06.2015 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें धारा–8 कंपनियों को ''धारा 177 की उपधारा (2) में 'बहुमत वाले ऐसे स्वतंत्र निदेशकों के साथ' शब्दों को छोड़ दिया जाएगा'' की छूट दी गई है। तदनुसार, बोर्ड किसी निदेशक को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार धारा 8 कंपनियों के लिए स्वतंत्र निदेशकों के सदस्य के रूप में छूट दी गई है। लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के तहत इस तरह की भूमिकाओं को खारिज किया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की क्रमशः दिनांक 09.08.2018 और 20.03.2019 को दो बैठकें हुईं।

अनुलग्नक–XI
(पैरा 10 देखें)
(7 का पृष्ठ 6)

5. **कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति**

कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची–VII के अनुरूप किया गया है। वर्तमान सीएसआर समिति में श्री श्याम कपूर (अध्यक्ष), श्री एसएम आवले (सदस्य) और श्री गुलाब सिंह (सदस्य) शामिल हैं।

वर्ष के दौरान दिनांक 09.08.2018 और 20.03.2019 को समीक्षा हेतु समिति की दो बार बैठक हुई। अन्य विषयों के साथ–साथ सीएसआर समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

(i) बोर्ड को सीएसआर नीति का गठन और अनुशंसा।

(ii) सीएसआर व्यय की सिफारिश।

(iii) सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन।

6. **प्रकटीकरण**

6.1 वास्तविक महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन पर प्रकटीकरण कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध हो सकता है

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी संबंधित पार्टियों के साथ वेतन, भत्तों और गृह ऋण के अलावा, कोई वास्तविक लेन–देन नहीं किया।

6.2 गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देशों से संबंधी किसी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा गैर–अनुपालन, अर्थ–दंड कर कंपनी पर लगाया गया दोषारोपण का ब्योरा

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, गत तीन वर्षों के दौरान, कंपनी पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अर्थ दंड/दोषारोपण नहीं लगाया गया है।

6.3 अनुपालन

कंपनी सचिव को बैठक (बैठकों) की कार्यसूची और कार्यवृत्त पर टिप्पणी बनाते समय निगम के संबंध में लागू अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बने नियमों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी नियमों में संस्तुत सचिवालयी मानकों (सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। संबंधित विभागाध्यक्ष अपने संबंधित कार्य के अनुसार सभी लागू कानून और विनियमों के लिए जवाबदेह है।

अनुलग्नक–XI
(पैरा 10 देखें)
(7 का पृष्ठ 7)

7. **मुखबिर (व्हिसल ब्लोअर) नीति**

कंपनी अपनी सभी व्यापारिक गतिविधियों में नीतिपरक व्यवहार को बढ़ावा देती है और कंपनी ने गैर–कानूनी अथवा गैर–नीतिपरक व्यवहार की रिपोर्ट के लिए एक तंत्र बनाया है। कंपनी के पास सतर्क तंत्र और मुखबिर नीति है, जिसमें कर्मचारीगण लागू कानून और विनियमों तथा आचरण संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

8. **संचार के साधन**

कंपनी अपनी वेबसाइट पर अन्य महत्वपूर्ण सूचना सहित निगम की वार्षिक रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। वार्षिक रिपोर्ट और शेयर धारकों से संबंधित अन्य दस्तावेज नियमित रूप से लोक सभा और राज्य सभा में मूलतः प्रस्तुत किए जाते हैं।

9. **अनुपालन प्रमाणपत्र**

यह रिपोर्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के आवश्यक दिशानिर्देशों के अंतर्गत है और उसमें दिशानिर्देशों के अनुबंध–VII में दिए गए सभी सुझाव के मद शामिल हैं। लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित निगमित अभिशासन की आवश्यकता सहित अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन संबंधी एक व्यवसायरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के **अनुलग्नक–XI** पर संलग्न है।

निदेशकों की समिति का गठन करते समय, यह सुनिश्चित और अनुपालन करना अपेक्षित होगा कि एक निदेशक 10 से अधिक समितियों का निदेशक और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। किसी भी गैर–सरकारी निदेशक को किसी सूचीबद्ध कंपनी में गैर–सरकारी निदेशक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।

एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव
जी–41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली – 110 008
फोनः 91–11–4509230, मो: 91–9818156340, ई–मेलः nazim@mnkassociates.com

अनुलग्नक–XII
(पैरा 10 देखें)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाण–पत्र

(डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, 2010 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन के खंड 8.2.1 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजानिक क्षेत्र उद्यम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन, 2010 में निर्धारित किए अनुसार नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (कंपनी) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन और उसके साथ जुड़े अनुलग्नकों की जाँच की।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंध समिति की है। हमारी जाँच उक्त उल्लेखित गाइडलाइनों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई हुई उस प्रक्रिया और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न लेखापरीक्षा है न ही कंपनी की वित्तीय विवरिणका पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय और उत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने डीपीई गाइडलाइनों में दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन निम्नांकित को छोड़कर किया हैः

1. सरकार ने डीपीई गाइडलाइन द्वारा तय सीमा से अधिक नामांकित निदेशकों की नियुक्ति की है;

2. स्वतंत्र निदेशकों की कुल संख्या कुल बोर्ड सदस्यों में से कम से कम 50% (कार्यकारी अध्यक्ष के साथ सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में) और कम से कम एक तिहाई (कार्यकारी अध्यक्ष के बिना सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में) होनी चाहिए। हालांकि, कंपनी के रिकॉर्ड देखने पर हमने पाया कि निदेशक की नियुक्ति अधिसूचना के माध्यम से संबंधित मंत्रालय द्वारा की जाती है और मंत्रालय ने कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए अधिसूचना जारी की।

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, पारिश्रमिक समिति के पुनर्गठन पर निर्णय लंबित होने के कारण पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं की जा सकी।

अनुलग्नक–XII
(पैरा 10 देखें)
(पेज 2 का 2)

हम यह भी बताते हैं कि ऐसे अनुपालन, कंपनी की न ही भावी व्यवहार्यता और न ही कुशलता अथवा प्रभावकारिता, जिससे प्रबंध समिति ने कंपनी कार्य को निष्पादित किया है, के लिए आश्वासन हैं।

कृते एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएनरू एल2018डीई004900

ह.
मोहम्मद नजीम खान
(नामित भागीदार)
सीपी 8245
एफसीएसः 6529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 21.08.2019

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
I.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर–चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	455.89	483.75
	(ख) विनिधान संपत्ति	4	13.49	14.17
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	11.39	1.29
	(घ) विकासोन्नत अमूर्त परिसंपत्तियां	6	-	10.35
	(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) ऋण	7	1,02,756.66	89,843.63
	(ii) अन्य	8	4.34	4.34
	(च) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9	62.02	50.04
			1,03,303.79	90,407.58
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकद और नकद के समकक्ष	10	6,532.76	1,454.97
	(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा बैंक शेष	11	17,698.07	32,051.87
	(iii) ऋण	7	72,972.25	60,962.73
	(iv) अन्य	12	5,348.46	5,179.66
	(ख) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	13	12.00	11.65
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	85.52	106.89
			1,02,649.06	99,767.77
	कुल परिसंपत्तियां		**2,05,952.85**	**1,90,175.35**
II.	**इक्विटी और दायित्व**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	1,48,540.00	1,34,801.00
	(ख) अन्य इक्विटी	16	52,794.26	47,405.03
			2,01,334.26	1,82,206.03
2	**दायित्व**			
(i)	**गैर–चालू दायित्व**			
	(क) प्रावधान	17	326.74	283.56
			326.74	283.56
(ii)	**चालू दायित्व**			
	(क) वित्तीय दायित्व			
	(i) उधार राशि	18	-	4,747.17
	(ii) अन्य	19	3,636.69	2,492.49
	(ख) अन्य चालू दायित्व	20	47.41	46.75
	(ग) प्रावधान	17	607.75	399.34
			4,291.85	7,685.75
	कुल इक्विटी और दायित्व		**2,05,952.85**	**1,90,175.35**
III.	वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी सं. 1–49 देखें।			

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते नरेश के गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002232 N

ह०
मनीष गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 093880

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2019

ह०
(राजेश बिहारी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह०
(देवानन्द)
मुख्य महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(एस. एम. आवले)
निदेशक
डीआईएन – 06804536

ह०
(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02643416

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
I	प्रचालनों से प्राप्त आय	21	5,721.38	3,944.08
II	अन्य आय	22	1,411.39	2,717.60
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**7,132.77**	**6,661.68**
IV	**व्यय**			
	कर्मचारी हित व्यय	23	1,503.99	1,360.16
	वित्त लागत	24	23.56	89.56
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25	43.90	42.17
	एससीए को प्रोत्साहन	26	83.24	89.12
	प्रशिक्षण व्यय – लाभार्थी		6.77	8.44
	कारपोरेट सामजिक दायित्व व्यय	39	41.77	32.76
	अन्य व्यय	27	302.87	292.16
	कुल व्यय (IV)		**2,006.10**	**1,914.38**
V	**असाधारण मदों और करों से पूर्व व्यय से अधिक आय (III - IV)**		5,126.67	4,747.30
VI	असाधारण मदें	28	-	(0.22)
VII	**कर–पूर्व व्यय से अधिक आय (V - VI)**		5,126.67	4,747.52
VIII	कर व्ययः			
	(1) वर्तमान कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX	**निरंतर प्रचालनों की अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (VII-VIII)**		**5,126.67**	**4,747.52**
X	अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय		-	-
XI	अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XII	अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय (X - XI)		-	-
XIII	**इस अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (IX + XII)**		**5,126.67**	**4,747.52**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	29	0.38	(109.97)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिसे आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		-	-
	ख. (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
XV	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (जिसमें व्यय से अधिक आय और इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल है)**		**5,127.05**	**4,637.55**

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः**			
	(निरंतर प्रचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	30	35.13	36.71
	(2) तरलीकृत (₹ में)	30	35.13	36.71
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः**			
	(अनिरंतर प्रचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹ में)		-	-
	(2) तरलीकृत (₹ में)		-	-
XVIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः**			
	(अनिरंतर और निरंतर प्रचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	30	35.13	36.71
	(2) तरलीकृत (₹ में)	30	35.13	36.71
XIX	**वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियों को देखें**			

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते नरेश के गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002232 N

ह०
मनीष गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.093880

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2019

ह०
(राजेश बिहारी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह०
(देवानन्द)
मुख्य महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(एस. एम. आवले)
निदेशक
डीआईएन – 06804536

ह०
(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02643416

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि (₹ लाख में)
1 अप्रैल, 2018 को शेष	**134.80**	**1,34,801.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम	13.74	13,739.00
31 मार्च, 2019 को शेष	**148.54**	**1,48,540.00**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष		कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	
वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	-	3,964.11	43,440.92	47,405.03
पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी सं. 35 देखें)	-	-	-	-
वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष	-	**3,964.11**	**43,440.92**	**47,405.03**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	5,126.67	5,126.67
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	0.38	0.38
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	**5,127.05**	**5,127.05**
विशेष आरक्षित में अंतरण	-	512.28	(512.28)	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	-	262.18	-	262.18
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	-	-
शेयर पूंजी का निर्गम	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेष	-	**4,738.56**	**48,055.69**	**52,794.26**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते नरेश के गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002232 N

ह०
मनीष गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 093880

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2019

ह०
(राजेश बिहारी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह०
(देवानन्द)
मुख्य महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(एस. एम. आवले)
निदेशक
डीआईएन – 06804536

ह०
(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02643416

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि (₹ लाख में)
1 अप्रैल, 2017 को शेष	**121.80**	**1,21,802.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम	13.00	12,999.00
31 मार्च, 2018 को शेष	**134.80**	**1,34,801.00**

2017-18

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष		कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	
वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	178.00	3,283.72	39,273.30	42,735.02
पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी सं. 35 देखें)	-	-	0.19	0.19
वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष	**178.00**	**3,283.72**	**39,273.49**	**42,735.21**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	4,747.52	4,747.52
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(109.97)	(109.97)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**4,637.55**	**4,637.55**
विशेष आरक्षित में अंतरण	-	470.11	(470.11)	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	-	210.27	-	210.27
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	-	
शेयर पूंजी का निर्गम	(178.00)	-	-	(178.00)
वर्ष के अंत में बकाया शेष	**-**	**3,964.11**	**43,440.92**	**47,405.03**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते नरेश के गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002232 N

ह०
मनीष गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 093880

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2019

ह०
(राजेश बिहारी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह०
(देवानन्द)
मुख्य महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(एस. एम. आवले)
निदेशक
डीआईएन – 06804536

ह०
(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02643416

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
असाधारण मदों और कर से पहले व्यय से अधिक आय		5,126.67	4,747.52
प्रचालन क्रियाकलापों द्वारा प्रावधान किए गए निवल नकद के प्रति निवल लाभ का सामंजस्य के लिए समायोजनः			
मूल्यह्रास		43.90	42.17
सुनिश्चित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर अन्य व्यापक आय		0.38	(109.97)
परिसंपत्तियों की बिक्री/हानिकरण/विनिमय पर हानि/(लाभ)		-	(0.22)
प्रचालन परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तनों से पहले प्रचालन लाभ	**(1)**	**5,170.95**	**4,679.50**
के लिए समायोजनः			
गैर–चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)		(12,913.03)	(16,982.49)
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		-	0.00
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(11.98)	(2.33)
चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)		(12,009.52)	(5,588.77)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(168.80)	(942.54)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		21.37	15.88
अन्य बैंक शेष में कमी/(वृद्धि)		14,353.80	(976.83)
अन्य चालू वित्तीय दायित्वों में (कमी)/वृद्धि		1,144.20	1,399.44
अन्य चालू दायित्वों में (कमी)/वृद्धि		0.66	32.77
गैर–चालू प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		43.18	42.62
चालू प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		208.41	185.82
	(2)	(9,331.71)	(22,816.43)
प्रचालन से सृजित नकद	**(1+2)**	**(4,160.75)**	**(18,136.93)**
प्रदत्त आयकर		(0.35)	(1.84)
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद बहिर्वाह		**(4,161.11)**	**(18,138.76)**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री/निपटान		-	0.97
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियॉ		10.35	(10.35)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(9.85)	(24.12)
अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		(15.61)	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज		262.18	210.27
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह		**247.07**	**176.77**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
शेयर पूँजी का निर्गम	13,739.00	12,821.00
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	-	-
उधार से प्राप्ति	(4,747.17)	4,747.17
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह	**8,991.83**	**17,568.17**
नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	5,077.79	(393.82)
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी सं. 10 देखें)	1,454.97	1,848.79
नकद अंतः शेष और नकद समकक्ष	**6,532.76**	**1,454.97**
नकद और नकद समकक्ष का सामंजस्य वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी सं. 10 देखें)	**6,532.76**	**1,454.97**

टिप्पणियॉं:

1. यह नकद प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए नकद प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखा मानक–7 में दी गई अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों की पुष्टि करने और उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना योग्य बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते नरेश के गुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002232 N

ह०
मनीष गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 093880

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2019

ह०
(राजेश बिहारी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह०
(देवानन्द)
मुख्य महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(एस. एम. आवले)
निदेशक
डीआईएन – 06804536

ह०
(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02643416

लेखों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 1 कॉर्पोरेट सूचना

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भारत में स्थित एक लाभ–निरपेक्ष कंपनी है और यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 हो गई है) के अंतर्गत 08.02.1989 को स्थापित की गई थी। इसने 09.04.2001 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। यह निगम 10.04.2001 को जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के पश्चात द्विभाजित हो गया था। इसके द्विभाजन के परिणामस्वरूप निगम अब अनुसूचित जाति लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं की अनन्य रूप से पूर्ति करता है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092 में स्थित है।

टिप्पणी 2 लेखांकन नीतियां

2.1 अनुपालन का विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए और की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2016, 2017 और 2018 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2.2 तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत और उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं, निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है:

(i) सुनिश्चित लाभ योजना और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ।

(ii) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और उचित मूल्य पर मापे गए दायित्व।

2.3 अनुमानों और निर्णय का इस्तेमाल

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान करें, जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों और दायित्वों के प्रकटीकरण तथा आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करे। इस प्रकार के अनुमानों के उदाहरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल, संदिग्ध ऋणों, कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्वों और आकस्मिक दायित्वों के लिए प्रावधान शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं। इन अनुमानों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम जाने जाते हैं/इन्हें मूर्त रूप दिया जाता है।

2.4 सभी वित्तीय सूचनाओं को भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों को दो दशमलव पॉइंटों के साथ निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय ऐसी स्थिति के, जहां अन्यथा उल्लेख किया गया हो।

2.5 नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह, अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा कर–पूर्व लाभ/(हानि) को गैर–नकद प्रकार के लेन–देनों और बाद के या भावी नकद प्राप्तियों या भुगतानों के उपार्जन या किसी आस्थगन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण के क्रियाकलापों से नकद प्रवाह सूचना के आधार पर अलग–अलग कर दिया जाता है।

नकद प्रवाह के विवरण के उद्देश्यों के लिए, नकद और नकद समकक्ष में हस्तांगत नकदी, बैंकों में नकद और बैंकों में मांग जमा राशियां, निवल बकाया बैंक, मांग ड्राफ्ट (ओवरड्राफ्ट) शामिल हैं, जो मांग किए जाने पर भुगतान किए जाने योग्य हैं और कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का भाग माने जाते हैं।

भारतीय लेखा मानक 7:

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक–7 के संशोधन को अपनाया, जिसके तहत संस्थाओं को प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकद प्रवाह और गैर–नकद परिवर्तनों दोनों से उठे परिवर्तन, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन–पत्र के आरंभिक और अंतः शेष राशि के बीच समायोजन पर सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

2.6 विदेशी मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए मदों को ऐसे प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का इस्तेमाल करके मापा जाता है, जिसमें कंपनी संचालन करती है (अर्थात् कार्यात्मक मुद्रा)। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

विदेशी मुद्राओं में हुई आय और किए गए खर्चे को लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा की आर्थिक परिसंपत्तियां और दायित्व तुलन–पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर रूपांतरित की जाती हैं और निपटान तथा पुनः उल्लेख से उत्पन्न विनियम लाभों और हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, संचित मूल्यह्रास और नुकसान से होने वाली हानियां, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर मापा जाता है। परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई लागत

(ii) मदों को अलग–अलग करने और हटाने तथा उस साइट को पुनः स्थापित करने, जिस पर यह स्थित है, यदि मान्यता संबंधी मापदंड पूरे किए गए हैं, की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत की लागत और दीर्घावधि निर्माण परियोजनाओं की उधार लागतें पूंजीकृत की जाती हैं, यदि मान्यता का मापदंड पूरा किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत ₹5000/- रुपए से अधिक है, को आय एवं व्यय के विवरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित किया गया है।

परिसंपत्तियों की बिक्री पर लागत और संचित मूल्यह्रास का अनुमान वित्तीय विवरणों से लगाया जाता है और परिणामी लाभों तथा हानियों को 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर अधोलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है। अनुमानित, उपयोगी जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा भावी आधार पर लेखे में लिए गए अनुमानों में किसी परिवर्तन की अवधि से, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, निम्नानुसार हैः

परिसंपत्तियों की श्रेणी

विवरण	**अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)**
फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	60
एयर कंडीशनर	5
कंप्यूटर और हिस्से–पुर्जे	3
जुड़नार और फिटिंग	10
फर्नीचर	10
कार्यालय उपकरण	5
वाहन	8

लीज होल्ड बिल्डिंग का परिशोधन प्राथमिक पट्टा अवधि पर किया जा रहा है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग–अलग किया जाता है, यदि भाग की लागत उस मद की तुलना के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवनकाल बाकी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल से भिन्न है।

परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, परिसंपत्तियों की लागत के 5 प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।

मूल्यह्रास को चल रहे पूंजीगत कार्य पर दर्ज नहीं किया जाता जब तक निर्माण और संस्थापन पूरा न कर लिया गया हो और परिसंपत्ति इसके आशायित इस्तेमाल के लिए तैयार न हो।

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयेागी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।

2.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को उस समय मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम तक आएंगे और परिसंपत्ति की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। अमूर्त परिसंपत्तियों का उल्लेख, संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई है, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

''अमूर्त परिसंपत्तियों'' के संबंध में ऐसा सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर उपकरण का अभिन्न अंग नहीं है, सॉफ्टवेयर तैयार करने और उससे संबंधित खर्च, जिसके परिणामस्वरूप तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक संस्थापन किया गया है, को लागत पर मान्यता दी जाती है और इसे तीन वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है।

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्टक मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है।

2.9 निवेश संपत्तियां

(i) निवेश संपत्ति में पूरी कर ली गई संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और वित्तपोषण पट्टे के अधीन रखी गई संपत्ति शामिल है, जो सामान्य व्यवसाय में बिक्री के लिए या उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल के लिए, के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजी बढ़ाने के लिए या दोनों के लिए रखी गई है।

(ii) निवेश संपत्तियों का उल्लेख लागत, निवल संचित मूल्यह्रास और संचित नुकसान से होने वाली हानियॉं, यदि कोई हैं, पर किया जाता है।

(iii) कंपनी, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यथाविनिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर उचित ढंग से निवेश के भवन संघटक पर मूल्यह्रास करती है (टिप्पणी सं. 2.7 देखें)।

(iv) निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास या तो तब दिया जाता है जब उनका निपटान कर दिया गया हो या जब वे उपयोग से स्थायी रूप से वापस ले ली गई हों और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो। निपटान से प्राप्त निवल राशि और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि के बीच के अंतर को मान्यता समाप्त करने की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.10 प्रावधान

प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जबः

(i) कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणाम के रूप में कोई वर्तमान दायित्व हो,

(ii) संसाधनों के किसी संभावित बहिर्वाह द्वारा दायित्व के निपटाए जाने की आशा हो और

(iii) दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

ऊपर मान्यता प्रदान किए गए प्रावधान, जिसे 12 महीने से अधिक के समय में निपटान किए जाने की आशा हो, को कर–पूर्व रियायती दर का इस्तेमाल करके वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो देयताओं के प्रति विशिष्ट जोखिम दर्शाता है और समय बीत जाने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज खर्चों के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है।

2.11 राजस्व मान्यता

(i) प्रचालन से राजस्व (आय)

राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचेगा और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। तथापि, जब राजस्व में पहले से ही शामिल की गई राशि की संग्रहणीयता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो संग्रहण न किए जाने योग्य राशि या ऐसी राशि, जिसके संबंध में वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, को पहले से ही मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि के समायोजन के बजाय खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

(क) प्रदत्त ऋणों पर ब्याज संबंधी आय को, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके लागू होने वाली दर और बकाया राशि हिसाब में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) उपयोगिता में विलंब या अदायगियों में चूक पर दंडस्वरूप ब्याज को इसकी संग्रहणीयता की अनिश्चितता के कारण वसूली पर मान्यता दी जाती है।

(ग) अप्रयुक्त निधियों की वापसी पर, ब्याज की गणना उपचय (बढ़ोतरी) के आधार पर की जाती है।

(ii) अन्य राजस्व मान्यताः

एफडीआर और बैंक जमा राशियों पर ब्याज संबंधी आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके लागू होने वाली ब्याज दर और बकाया राशि को लेखे में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.12 सरकारी/अन्य संगठनों से राजस्व (आय) अनुदान

(i) पूर्व वर्ष से संबंधित अनुदान जोकि वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए हैं, वे मौजूदा वर्ष में माने जाएंगे।

(ii) अप्रयुक्त अनुदान और उन पर उपार्जित ब्याज को आस्थगित कर दिया जाता है और चालू देयताओं में शामिल किया जाता है।

(iii) वर्ष के दौरान आरंभ किए गए कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए अनुदान चाहे वे प्राप्त हो गए हैं या नहीं, को वर्तमान वर्ष से संबंधित व्यय में मान्यता दी जाती है।

2.13 पट्टा

(i) प्रचालन पट्टा

पट्टा को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है जब जोखिम और रिवार्डों के महत्वपूर्ण भाग कंपनी को अंतरित न किए गए हों।

भुगतान, पट्टा अवधि में सीधी रेखा पद्धति आधार पर 'आय एवं व्यय का विवरण' में प्रभारित किए जाते हैं सिवाय ऐसी स्थिति के, जहां पट्टा भुगतान प्रत्याशित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति करने हेतु प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि करने के लिए संरचित हों।

(ii) वित्तपोषण पट्टा

क) यह सभी जोखिम और रिवार्डों को मूलतः परिसंपत्ति के स्वामित्व में अंतरित करता है।

ख) इन्हें निम्नतर उचित मूल्य या न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टे के आरंभ से ही पूंजीकृत किया जाता है।

ग) भुगतानों को वित्तपोषण प्रभारों और पट्टा देयता की कमी के बीच संविभाजित किया जाता है ताकि देयता के बकाया शेष पर ब्याज की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

घ) वित्तीय प्रभारों को आय एवं व्यय विवरण में वित्तपोषण लागतों में मान्यता दी जाती है।

ङ) इस पर परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रास दिया जाता है। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई तर्कसंगत निश्चितता है, तो परिसंपत्ति पर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि से अपेक्षाकृत कम मूल्यह्रास दिया जाता है।

2.14 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण

(i) परिसंपत्तियों की कैरिंग राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को यह निश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या हानिकरण का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए, जो उपयोग के लिए अभी उपलब्ध नहीं हैं, वसूली योग्य राशि का अनुमान प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को लगाया जाता है।

(ii) नुकसान से होने वाली हानि को उस समय मान्यता दी जाती है जब कभी किसी परिसंपत्ति की कैरिंग राशि या इसकी नकदी सृजन इकाई इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। क्षति नुकसानी को 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी जाती है।

(iii) नुकसान से होने वाली हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन किया गया है। क्षति नुकसानी को केवल उसी सीमा तक प्रत्यावर्तित किया जाता है कि परिसंपत्ति की कैरिंग राशि उस कैरिंग राशि से अधिक नहीं है, जो निवल मूल्यह्रास या परिशोधन के रूप में निर्धारित की जाती, यदि क्षति नुकसानी को मान्यता न दी गई होती।

2.15 कर्मचारी लाभ

(i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूरित अनुपस्थितियों को, उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, के आय एवं व्यय का विवरण में गैर–बट्टागत आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) नियोजनोत्तर लाभ और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

क) सुनिश्चित अंशदान योजना

सुनिश्चित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि, पेंशन, कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा और समूह बचत संबद्ध बीमा योजनाओं को, खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे आय एवं व्यय का विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी, भविष्य निधि के संबंध में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सुनिश्चित अंशदान देती है। कंपनी के पास अपने अंशदान के अलावा, इस संबंध में कोई अन्य दायित्व नहीं है, जिसका भुगतान देय होने के समय किया जाता है। एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त योजनाएं जैसे ''परिभाषित अंशदान पेंशन योजना'' और ''सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान चिकित्सा योजना हैं बशर्ते कि लोक उद्यम विभाग के दिनांक 21.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कंपनी द्वारा अंशदान किया गया हो।

क) (i) पेंशन योजना

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशानुसार निगम में ''एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना'' है। नियोक्ता, न्यास को प्रत्येक माह मूल वेतन और मंहगाई भता का 10% देता है। निगम ने योजना के प्रबंधन के लिए ''एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना न्याय (ट्रस्ट)'' नामक एक ट्रस्ट का गठन किया है। जीवन बीमा निगम एनएसएफडीसी का निधि प्रबंधक है।

क) (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना

निगम में ''सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित चिकित्सा योजना'' है। निगम ने 'एनएसएफडीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान चिकित्सा योजना न्यास (ट्रस्ट)' नामक एक ट्रस्ट का गठन किया है। नियोक्ता ट्रस्ट को प्रत्येक माह मूल वेतन और मंहगाई भत्ता का लाभ योजना 3% अंश देता है। निधियों का प्रबंधन, ट्रस्ट द्वारा स्थापना से 01.08.2018 तक किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम 02.08.2018 से समूह सेवानिवृत्ति नकद संचयी लाभ योजना के अंतर्गत ट्रस्ट की निधियों का प्रबंधन कर रहा है।

ख) सुनिश्चित लाभ योजना

ख) (i) उपदान

कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधिकरण, एक अलग न्यास के माध्यम से जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जीवन बीमा निगम, जो एक सरकारी उपक्रम है, ने जीवन बीमा निगम द्वारा प्रमाणित अनुसार बीमांकिक गणना के आधार पर वर्ष के दौरान प्रीमियम प्रभारित किया है। तुलन–पत्र में मान्यता दी गई राशि, तुलन–पत्र की तारीख को

सुनिश्चित लाभ दायित्वों में से 'योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य' घटाकर और उसमें से अभी तक मान्यता न दी गई कोई पूर्व सेवा लागत घटाकर निकाली गई राशि है।

ख) (ii) छुट्टी लाभ

निगम में एक सुनिश्चित लाभ योजना (छुट्टी लाभ योजना) है, जिसमें निगम की छुट्टी नियमावली के अनुसार, संबंधित कर्मचारी के वेतन और सेवाकाल के आधार पर पात्र कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। छुट्टी लाभ जैसे छुट्टी नकदीकरण, चिकित्सा छुट्टी इत्यादि को वर्ष के अंत में यथास्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.16 विशेष आरक्षित निधि

निगम, व्यय से अधिक आय का 10%, भवनों में निवेश करने और आकस्मिकताओं/आकस्मिक घटनाओं के लिए विशेष राजस्व निधि में अंतरित करता है।

2.17 व्यय एवं प्रावधान

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों (लाभार्थियों) के लिए किए गए भुगतान, संवितरण के वर्ष में 'आय एवं व्यय का विवरण' में प्रभारित किए जाते हैं।

प्रोत्साहन और अन्य योजनाएं, उपचय आधार पर लेखे में ली जाएंगी।

2.18 आय कर

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26बी) के अंतर्गत को कंपनी की आय कर से छूट प्राप्त है। इस प्रकार आयकर के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप ''आयकर के लिए लेखांकन'' का भारतीय लेखा मानक–12 का प्रावधान लागू नहीं होता।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन निर्धारित करने में, कंपनी, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर अर्जनों की संगणना करने में इस्तेमाल किए गए शेयरों की संख्या, इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन निर्धारित करने में, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या, तरलीकरण की संभावना वाले सभी इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किए जाते हैं।

2.20 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, निम्नलिखित मामलों में से किसी मामले में किया जाता है:

(i) किसी पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि इस दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; या

(ii) वर्तमान दायित्व का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता; या

(iii) कोई संभावित दायित्व, जब तक संसाधन के बहिर्वाह की संभावना अल्पतम है।

- आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना हो।
- आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक देयताओं और प्रावधानों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।
- आकस्मिक देयता, निपटान पर संभावित बहिर्वाह पर विचार करते हुए निवल अनुमानित प्रावधान हैं।

2.21 उचित मूल्य मापन

कंपनी, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर वित्तीय विलेखों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है, जो मापन की तारीख को कोई परिसंपत्ति बेचने के लिए प्राप्त होगी या बाजार सहभागियों के बीच किसी सामान्य लेनदेन में कोई देयता के लिए भुगतान की जाएगी। उचित मूल्य मापन, उस पूर्वानुमान पर आधारित होता है जो कि परिसंपत्ति बेचने या देयताएं अंतरित करने के लिए लेनदेन निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से किया जाता है:

- परिसंपत्ति या देयताएं के लिए प्रमुख बाजार में, या
- किसी प्रमुख बाजार के अभाव में, परिसंपत्ति या देयताओं के लिए सर्वाधिक लाभदायक बाजार में।

मुख्य या सर्वाधिक लाभदायक बाजार कंपनी के लिए सुगम होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या कोई देयता का उचित मूल्य, इन पूर्वानुमानों का इस्तेमाल करके मापा जाता है कि बाजार सहभागी, परिसंपत्ति या देयता को मूल्यांकित करते समय इसका इस्तेमाल यह मानते हुए करेंगे कि बाजार सहभागी उनके सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं। कंपनी, ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का इस्तेमाल करती है, जो सुसंगत प्रत्यक्ष इनपुटों का इस्तेमाल अधिकतम करते हुए और अप्रत्यक्ष इनपुटों का इस्तेमाल न्यूनतम करते हुए उन परिस्थितियों में समुचित हैं और जिनके लिए उचित मूल्य मापने हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं।

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं, जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है, को पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट पर आधारित, निम्नलिखित के रूप में विनिर्धारित उचित मूल्य अनुक्रम के अंदर श्रेणीकृत किया जाता है:

- स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्यांकन मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य हैं।
- स्तर 3 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए, उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट, अवलोकन न किए जाने योग्य हैं।

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, जिन्हें वित्तीय विवरणों में आवर्ती आधार पर मान्यता दी जाती है, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनः निर्धारित करके (पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट पर आधारित) अनुक्रम में स्तरों के बीच किए गए हैं।

रिपोर्टिंग की तारीख को, कंपनी, परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में संचालनों का विश्लेषण करती है, जिनका पुनः मापन या पुनः निर्धारण लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी, संविदाओं और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की मूल्यांकन संगणना में अनुप्रयुक्त प्रमुख इनपुटों का सत्यापन करती है।

कंपनी, प्रत्येक परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्यांकन में हुए परिवर्तन का भी मिलान सुसंगत बाह्य स्रोतों के साथ यह पता लगाने हेतु करती है कि क्या परिवर्तन तर्कसंगत हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति या दायित्व के स्वरूप, गुण और जोखिमों और ऊपर स्पष्ट किए गए उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

2.22 वित्तीय विलेखः–

(i) आरंभिक मान्यता और मापन

इनमें वित्तीय विलेखों को प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण या वित्तीय विलेख जारी करने के लिए प्रदान किए जाने योग्य लेनदेन संबंधी ऐसी लागतें जोड़कर या कम करके इसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(ii) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैंः

(अ) परिशोधित लागत पर

किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन, परिशोधित लागत पर किया जाएगा, यदि निम्नलिखित में से दोनों शर्तें पूरी की जाती हैंः

(क) वित्तीय परिसंपत्ति, किसी व्यवसाय मॉडल के अंदर धारित है, जिसका उद्देश्य, संविदात्मक नकद प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां धारित करना है; और

(ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें, विनिर्दिष्ट तारीखों को, ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो बकाया मूलधन पर अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज के भुगतान हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, हानिकरण, यदि कोई है, कम करके, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके, परिशोधित लागत पर किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर परिशोधन) आय एवं व्यय का विवरण में वित्तीय आय में शामिल है।

(आ) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई)

'ऋण विलेख' अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है, यदि निम्नलिखित में से दोनों मापदंड पूरे किए जाते हैंः

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह संगृहीत करके और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर दोनों तरीके से प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह, अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान को प्रदर्शित करता है।

एफवीटीओसीआई के अंदर शामिल किए गए ऋण विलेखों का मापन आरंभ में और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। तथापि, कंपनी, 'आय और व्यय का विवरण' में, ब्याज से आय, नुकसान से होने वाली हानियों एवं प्रत्यावर्तनों और विदेशी विनिमय लाभ या हानि को मान्यता देती है। ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान की गई परिसंपत्ति, संचयी लाभ या हानि की मान्यता समाप्त करने पर उसे लाभ और हानि की इक्विटी में पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का इस्तेमाल की मान्यता दी गई है।

(इ) लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

'लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर' (एफवीटीपीएल), वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधित लागत पर या एफवीटीओसीआई में दिए गए श्रेणीकरण का मापदंड पूरा नहीं करती, को एफवीटीपीएल पर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी, ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट करने का विकल्प चुन सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मापदंड को पूरा करती है, यदि ऐसा करना मापन या मान्यता की असंगतता को कम करता है या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल की गई वित्तीय परिसंपत्तियों का 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दिए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य भुगतान योग्य राशियों, प्रतिभूति जमा राशियों और अवधारण राशि द्वारा प्रदर्शित परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्वों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात इसे प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित मूल्य पर लिया जाता है।

(ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयता

कंपनी ने किसी वित्तीय देयता को, एफवीटीपीएल पर नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) मान्यता समाप्त करना

वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति के किसी भाग या उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह के भाग) की मान्यता केवल तभी समाप्त की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियां और परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्ततः सभी जोखिम और रिवार्डस अंतरित हो जाते हैं।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता की मान्यता तभी समाप्त की जाती है, जब देयता के अंतर्गत उत्तरदायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता, पर्याप्ततः भिन्न शर्तों पर उसी ऋणी से अन्य ऋणी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या किसी वर्तमान देयता की शर्तें पर्याप्ततः संशोधित कर दी जाती हैं तो ऐसी अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त करने के रूप में माना जाता है और किसी नई देयता की मान्यता और संबंधित कैरिंग राशियों में अंतर को 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी जाती है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरणः

(i) कंपनी, तुलन–पत्र की प्रत्येक तारीख को यह आकलन करती है कि क्या वित्तीय परिसंपत्ति का हानिकरण हुआ है। भारतीय लेखा मानक–109 में, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) को, हानि भत्ता के जरिए मापे जाने की अपेक्षा की गई है।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों/व्यापार प्राप्तव्यों के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को 12 माह के बराबर राशि पर या जीवनकाल ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाएगा, यदि वित्तीय परिसपंत्ति पर क्रेडिट जोखिम में इसकी आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप में वृद्धि हो गई है।

(iii) इस अवधि के दौरान मान्यता दी गई ईसीएल क्षति नुकसानी भत्ते (या रिवर्सल) को 'आय एवं व्यय का विवरण' में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.23 बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह), बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, जब उनकी कैरिंग राशि, किसी बिक्री लेनदेन के जरिए सिद्धांत रूप में वसूल की जानी हैं और बिक्री अत्यधिक संभावना वाली केवल तभी मानी जाती है, जब परिसंपत्ति या निपटान समूह, उसकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। ऐसी संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी और बिक्री, वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों का उल्लेख, कैरिंग राशि के निम्नतर स्तर पर और उचित मूल्य में से बिक्री करने की लागत घटाकर आए मूल्य पर किया जाता है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाने के पश्चात संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता या इन्हें परिशोधित नहीं किया जाता। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां और दायित्व, तुलन–पत्र में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

यदि भारतीय लेखा मानक–105 ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां और बंद कर दिए गए प्रचालन'' द्वारा उल्लिखित मापदंड पूरे नहीं किए गए हैं तो निपटान समूह का, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है। गैर–चालू परिसंपत्ति, जिसका बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है, का मापनः

(i) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले की मूल्यह्रास के लिए समायोजित इसकी कैरिंग राशि, जिसे मान्यता दी जाती है, यदि वह परिसंपत्ति, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत न की गई होती; और

(ii) उस तारीख, जब निपटान समूह, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त होता है, को इसकी वसूली योग्य राशि से निम्नतर राशि पर किया जाता है।

2.24 लेखा नीतियों में परिवर्तन और प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक–115ः ग्राहकों के अनुबंध से राजस्वः

मार्च, 2018 में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2018 जारी किया, जिसमें भारतीय लेखा मानक ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व को अधिसूचित किया था। यह मानक कंपनी पर 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी है।

भारतीय लेखा मानक 115 का ग्राहक संविदा से राजस्व, संस्था के लिए संविदा ग्राहकों के साथ उत्पन्न होने वाले राजस्व के लिए लेखांकन में उपयोग के लिए एकल व्यापक मॉडल स्थापित करता है। भारतीय लेखा मानक–115 जब प्रभावी होगा तब वर्तमान राजस्व मान्यता मानक भारतीय लेखा मानक 18 – राजस्व, भारतीय लेखा मानक 11 – निर्माण संविदा का स्थान लेगा। भारतीय लेखा मानक 115 का मुख्य सिद्धांत है कि संस्था को जिन वस्तुओं और सेवाओं के बदले में संस्था से पात्र होने की अपेक्षा की जाती है, के विचारों को दर्शाने के लिए उस राशि हेतु ग्राहकों को संभावित सेवाओं के हस्तांतरण को बताने के लिए राजस्व को मान्यता प्रदान करनी चाहिए। विशेषतः यह मानक राजस्व की पहचान के लिए 5 चरण दृष्टिकोणों का परिचय देता है:

चरण 1: ग्राहक के साथ संविदा (संविदाओं) की पहचान

चरण 2: संविदा में निष्पादन दायित्वों की पहचान

चरण 3: लेन–देन मूल्य का निर्धारण

चरण 4: संविदा में निष्पादन दायित्वों के लिए लेन–देन के मूल्य का निर्धारण

चरण 5: संस्था द्वारा निष्पादन दायित्व की संतुष्टि करने पर (या के रूप में) राजस्व की पहचान

भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत एक संस्था राजस्व (या के रूप में) को पहचानती है जब निष्पादन दायित्व संतुष्ट है, अर्थात् जब किसी विशेष निष्पादन दायित्व से जुड़ी वस्तुओं या सेवाओं का 'नियंत्रण' ग्राहक को हस्तांतरित कर दिया जाता है। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 115 का मूल्यांकन किया और किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की प्रत्याशा नहीं है।

2.25 मानक जारी किंतु वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए प्रभावी नहीं

भारतीय लेखा मानक 116 पट्टा (लीज)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 30 मार्च, 2019 को भारतीय लेखा मानक 116 को अधिसूचित किया। भारतीय लेखा मानक 116, भारतीय लेखा मानक 117 का स्थान लेगा और संबंधित व्याख्याओं को अपनी प्रस्तावित प्रभावी तिथि, 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि से बदल देगा। मानक में पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित किया है। भारतीय लेखा मानक 116 को पट्टों की पहचान और एकल पट्टेदार लेखा मॉडल की आवश्यकता होती है तथा 12 माह से अधिक की अवधि वाले सभी पट्टों के लिए मान्यता प्राप्त संपत्ति और देयताओं के लिए एक पट्टेदार की आवश्यकता होती है, जब तक कि अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो। मानक में पट्टेदारों के लिए संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं भी शामिल हैं।

कंपनी ने मानकों को 1 अप्रैल, 2019 में अपनाने का विचार किया है। अतएव, कंपनी के पास कोई भौतिक पट्टा नहीं है, अतः इसे अपनाने से कंपनी के विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।

टिप्पणी 3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	भवन फ्रीहोल्ड	भवन लीजहोल्ड	फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग्स	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	कुल
लागत या मानित लागत							
01 अप्रैल, 2017 को	**22.48**	**635.37**	**113.99**	**15.43**	**33.11**	**77.14**	**897.53**
अभिवर्धन	-	0.01	1.95	-	7.83	14.38	24.17
निपटान/समयोजन	-	-	(9.74)	(0.02)	(3.82)	(1.99)	(15.57)
31 मार्च, 2018 को	**22.48**	**635.38**	**106.21**	**15.41**	**37.12**	**89.53**	**906.14**
अभिवर्धन	-	-	2.05	-	2.39	5.41	9.85
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	(0.06)	-	(0.06)
31 मार्च, 2019 को	**22.48**	**635.38**	**108.26**	**15.41**	**39.45**	**94.94**	**915.93**
मूल्यह्रास और हानिकरण							
01 अप्रैल, 2017 को	**16.16**	**174.71**	**104.92**	**9.63**	**26.35**	**66.94**	**398.71**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.32	20.97	1.32	1.93	4.91	8.99	38.45
हानिकरण	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	(9.35)	(0.02)	(3.51)	(1.89)	(14.77)
31 मार्च, 2018 को	**16.48**	**195.69**	**96.88**	**11.54**	**27.75**	**74.04**	**422.39**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.29	19.56	1.59	1.33	4.59	10.35	37.71
हानिकरण	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	(0.06)	-	(0.06)
31 मार्च, 2019 को	**16.77**	**215.25**	**98.47**	**12.87**	**32.28**	**84.39**	**460.04**
निवल बुक मूल्य							
31 मार्च, 2019 को	**5.71**	**420.13**	**9.79**	**2.55**	**7.17**	**10.54**	**455.89**
31 मार्च, 2018 को	**6.00**	**439.69**	**9.33**	**3.88**	**9.37**	**15.48**	**483.75**

3.1 कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट, स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तद्नुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास/परिशोधन, संशोधित/बाकी उपयोगी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

3.2 भवनों में, लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड दोनों भवन शामिल हैं। लीजहोल्ड भवनों में, स्वामित्व/उप–पट्टे का अंतरण लंबित रहते, उप–पट्टे पर खरीदा गया, स्कोप मीनार भवन स्थित परिसर शामिल है। इसके अलावा, मुंबई में खरीदे गए दो फ्लैटों का औपचारिक विलेख म्हाडा और आवास समिति के बीच अभी निष्पादित किया जाना है।

टिप्पणी 4 विनिधान संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भवन	कुल
लागत या मानित लागत		
01 अप्रैल, 2017 को	**46.50**	**46.50**
अभिवर्धन	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2018 को	**46.50**	**46.50**
अभिवर्धन	-	
निपटान/समायोजन	-	
31 मार्च, 2019 को	**46.50**	**46.50**
मूल्यह्रास और हानिकरण		
01 अप्रैल, 2017 को	**31.63**	**31.63**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.70	0.70
हानिकरण	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2018 को	**32.33**	**32.33**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.68	0.68
हानिकरण	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2019 को	**33.01**	**33.01**
निवल कुल मूल्य		
31 मार्च, 2019 को	**13.49**	**13.49**
31 मार्च, 2018 को	**14.17**	**14.17**

4.1 कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट, स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तद्नुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास/परिशोधन, संशोधित/बाकी उपयोगी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

4.2 संपत्ति के विनिवेश का मूल्य निर्धारण

भाग ''क'' का मूल्य निर्धारण

कारपेट एरिया	328.39 वर्ग मी.
कार्यालय स्थान के लिए 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट	₹ 77000/वर्ग मी.
₹77000 की दर पर भाग ''क'' कार्यालय स्थान का मूल्य	2,52,86,030.00
यह 4थी मंजिल पर है और मुख्य सड़क पर फ्लाईओवर के सामने है अतः 30% की दर पर कटौती	(75,85,809.00)
भाग ''क'' का उचित बाजार मूल्य	**1,77,00,221.00**
भाग ''क'' का उचित बाजार मूल्य	177.00 लाख

भाग ''ख'' का मूल्य निर्धारण

कारपेट एरिया	57.704 वर्ग मी.
कार्यालय स्थान के लिए 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट	₹ 77000/वर्ग मी.
₹ 77000 की दर पर भाग ''क'' कार्यालय स्थान का मूल्य	44,43,208.00
यह 4थी मंजिल पर है और मुख्य सड़क पर फ्लाईओवर के सामने है अतः 30% की दर पर कटौती	(13,32,962.40)
	31,10,245.60
जोड़ें: मूल्यह्रास को समायोजित करने के उपरांत लकड़ी के विभाजक और अन्य लकड़ी के कार्य	1,50,000.00
	32,60,245.60
भाग ''ख'' का उचित बाजार मूल्य	**32.6 लाख**
संपत्ति का उचित बाजार मूल्य (क+ख)	**209.60**

टिप्पणी 5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
लागत या मानित लागत		
1 अप्रैल, 2017 को	**14.88**	**14.88**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	-	-
समायोजन	-	-
31 मार्च, 2018 को अंतः शेष	**14.88**	**14.88**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	15.61	15.61
समायोजन	-	-
31 मार्च, 2019 को अंतः शेष	**30.49**	**30.49**
परिशोधन और हानिकरण		
01 अप्रैल, 2017 को	**10.56**	**10.56**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	3.03	3.03
वर्ष के दौरान हानिकरण	-	-
31 मार्च, 2018 को अंतः शेष	**13.59**	**13.59**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	5.51	5.51
वर्ष के दौरान हानिकरण	-	-
31 मार्च, 2019 को अंतः शेष	19.10	19.10
निवल कैरिंग मूल्य		
31 मार्च, 2019 को	**11.39**	**11.39**
31 मार्च, 2018 को	**1.29**	**1.29**

टिप्पणी 6 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियॉ

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
लागत या मानित लागत	
1 अप्रैल, 2017 को	**-**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	10.35
समायोजन	-
31 मार्च, 2018 को अंतः शेष	**10.35**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	-
समायोजन	10.35
31 मार्च, 2019 को अंतः शेष	**-**
निवान कैरिंग मूल्य	
31 मार्च, 2019 को	**-**
31 मार्च, 2018 को	**10.35**

6.1 वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, कौशल प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल सहित एनएसएफडीसी की वेबसाइट का नया संस्करण एनसीटीआई द्वारा विकसित किया जा रहा था। इसके निमित्त, वेबसाइट के विकास और होस्टिंग के लिए ₹8.99 लाख और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान से वेबसाइट के लिए सर्वर स्पेस के किराए हेतु ₹1.36 लाख खर्च किए गए। वेबसाइट 21.05.2018 को होस्ट की गई है।

टिप्पणी 7 वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

ऋणों को गैर–चालू भाग, ''गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण'' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ऋणों को चालू भाग'' चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर–चालू	चालू		गैर–चालू	चालू	
I क. ऋण (अप्रतिभूत – अच्छा समझा गया)						
i) मियादी ऋण संवितरण	375,144.42	-	375,144.42	316,044.10	-	316,044.10
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(54,802.44)	-	(54,802.44)	(46,910.61)	-	(46,910.61)
घटाएं: पुनर्भुगतान	(181,721.05)	-	(181,721.05)	(165,937.62)	-	(165,937.62)
घटाएं: चालू भाग	(49,641.91)	49,641.91	-	(37,359.82)	37,359.82	-
	88,979.02	**49,641.91**	**138,620.93**	**65,836.05**	**37,359.82**	**103,195.87**
ii) लघु ऋण वित्त संवितरण	65,846.41	-	65,846.41	60,896.45	-	60,896.45
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(10,688.87)	-	(10,688.87)	(9,658.20)	-	(9,658.20)
घटाएं: पुनर्भुगतान	(34,903.63)	-	(34,903.63)	(26,398.30)	-	(26,398.30)
घटाएं: चालू भाग	(12,095.55)	12,095.55	-	(9,398.37)	9,398.37	-
	8,158.36	**12,095.55**	**20,253.91**	**15,441.58**	**9,398.37**	**24,839.95**
iii) महिला समृद्धि योजना संवितरण	67,411.03	-	67,411.03	63,977.94	-	63,977.94
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(11,809.52)	-	(11,809.52)	(9,976.49)	-	(9,976.49)
घटाएं: पुनर्भुगतान	(41,969.52)	-	(41,969.52)	(34,397.50)	-	(34,397.50)
घटाएं: चालू भाग	(9,734.30)	9,734.30	-	(12,862.09)	12,862.09	-
	3,897.70	**9,734.30**	**13,632.00**	**6,741.86**	**12,862.09**	**19,603.95**
iv) महिला किसान योजना संवितरण	1,246.70	-	1,246.70	1,246.70	-	1,246.70
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(545.57)	-	(545.57)	(448.03)	-	(448.03)
घटाएं: पुनर्भुगतान	(591.20)	-	(591.20)	(526.45)	-	(526.45)
घटाएं: चालू भाग	(73.56)	73.56	-	(121.00)	121.00	-
	36.38	**73.56**	**109.93**	**151.22**	**121.00**	**272.22**
v) शिल्पी समृद्धि योजना संवितरण	400.65	-	400.65	400.65	-	400.65
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(250.94)	-	(250.94)	(233.34)	-	(233.34)
घटाएं: पुनर्भुगतान	(143.98)	-	(143.98)	(138.74)	-	(138.74)
घटाएं: चालू भाग	(5.74)	5.74	-	(6.71)	6.71	-
	(0.00)	**5.74**	**5.73**	**21.86**	**6.71**	**28.57**
vi) शिक्षा ऋण योजना संवितरण	4,636.58	-	4,636.58	4,009.98	-	4,009.98
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(238.09)	-	(238.09)	(234.13)	-	(234.13)
घटाएं: पुनर्भुगतान	(1,141.10)	-	(1,141.10)	(664.10)	-	(664.10)
घटाएं: चालू भाग	(1,208.39)	1,208.39	-	(960.15)	960.15	-
	2,049.00	**1,208.39**	**3,257.39**	**2,151.60**	**960.15**	**3,111.75**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर–चालू	चालू		गैर–चालू	चालू	
vii) वीईटीएलएस	28.27	-	28.27	28.27	-	28.27
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
घटाएं: पुनर्भुगतान	(5.65)	-	(5.65)	-	-	-
घटाएं: चालू भाग	(5.65)	5.65	-	(5.65)	5.65	-
	16.96	**5.65**	**22.61**	**22.62**	**5.65**	**28.27**
viii) एएमवाई संवितरण	132.65	-	132.65	-	-	-
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
घटाएं: पुनर्भुगतान	(55.50)	-	(55.50)	-	-	-
घटाएं: चालू भाग	(55.59)	55.59	-	-	-	-
	21.56	**55.59**	**77.15**	**-**	**-**	**-**
उप कुल ((i) से (viii))	**1,03,158.97**	**72,820.68**	**1,75,979.65**	**90,366.78**	**60,713.79**	**151,080.57**
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता (टिप्पणी संख्या 33 देखें)	(777.27)	-	(777.27)	(830.91)	-	(830.91)
कुल : I क	**1,02,381.71**	**72,820.68**	**1,75,202.38**	**89,535.87**	**60,713.79**	**1,50,249.66**
I ख. ऋण (प्रतिभूत–अच्छा समझा गया)						
i) एएमवाई संवितरण	142.55	-	142.55	215.90	-	215.90
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
घटाएं: पुनर्भुगतान	(65.40)	-	(65.40)	(27.04)	-	(27.04)
घटाएं: चालू भाग	(55.59)	55.59	-	(115.08)	115.08	-
	21.56	**55.59**	**77.15**	**73.78**	**115.08**	**188.86**
ii) महिला समृद्धि योजना संवितरण*	-	-	-	1,048.00	-	1,048.00
घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
घटाएं: पुनर्भुगतान	-	-	-	(958.00)	-	(958.00)
घटाएं: चालू भाग	-	-	-	(70.00)	70.00	-
	-	-	-	20.00	70.00	90.00
iii) स्टाफ अग्रिम	353.39	95.98	449.37	213.99	63.86	277.85
कुल : I ख	**374.95**	**151.57**	**526.52**	**307.77**	**248.94**	**556.71**
*एफडीआर, पीडीसी के लियन के विरूद्ध						
कुल (Iक+Iख)	**1,02,756.66**	**72,972.25**	**1,75,728.90**	**89,843.63**	**60,962.73**	**1,50,806.37**

7.1 वर्ष के विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.18	संवितरण 2018-19	पुनर्भुगतान 2018-19	वापसी / वापस 2018-19	अंत शेष 31.03.19
मियादी ऋण (टीएल)*	1,03,195.87	59,100.32	15,783.43	7,891.83	1,38,620.93
लघु ऋण वित्त (एमसीएफ)**	25,017.65	4,061.46	7,794.52	1,030.66	20,253.91
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)**	19,516.25	3,273.60	7,324.83	1,833.03	13,632.00
महिला किसान योजना (एमकेवाई)	272.22	-	64.75	97.54	109.93
शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई)	28.57	-	5.24	17.60	5.74
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	3,111.75	626.60	477.00	3.96	3,257.39
वीईटीएलएस	28.27	-	5.65	-	22.61
एएमवाई*	188.86	59.29	93.86	-	154.29
कुल	**1,51,359.43**	**67,121.27**	**31,549.28**	**10,874.62**	**1,76,056.80**

* प्रारंभिक शेष में एएमवाई के लिए मियादी ऋण से ₹18.93 लाख का समायोजन शामिल है।

** प्रारंभिक शेष में पूर्वांचल बैंक को ₹888.50 लाख की संवितरण राशि की योजना के परिवर्तन के कारण एमएसवाई से एमसीएफ में ₹177.70 लाख बकाया राशि का समायोजन शामिल है।

7.1(क) वर्तमान ऋण वह ऋण राशि है जो वित्तीय वर्ष के अंत तक अगले 12 महीनों के दौरान प्राप्ति योग्य है।

7.1(ख) वर्तमान ऋण नीति के तहत, निर्धारित समय के बाद ऋण की अप्रयुक्त धनराशि पुनर्भुगतान योग्य है। हालांकि, जैसा कि मौजूदा परिस्थिति में अनिश्चित है, उसे 'गैर–चालू' में किया जाएगा।

7.1(ग) वर्ष 2001 में निगम के विभाजन के परिणामस्वरूप, पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की सभी संपत्तियों और देयताओं को, वास्तविक परिसंपत्तियों के मूल्य और ब्याज की उच्च दर (एचआरआई) और चूक भुगतान पर नकद हानि (एलडीडीपी) को छोड़कर 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया था।

दोनों निगमों के अधिकारियों की एक बैठक संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सान्याऔरअधिमं और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के कार्यालय में हुई थी। उपर्युक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एनएससीएसटीएफडीसी के पास विभाजन के दिन (अर्थात् 10.04.2001) से उपलब्ध सरकारी गारंटी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के हाल ही में संशोधित अनुपात में संबंधित राज्य सरकार को पत्रों के आदान–प्रदान द्वारा सूचना के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा। उपर्युक्त गारंटियां अभी भी पूर्व एनएससीएसटीएफडीसी के नाम पर ही हैं।

तदनुसार, दिनांक 07.09.2006 के विभिन्न पत्र सं. एनएनएसएफडीसी / वित्त–ऋण / बीएफ–02 / खंड–2 / के माध्यम से 10.04.2001 को विशिष्ट राज्य सरकार गारंटी (अभी भी पूर्व निगम के नाम पर) की उपलब्धता निम्नलिखित राशि अनुसार कम हो गई है:

(i) कर्नाटक – ₹671.42 लाख, (ii) तमिलनाडु – ₹184.18 लाख, (iii) मणिपुर – ₹116.25 लाख, (iv) जम्मू व कश्मीर – ₹304.09 लाख और (v) ओडिशा – ₹108.17 लाख

7.1(घ) दिए गए ऋणों के संबंध में, कंपनी ने ₹3285.48 लाख (पिछले वर्ष ₹5345.55 लाख रुपए) की सरकारी गारंटी प्राप्त की है। कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, सरकारी आश्वासन सरकारी विलेख / आदेश के अनुरूप नहीं है। जोकि मध्यस्थता के माध्यम से विवादित मामलों में भी लागू किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी उन मामलों में वसूली करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है जहां बकाया ऋण राशि के संबंध में सरकारी गारंटी दी गई है।

7.2 दिनांक 31.03.2011 को, बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) का संचयी प्रावधान ₹1,113.62 लाख था। हालांकि, बीएससीडीसी ने एनएसएफडीसी को वर्ष 2009–10 में आश्वासनों को ₹2,500.00 लाख तक बढ़ाया था, वर्ष 2010–11 में नवीकृत किया गया। टिप्पणी सं. 33.4 के अनुसार, संचित प्रावधान को वापस लिखे जाने की आवश्यकता थी, तथापि, वित्तीय विवेक के रूप में

₹1,113.62 लाख (31.03.2011 तक) के संचयी प्रावधान को सरकारी आदेश के आवश्वासन में परिवर्तन तक वापस लेना लंबित किया गया था। तद्नुसार, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को कुल बकाया के बराबर भुगतान के विनियोग के बाद आगे का प्रावधान किया गया।

वर्ष के दौरान, बीएससीडीसी से ₹53.64 लाख प्राप्त हुए हैं, अतएव भुगतान के विनियोग के बाद, ₹0.89 लाख तक के अतिरिक्त प्रावधान को वापस लिया गया। तद्नुसार, 31.03.2019 को बीएससीडीसी का संचयी प्रावधान ₹1,414.50 लाख (गत वर्ष ₹1,415.39 लाख) है। इनमें 31.03.2019 का ₹777.27 लाख (गत वर्ष ₹830.91 लाख) का संचयी मूल प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी 8 अन्य वित्तीय परिस्थितियां – गैर चालू

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
i)	प्रतिभूति जमा (टिप्पणी सं. 8.1 देखें) अप्रतिभूत, अच्छा माना गया	4.34	4.34
	कुल	**4.34**	**4.34**

8.1 प्रतिभूति जमा में टेलीफान और टैलेक्स प्रतिभूति शामिल है।

टिप्पणी 9 अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
i)	वसूली योग्य अग्रिम (संदिग्ध)	1,539.99	1,539.99
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध जमा राशि के लिए भत्ता (टिप्पणी सं. : 33 देखें)	(1,539.99)	(1,539.99)
ii)	प्रदत्त व्यय (टिप्पणी सं.: 9.2 देखें)	62.02	50.04
		62.02	**50.04**

9.1 वसूली योग्य अग्रिम में पनवायर से ₹ 1,539.99 लाख की वसूली योग्य धनराशि शामिल है।

9.2 पूर्व प्रदत्त व्यय में कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर–परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता या दिए गए ऋण पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का ₹ 61.46 लाख (2017-18 - ₹ 50.04 लाख) शामिल है।

टिप्पणी 10 नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
i)	नकद और बैंक शेष		
	हस्तांगत नकद	-	
	बचत खाते में	6,532.76	1,454.97
	कुल	**6,532.76**	**1,454.97**

टिप्पणी 11 नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
i)	अन्य बैंक शेष		
	एफडीआर में	10,777.00	26,738.64
	अनुदान निधियां		
	विशेष आरक्षित निधि निवेश खाता	3,964.11	3,283.72
	अन्य (टिप्पणी सं. 11.1 देखें)	2,956.96	2,029.51
	कुल	**17,698.07**	**32,051.87**

11.1 अन्य बैंक शेषों – अनुदान निधियों में, प्रशिक्षण के लिए अनुदान की शर्तों के अनुसार लक्ष्य समूह के उपयोग हेतु बनाई गई निधियां शामिल हैं।

टिप्पणी 12 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
i)	**प्राप्तव्य ब्याज**	**5,731.21**	**4,418.36**
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ता (टिप्पणी सं. 12.1 व 33 देखें)	(637.23)	(584.48)
		5,093.98	**3,833.88**
ii)	**अन्य**		
	बचत बैंक खाते पर प्राप्तव्य ब्याज	4.80	6.49
	जमा राशियों पर प्राप्तव्य परंतु अदेय ब्याज	10.51	1,117.18
	विशेष आरक्षित निधि पर प्राप्तव्य परंतु अदेय ब्याज	190.56	132.65
	प्राप्तव्य किराया	1.63	0.41
	प्राप्तव्य राशि	46.98	89.05
	कुल	**5,348.46**	**5,179.66**

12.1 तथापि, बीएससीडीसी से अतिदेय संबंधी ₹52.75 लाख (2017–18: ₹52.58 लाख) के ब्याज को लेखांकन नीति 2.11 (i) क के संदर्भ में दर्ज किया गया है।

वर्ष के दौरान, बीएससीडीसी से ₹53.64 लाख प्राप्त हुए, अतएव भुगतान के विनियोग के बाद, ₹ 0.89 लाख के अतिरिक्त प्रावधान को वापस लिया गया। तद्नुसार, 31.03.2019 को बीएससीडीसी का संचयी प्रावधान ₹ 1,414.50 लाख (गत वर्ष ₹1,415.39 लाख) है। इसमें ₹637.23 लाख (गत वर्ष ₹584.48 लाख) का संचयी ब्याज प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी 13 चालू कर परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
i)	प्राप्तव्य स्रोत पर कर की कटौती	12.00	11.65
	कुल	**12.00**	**11.65**

टिप्पणी 14 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अग्रिम		
स्टाफ को अग्रिम	3.87	6.97
पार्टियों को अग्रिम	19.69	24.64
अन्य		
पूर्व–प्रदत्त खर्चे	11.13	9.02
उपदान योजना परिसंपत्तियां	50.83	66.26
कुल	**85.52**	**106.89**

14.1 पूर्व प्रदत्त व्यय में कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर–परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता और दिए गए ऋण पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का ₹7.45 लाख (2017-18 ₹6.53 लाख) शामिल है।

टिप्पणी 15 शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति ₹1000 के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर (31–03–2018 की स्थिति के अनुसार : प्रति ₹1000 के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर)	1,50,000.00	1,50,000.00
जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
प्रति ₹1000 के 1,48,54,000 इक्विटी शेयर (31–03–2018 की स्थिति के अनुसारः 1,34,80,100) प्रति ₹1000 के इक्विटी शेयर	1,48,540.00	1,34,801.00
	1,48,540.00	**1,34,801.00**

15.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का सामांजस्य

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि (लाख में)	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि (लाख में)
वर्ष के आरंभ में जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	134.80	134,801.00	121.80	121802.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	13.74	13,739.00	13.00	12999.00
वर्ष के अंत में जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	148.54	148,540.00	134.80	134,801.00

इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें और अधिकार

निगम के पास प्रति ₹1000 शेयर के सममूल्य इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कर लिया है इसलिए कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान योग्य नहीं है।

15.2 कंपनी में कुल मिलाकर 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों के शेयरों के ब्योरे

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या (लाख में)	(राशि लाख में)	शेयरों की संख्या (लाख में)	(राशि लाख में)
इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति	148.54	100.00%	134.80	100.00%
	148.54	**100.00%**	**134.80**	**100.00%**

16 अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
अन्य आरक्षित		
विशेष आरक्षित	4,738.57	3,964.11
सामान्य आरक्षित	48,055.69	43,440.92
आबंटन लंबित रहने तक शेयर आवेदन राशि	-	-
	52,794.26	**47,405.03**

16.1 विशेष आरक्षित

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	3,964.11	3,283.72
जोड़ें: विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	262.18	210.27
जोड़ें: आय एवं व्यय लेखे से अंतरित (टिप्पणी सं. 16.4 व 16.5 देखें)	512.28	470.11
अंत: शेष	**4,738.57**	**3,964.11**

16.2 सामान्य आरक्षित

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	43,440.92	39,273.30
घटाएं: पूर्वावधि चूक	-	0.19
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष का दुहराव	43,440.92	39,273.49
जोड़ेरू आय एवं व्यय लेखे से अंतरित (टिप्पणी सं. 16.5 देखें)	4,614.39	4,277.40
जोड़ें: सुनिश्चित लाभ देयताओं के पुनः मापन से उत्पन्न अन्य व्यापक आय	0.38	(109.97)
अंत: शेष	**48,055.69**	**43,440.92**

16.3 आवंटित लंबित शेयर आवेदन राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	-	178.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान शेयर आवंटन	-	(178.00)
अंत: शेष	-	-

16.4 लेखांकन नीति–2.16 के अनुसरण में, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज सहित ₹ 3964.11 लाख की विशेष आरक्षित निधि का निवेश अलग से किया गया है।

16.5

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	-	-
जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से अंतरित	5,126.67	4,747.52
घटाएं : विशेष आरक्षित निधि में अंतरित 10%	512.67	475.16
घटाएं: पूर्वावधि व्यय संबंधी 10% राशि को विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि से रिवर्स किया	0.39	5.05
बकाया साधारण आरक्षित में अंतरित शेष	**4,614.39**	**4,277.40**

टिप्पणी 17 चालू और गैर–चालू प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर–चालू	चालू		गैर–चालू	चालू	
i) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान						
- छुट्टी लाभ	326.74	8.50	335.24	283.56	17.90	301.46
- कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	-	445.85	445.85	-	250.31	250.31
ii) अन्य प्रावधान						
- एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	-	147.44	147.44	-	131.12	131.12
- ब्याज सहायता के लिए प्रावधान (एनबीएफसी–एमएफआई)	-	5.96	5.96	-	-	-
कुल	**326.74**	**607.75**	**934.49**	**283.56**	**399.34**	**682.90**

17.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अगले 12 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से संबंधित धनराशि, चालू प्रावधान के रूप में ली गई है।

17.2 प्रावधानों के ब्योरे

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2018–19 के दौरान अभिवर्धन	2018–19 के दौरान उपयोग / भुगतान	2018–19 के दौरान वापस लिया	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार
छुट्टी लाभ	301.46	60.66	26.88		335.24
पीआरपी के लिए प्रावधान	250.31	195.54			445.85
एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	131.12	83.25	42.00	24.93	147.44
ब्याज सहायता के लिए प्रावधान (एनबीएफसी–एमएफआई)	-	5.96	-	-	5.96
कुल	**682.90**	**345.41**	**68.88**	**24.93**	**934.49**

17.3 भारतीय लेखा मानक–19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन (उपदान, छुट्टी लाभ) का प्रकटीकरण

निधिबद्ध स्थिति के साथ–साथ आय एवं व्यय लेखा का विवरण और तुलन–पत्र में मान्यताप्राप्त दीर्घावधि छुट्टी लाभों और उपदान के सुनिश्चित लाभों की सारांशीकृत स्थिति निम्नलिखित है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)
(I) बीमांकिक का मुख्य अनुमान				
मृत्यु दर	**आईएएलएम (2006-08)**		**आईएएलएम (2006-08)**	
एट्रिशन दर				
30 वर्षों तक	3%	3%	3%	3%
31 से 44 वर्ष	2%	2%	2%	2%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%	1%	1%
बट्टा दर	7.61%	7.61%	7.63%	7.63%
वेतन में वृद्धि (वार्षिक)	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर लाभ की दर (वार्षिक)				
शेष कार्यकाल	13.31 वर्ष	13.31 वर्ष	13.01 वर्ष	13.01 वर्ष
(II) देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	492.52	301.46	310.26	247.11
ब्याज लागत	37.58	23.00	22.68	18.06
चालू सेवा लागत	20.86	16.57	19.93	14.16
पूर्व सेवा लागत	-	-	28.58	-
प्रदत्त लाभ (यदि कोई है)	(27.18)	(26.88)	-	(34.63)
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(2.39)	21.09	111.07	56.76
अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**521.39**	**335.24**	**492.52**	**301.46**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)
(III) तुलन–पत्र में मान्यता दी जाने वाली धनराशिः:				
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	572.22	-	558.78	-
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार देयताओं का वर्तमान मूल्य	521.39	335.24	492.52	301.46
तुलन–पत्र में मान्यता दी गई निवल परिसंपत्ति / (देयता)	**50.83**	**(335.24)**	**66.26**	**(301.46)**
(IV) आय एवं व्यय विवरण में मान्यता दिए गए व्यय				
चालू सेवा लागत	20.86	16.57	19.93	14.16
पूर्व सेवा लागत	-	-	28.58	-
निवल ब्याज लागत	(5.06)	23.00	(0.89)	18.06
बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	21.09	-	56.76
आय एवं व्यय का विवरण में मान्यता दी गई निवल लागत	**15.81**	**60.66**	**47.62**	**88.98**
(V) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनः				
अवधि के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	558.78	-	322.48	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	38.14	-	24.67	-
अंशदान	2.48	-	211.63	-
प्रदत्त लाभ	(27.18)	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-	-	-
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**572.22**	-	**558.78**	-
(VI) अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए जाने वाला बीमांकिक लाभ / (हानि)::	**0.38**	-	**(109.97)**	-
	0.38	-	**(109.97)**	-

संवेदनशीलता का विश्लेषणः
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

निम्नलिखित में परिवर्तन	अनुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव
	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	521.39	335.24
बट्टा दर	0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव	(19.38)	(12.73)
	0.50% कमी के कारण प्रभाव	20.43	13.44
	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	521.39	335.24
वेतन की वृद्धि दर	0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव	16.83	13.58
	0.50% कमी के कारण प्रभाव	(16.61)	(12.98)

मृत्यु दर और आहरणों के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए, परिवर्तनों के प्रभाव का परिकलन नहीं किया गया है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में संवेदनशीलताएं सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती।

परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता की रूपरेखा

	वर्ष	राशि	राशि
i	0 से 1 वर्ष	9.68	8.50
ii	1 से 2 वर्ष	23.96	5.38
iii	2 से 3 वर्ष	20.94	15.08
iv	3 से 4 वर्ष	35.18	14.18
v	4 से 5 वर्ष	20.44	25.81
vi	5 से 6 वर्ष	43.76	14.99
vii	6 वर्ष से आगे	367.45	251.31

टिप्पणी 18 उधारी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर–चालू	चालू		गैर–चालू	चालू	
i) आईडीबीआई से ऋण	-	-	-	-	3,307.50	3307.50
ii) पीएंडएसबी से ऋण	-	-	-	-	1,439.67	1439.67
कुल	-	-	-	-	**4,747.17**	**4,747.17**

18.1. वित्तीय वर्ष 2017–18 के संवितरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आईडीबीआई बैंक और पंजाब और सिंध बैंक की एफडीआर की एवज में एक लघु अवधि ऋण, निधि प्रबंधन के उद्देश्य हेतु लिया गया था। शर्तों के मुताबिक, उधार राशि पर ब्याज एफडीआर दर और 0.60% प्रभारित किया गया था जोकि एफडीआर के परिपक्व होन पर या उससे पहले चुकाया जाने योग्य है। हालांकि ऋण राशि दिनांक 06.04.18 और 17.04.18 को पूर्ण रूप से चुका दी गई थी।

टिप्पणी 19 अन्य वित्तीय दायित्व

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
(i)	निम्नलिखित के प्रति सहायता–अनुदानः		
	कौशल प्रशिक्षण के लिए अनुदान (सान्याअमं) (टिप्पणी सं. : 19.1 देखें)	2,850.41	2,257.51
	अन्य संगठनों से अनुदान	83.03	26.09
	वस्त्र मंत्रालय से अनुदान	0.45	19.70
(ii)	प्राप्त हुई प्रतिभूति जमा	4.22	4.22
(iii)	भुगतान योग्य ईएमडी	16.22	18.87
(iv)	विविध लेनदार	136.15	69.93
(v)	बकाया व्यय	53.01	39.53
(vi)	अन्य भुगतान योग्य	493.20	56.64
	कुल	**3,636.69**	**2,492.49**

19.1 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, उपलब्ध अनुदानों को राजस्व अनुदानों के रूप में मान्यता दी जाती है और खर्च न किए गए शेष को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है। वर्ष के दौरान, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण वृत्तिका प्रदान करने के प्रति सरकारी संस्थानों से ₹1925.73 लाख (2017–18: ₹ 3042.67 लाख) की राशि प्राप्त की गई थी। उपलब्ध कुल अनुदानों में से ₹1447.82 लाख (2017–18: ₹1659.03 लाख) जारी किए गए थे और इसे वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व अनुदान के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ष के आरंभ में प्राप्त, लौटाए गए, वर्ष के दौरान जारी किए गए और 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार शेष प्रशिक्षण अनुदानों और आर्थिक सहायता के ब्योरे निम्नलिखित हैं:

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	01.04.2018 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष	18–19 के दौरान प्राप्तियां	18–19 के दौरान ब्याज आय	वापसी	18–19 के दौरान स्वीकृत (निर्मुक्त)	अंतः शेष
1	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (प्रशिक्षण अनुदान)	2,257.51	1,750.00	146.29	-	1,303.39	2,850.41
2	संसाधन लिंकेज कार्यक्रम II	26.09	175.73	2.32	-	121.11	83.03
3	वस्त्र मंत्रालय से अनुदान	19.70	-	3.50	-	22.74	0.45
	कुल	**2,303.30**	**1,925.73**	**152.11**	**-**	**1,447.24**	**2,933.89**

19.2 सरकारी अनुदान और अन्य अनुदानों को मान्यता तब दी जाती है जब उनके संग्रह के संबंध में कोई अनिश्चितता न हो और फर्म प्रतिबद्धताओं / मंजूरी इत्यादि कंपनी के साथ उपलब्ध हो तथा इस बात के पर्याप्त आश्वासन हो कि कंपनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी। कुछ मामलों में, अनुदानों को वर्ष के दौरान उपरोक्त शर्तों की संतुष्टि पर मान्यता प्राप्त है, हालांकि संबंधित व्यय को विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त है।

19.3 कंपनी के पास सरकारी अनुदानों के लिए ₹2850.86 लाख और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुदानों के लिए ₹83.03 लाख शेष अनुदान देयता है, जो कि टिप्पणी संख्या 19 में 'अन्य वित्तीय दायित्व' के रूप में दिखाया गया है। कंपनी ने अनुदान की मान्यता के लिए पूंजी दृष्टिकोण का पालन किया है और वर्ष के दौरान प्राप्त प्रारंभिक शेष राशि या अनुदान से अंतः व्यय / निर्मुक्ति को कम कर दिया है। अतएव, लेखांकन अनुदान के आधार पर नहीं किया गया है बल्कि संचयी अनुदान प्राप्ति के आधार पर किया गया है। इसलिए, किसी भी राशि को लाभ या हानि के रूप में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि में मान्यता नहीं दी गई है जिसमें संस्था अनुदान की क्षतिपूर्ति करने की दृष्टि से संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है।

टिप्पणी 20 अन्य चालू दायित्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देय राशियां	47.41	46.75
कुल	**47.41**	**46.75**

टिप्पणी 21 प्रचालनों से प्राप्त राजस्व (आय)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/अन्यों को दिए गए ऋण पर ब्याज		
मियादी ऋण (टीएल) पर ब्याज	4,320.20	3,180.68
लघु ऋण वित्त (एमसीएफ) पर ब्याज	530.00	193.51
महिला किसान योजना (एमकेवाई) पर ब्याज	3.54	5.84
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) पर ब्याज	162.82	191.73
शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई) पर ब्याज	0.28	0.50
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) पर ब्याज	48.93	45.82
वीईटीएलएस पर ब्याज	0.32	0.34
वापसी पर ब्याज (कृपया टिप्पणी सं.: 21.1 देखें)	654.39	321.78
प्राप्त एलडीडीपी	-	-
प्राप्त उच्च ब्याज दर	0.01	0.30
अन्य प्रचालन से राजस्व		
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्तों का प्रत्यावर्तन	0.89	3.58
कुल	**5,721.38**	**3,944.08**

21.1 वर्ष 2018–19 के दौरान, एससीए, आरआरबी/पीएसबी और एनबीएफसी–एमएफआई से ₹10988.31 लाख (वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ₹6837.64 लाख रुपए) की वापसी पर क्रमशः ₹101.83 लाख (वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ₹313.00 लाख) ₹552.56 लाख (वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ₹8.78 लाख) और ₹ शून्य (वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ शून्य) धनवापसी ब्याज लगाया गया था।

वर्तमान ऋण नीति के अनुसार धनवापसी पर ब्याज निम्नानुसार लगाया जाता है:–

(i) एससीए के मामले में संवितरित राशि की वापसी पर।

(ii) चैनलाइजिंग एजेंसियों के मामले में:–

(क) निर्धारित समयावधि के अंदर अप्रयुक्त निधि और धन वापसी पर ब्याज एनएसएफडीसी द्वारा चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्रभारित सामान्य ब्याज दर से अधिक 4% वार्षिक की दर से लागू होगा तथा संवितरण की तारीख से वापसी की तारीख तक लागू होगा।

(ख) चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा 120 दिनों के भीतर अप्रयुक्त की गई राशि पर भी ऊपर बताए अनुसार वही लागू किया जाएगा।

(ग) चैनलाइजिंग एजेंसियों को पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 80% या उससे अधिक संचयी निधि उपयोग स्तर के अप्रयुक्त राशि पर लगाए जाने से छूट दी जाएगी।

(iii) एनबीएफसी–एमएफआई के मामले में, चैनलाइजिंग एजेंसियों को धनवापसी पर ब्याज लगाए जाने से छूट दी जाएगी, यदि संचयी निधि उपयोग स्तर किसी विशेष योजना के तहत 80% या उससे अधिक है।

(iv) एनबीएफसी–एमएफआई, दावा आधारित वार्षिक आधार पर देय राशियों की समय से पूर्ण अदायगी पर 2% वार्षिक की दर से राहत पाने के पात्र हैं।

टिप्पणी 22 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
बैंकों में जमा राशियों पर ब्याज	1,271.26	2,621.83
बचत बैंक खातों पर ब्याज	57.98	47.38
कर्मचारी एवं अन्य को दिए गए अग्रिम पर ब्याज (कृपया टिप्पणी सं. 22.1 देखें)	39.06	26.25
ख) अन्य गैर–प्रचालन आय		
जब्त बयाना राशि जमा	-	0.05
विविध प्राप्तियां	0.34	2.53
प्राप्त किराया	16.20	16.48
उचित मूल्य समायोजन (कृपया टिप्पणी सं. 22.2 देखें)	-	0.19
बट्टे खाते का प्रावधान	26.55	2.88
कुल	**1,411.39**	**2,717.60**

22.1 कर्मचारी ऋण के उचित मूल्य निर्धारण के कारण आस्थगित खर्चों के परिशोधन के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान ₹8.88 लाख (वित्तीय वर्ष 2017-18 - ₹8.26 लाख) को मान्यता दी गई है।

22.2 प्रतिभूति जमा / ईएमडी राशियों के उचित मूल्य निर्धारण के कारण आस्थगित खर्चों के परिशोधन के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान शून्य रुपए (वित्तीय वर्ष 2017-18 - ₹0.19 लाख) को मान्यता दी गई है।

टिप्पणी 23 कर्मचारी हित लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, भत्ते एवं लाभ : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक		
वेतन एवं भत्ते	33.66	31.08
चिकित्सा प्रर्तिपूर्ति	0.12	0.12
सदस्यता शुल्क	-	0.01
छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	-	-
छुट्टी लाभ	-	0.61
बाह्य सेवा अंशदान	8.42	8.35
	42.20	**40.17**
ख) वेतन एवं भत्ते : कर्मचारी		
वेतन एवं भत्ते	986.84	887.33
छुट्टी लाभ	60.66	88.98
छुट्टी यात्रा रियायत नकदीकरण	1.51	0.31
छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	9.23	1.13
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	14.28	19.88
समयोपरि भत्ता	1.98	0.97
व्यावसायिक सदस्यता शुल्क	0.04	0.09
निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)	195.54	107.19
	1,270.07	**1,105.89**
ग) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
भविष्य निधि/जीएसएलआईएस में निगम का अंशदान	63.34	58.41
पेंशन में निगम का अंशदान	11.64	10.85
भविष्य निधि प्रशासनिक व्यय	3.86	4.93
उपदान	15.81	48.60
चिकित्सा (सेवानिवृत्ति)	18.72	18.50
पेंशन (सेवानिवृत्ति)	62.42	61.68
	175.79	**202.97**
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	7.05	2.87
	7.05	**2.87**
ङ) ऋणों और अग्रिमों पर कर्मचारी लाभ व्यय	8.88	8.26
कुल	**1,503.99**	**1,360.16**

टिप्पणी 24 वित्त लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज		
सावधि जमा रसीदों पर लिए ऋण पर ब्याज	23.56	89.05
अन्य उधार लागतें		
प्रतिभूति जमा पर छूट की अन्वांडिंग	-	0.32
बयाना राशि पर छूट की अन्वांडिंग	-	0.19
कुल	**23.56**	**89.56**

टिप्पणी 25 मूल्यह्रास और परिशोधन लागतें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 3 और 4 देखें)	38.39	39.14
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी सं. 5 देखें)	5.51	3.03
कुल	**43.90**	**42.17**

टिप्पणी 26 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को प्रोत्साहन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वसूली के लिए एससीए को प्रोत्साहन	38.24	44.12
एससीए को प्रोत्साहन–एनएपीई	45.00	45.00
कुल	**83.24**	**89.12**

26.1 दिनांक 01.04.2017 से प्रोत्साहन और अन्य योजनाओं की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की गई है। वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 83.24 लाख का प्रावधान बनाया गया है।

टिप्पणी 27 अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन व्यय	0.20	1.38
कारोबार उन्नयन व्यय	4.44	2.15
कंप्यूटर एवं वेबसाइट व्यय	1.99	4.30
निगम सदस्यता शुल्क	1.36	1.26
निदेशक/बोर्ड बैठक व्यय	1.33	1.26
विद्युत प्रभार	22.16	23.62
बीमा प्रभार	2.89	1.34
विधि और व्यावसायिक व्यय/परामर्श	21.48	19.99
दृश्य–श्रव्य प्रचार माध्यम/मूल्यांकन/सम्मेलन/सेमिनार	55.61	50.18
कार्यालय इमारत व्यय	49.25	48.90
कार्यालय व्यय	56.08	50.11
कार्यालय किराया	6.40	5.48
लेखापरीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी सं. 27.1 देखें)	1.85	1.44
डाक, तार	1.53	1.60
मुद्रण और लेखन–सामग्री	8.34	7.20
स्टाफ भर्ती व्यय	-	2.54
टेलीफोन एवं टैलेक्स	5.86	6.64
प्रशिक्षण व्यय – स्टाफ	6.36	6.66
प्रशिक्षण व्यय – निदेशक	7.72	-
यात्रा किराया व्यय	0.59	1.08
यात्रा व्यय – निदेशक	9.31	5.50
यात्रा व्यय – स्टाफ	19.95	34.49
वाहन व्यय	10.53	13.15
दरें एवं कर	7.26	1.19
समाचार–पत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	0.39	0.69
कुल	**302.88**	**292.15**

27.1 लेखापरीक्षक पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
गत वर्ष के लिए लेखापरीक्षा शुल्क	0.23	0.04
वर्तमान वर्ष के लिए लेखापरीक्षा शुल्क	1.62	1.25
कराधान मामलों के लिए	-	0.15
कुल	**1.85**	**1.44**

टिप्पणी 28 असाधारण मदें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल)	-	(0.22)
कुल	**-**	**(0.22)**

टिप्पणी 29 अन्य व्यापक आय के संघटक (ओसीआई)

इक्विटी में आरक्षण के प्रत्येक प्रकार द्वारा अन्य व्यापक आय के परिवर्तनों का पृथकतः नीचे दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	एफवीटीओसीआई	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सुनिश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन - उपदान	0.38	(109.97)
कुल	**0.38**	**(109.97)**

टिप्पणी 30 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
मूलभूत ईपीएस		
निरंतर प्रचालन से	35.13	36.71
तरलीकृत ईपीएस		
निरंतर प्रचालन से	35.13	36.71

30.1 प्रति शेयर मूलभूत अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयरों का अर्जन और भारित औसत संख्या:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभः		
निरंतर प्रचालन से	5,126.67	4,747.52
प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए अर्जन	5,126.67	4,747.52
प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	145.95	129.33

30.2 प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन

प्रति शेयर तरलीकृत के परिकलन में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयरों के अर्जन और भारित औसत संख्याः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ :		
निरंतर प्रचालन से	5,126.67	4,747.52
निरंतर प्रचालनों से प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए अर्जन	**5,126.67**	**4,747.52**

मूल अर्जन की गणना में इस्तेमाल किए ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या को तरलीकृत प्रति शेयर अर्जन के उद्देश्य के लिए ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या के सामंजस्य को नीचे दिया जा रहा हैः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
तरलीकरण के प्रभाव के उद्देश्य के लिए शेयरों की	145.95	129.33
भारित औसत संख्याः		
आबंटन के लिए लंबित शेयर	-	-
प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के उद्देश्य के लिए इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	145.95	129.33

टिप्पणी 31 पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की अपनी क्षमता सुनिश्चित करने और उसकी रक्षा करने के लिए एक तरीके से अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम लाभ और अन्य शेयरधारियों को लाभ उपलब्ध कराना जारी रख सके।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय प्रसंविदाओं की आर्थिक शर्तों और अपेक्षाओं में परिवर्तनों के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी का प्रबंधन करने के लिए उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

टिप्पणी 32 उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणियों के अनुसार वित्तीय विलेखों का कैरिंग मूल्य निम्नलिखित है

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक		परिशोधित लागत	31 मार्च, 2018 तक		परिशोधित लागत
	एफवीटी पीएल	एफवीटीओ सीआई		एफवीटी पीएल	एफवीटीओ सीआई	
वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) नकद और नकद समतुल्य	-	-	6,532.76	-	-	1,454.97
(ii) अन्य बैंक शेष	-	-	17,698.07	-	-	32,051.87
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	5,352.80	-	-	5,184.00
(iv) एससियों और सीए को ऋण	-	-	175,279.53	-	-	150,528.52
(v) कर्मचारियों को ऋण	-	-	449.37	-	-	277.85
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	**205,312.53**	-	-	**189,497.21**
वित्तीय देयताएं						
(i) उधार	-	-	-	-	-	4,747.17
(ii) भुगतान योग्य प्रतिभूति जमा और ईएमडी	-	-	20.43	-	-	23.09
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	3,616.26	-	-	2,469.41
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	**3,636.69**	-	-	**7,239.66**

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य, जो उचित मूल्य पर मापा जाता है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2018 तक	
	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) एससीए और सीए को ऋण	175,279.53	175,279.53	150,528.52	150,528.52
(ii) स्टाफ ऋण और अग्रिम	449.37	461.04	277.85	293.44
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**175,728.90**	**175,740.57**	**150,806.37**	**150,821.95**
वित्तीय देयताएं				
(i) भुगतान योग्य प्रतिभूति जमा और ईएमडी	20.43	20.43	23.09	23.09
कुल वित्तीय देयताएं	**20.43**	**20.43**	**23.09**	**23.09**

i) नकद और नकद समकक्ष की कैरिंग राशियां, अन्य बैंक शेष, उधार, प्रतिभूति जमा और ईएमडी, अन्य वित्तीय देयताएं और एससीए को ऋण, अल्पावधि स्वरूप के होने के कारण उतने ही माने जाते हैं, जितना उनका उचित मूल्य है।

ii) ''कर्मचारियों को ऋण'' का उचित मूल्य को वर्तमान बाजार दर का इस्तेमाल करके बट्टाकृत नकद प्रवाहों के आधार पर परिकलित किया गया है। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अवलोकन न किए जाने योग्य इनपुटों के समावेशन के कारण उन्हें उचित मूल्य अनुक्रम में स्तर तीन उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 के अंदर शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, इनपुट जो या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से लिए गए), परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो अवलोकन योग्य बाजार आंकड़ों (अवलोकन योग्य नहीं इनपुटों) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित सारणी परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओ के उचित मूल्य मापन अनुक्रम को दर्शाती है:

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रमः

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तारीख	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च, 2019	-	-	449.37	449.37
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	449.37	449.37
वित्तीय देयताएं					
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं					
भुगतान योग्य प्रतिभूति जमा और ईएमडी	31 मार्च, 2019	-	-	20.43	20.43
कुल वित्तीय देयताएं		-	-	20.43	20.43

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तारीख	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंत्तियां					
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च, 2018	-	-	293.44	293.44
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	293.44	293.44
वित्तीय देयताएं					
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं					
भुगतान योग्य प्रतिभूति जमा और ईएमडी	31 मार्च, 2018	-	-	23.09	23.09
कुल वित्तीय देयताएं		-	-	23.09	23.09

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के मुख्य वित्तीय दायित्वों में अनुदान और अन्य भुगतान योग्य राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय दायित्वों के मुख्य उद्देश्य, कंपनी के प्रचालनों का वित्त पोषण करने और इसके प्रचालन को समर्थन देने के लिए गारंटियां उपलब्ध कराना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/सीए को मियादी/माइक्रो वित्त ऋण शामिल हैं, जो अपनी इक्विटी से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम है। कंपनी के वित्तीय जोखिम क्रियाकलाप समुचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा विनियमित होते हैं तथा इन वित्तीय जोखिमों का पता लगाया जाता है, इन्हें मापा जाता है और कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार इनका प्रबंधन किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक का प्रबंधन करने के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमति व्यक्त करता है, जो नीचे सारांशीकृत किए गए हैं:-

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम एक ऐसा जोखिम है कि किन्हीं वित्तीय विलेखों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाजार मूल्यों में परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम शामिल होता है। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावी वित्तीय विलेखों में ऋण और अग्रिम, जमा राशियां और अन्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय विलेख शामिल हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि बाजार ब्याज दर में परिवर्तनों के कारण किन्हीं वित्तीय विलेखों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी को ब्याज दर जोखिम का खतरा नहीं है।

ग) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि किसी वित्तीय विलेख की कोई काउंटर पार्टी अपने संविदात्मक दायित्व पूरा करने में विफल रहती है और यह मुख्यतः एससीए और सीए से प्राप्ति योग्य कंपनी के ऋणों से उत्पन्न होता है। कंपनी को, एससीए और सीए को दिए गए ऋणों के अपने वित्तीय क्रियाकलापों से क्रेडिट जोखिम का खतरा है।

कंपनी अपनी आंतरिक नीतियों के आधार पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन करती है। कंपनी परिसंपत्तियों की आरंभिक मान्यता पर चूक की संभावना पर विचार करती है और इस बात पर भी विचार करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में चलायमान आधार पर क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, कंपनी आरंभिक मान्यता की तारीख की स्थिति के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों पर हुई चूक के जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध तर्कसंगत और समर्थकारी अग्रगामी सूचना पर विचार करती है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल किए गए हैं:

- दायित्व को समर्थन देने वाले संपार्श्विक या तृतीय पक्षकार गारंटियों की गुणवत्ता के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- समूह में ऋण प्राप्तकर्ताओं (एससियों और सीए) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और ऋण प्राप्तकर्ताओं (एससीए) के प्रचालन परिणामों में परिवर्तनों सहित ऋण प्राप्तकर्ता (एससीए और सीए) के प्रत्याशित कार्य–निष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

सामान्य तौर पर, यह अनुमान लगाया जाता है कि आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, यदि भुगतान 3 वर्ष से अधिक समय तक देय है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में चूक तब होती है जब काउंटर पार्टी उस समय भुगतान करने में विफल रहती है जब वे देय हो जाते हैं।

वित्तीय विलेख और नकद जमा राशियां

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास शेषों से क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष का निवेश काउंटर पार्टी से प्राप्त वित्तीय कोट्स के आधार पर काउंटर पार्टी के अनुमोदन से ही किया जाता है।

घ) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन की अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। कंपनी पूर्वानुमानों और वास्तविक नकद प्रवाहों की निरंतर मॉनीटरिंग करके और वित्तीय देयताओं की परिपक्वताओं का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी के नकद हानि जोखिम के प्रबंधन के लिए आईडीबीआई बैंक और पंजाब और सिंध बैंक के एफडीआर पर एक अल्पावधि ऋण लिया गया था।

टिप्पणी 33

33.1 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान (₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्ति समूह	चूक की अनुमानित सकल कैरिंग धनराशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियां	कैरिंग राशि (निवल हानिकरण प्रावधान)
लाइफटाइम प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।	**ऋण**	1,75,279.53	0%	-	1,75,279.53
		ऋणों पर ब्याज	5,093.98	0%	-	5,093.98
	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हुई है और क्रेडिट रूप से हानिकरण नहीं हुआ।	**ऋण**	777.27	100%	777.27	-
		ऋणों पर ब्याज	637.23	100%	637.23	-
		अग्रिम	1,539.99	100%	1,539.99	-
			1,83,328.00		**2,954.49**	**1,80,373.51**

33.2 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान :

(₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्ति समूह	चूक की अनुमानित सकल कैरिंग धनराशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियां	कैरिंग राशि (निवल हानिकरण प्रावधान)
लाइफटाइम प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।	**ऋण**	1,50,528.52	0%	-	1,50,528.52
		ऋणों पर ब्याज	3,833.88	0%	-	3,833.88
	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हुई है और क्रेडिट रूप से हानिकरण नहीं हुआ।	**ऋण**	830.91	100%	830.91	-
		ऋणों पर ब्याज	584.48	100%	584.48	-
		अग्रिम	1,539.99	100%	1,539.99	-
			1,57,317.78		**2,955.38**	**1,54,362.40**

33.3

एसीए के लिए, जहां राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासन उपलब्ध है, संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति लेखा–बहियों में 100 प्रतिशत की दर से दी गई है, यदि तुलन–पत्र की तारीख को अतिदेय 3 वर्ष से अधिक है और राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासनों में कमी है।

सीए के अलावा (जहां गारंटी उपलब्ध नहीं है)

(क) भुगतान के लिए देय परंतु 3 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि पर 100% का प्रावधान है।

(ख) भुगतान के लिए देय परंतु 2 वर्ष या इससे अधिक परंतु 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया राशि पर 40% का प्रावधान है।

(ग) भुगतान के लिए देय परंतु 1 वर्ष या इससे अधिक परंतु 2 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया राशि पर 25% का प्रावधान है।

(घ) भुगतान के लिए देय परंतु 1 वर्ष से कम अवधि के लिए बकाया राशि पर कोई प्रावधान नहीं है।

33.4 अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान

वर्ष 2000–01 के दौरान ''पनवायर'' के पास जमा की गई राशि के संबंध में लेखा–पुस्तिकाओं में अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए ₹1,539.99 लाख (2016-17, ₹1,539.99 लाख) [जिसकी मूल राशि ₹1,485.00 लाख है (2017-18 ₹1485.00 लाख) और प्राप्ति योग्य तथा देय ब्याज ₹54.99 लाख (2017-18, ₹54.99 लाख), का प्रावधान है चूंकि मूलधन ही वसूली के लिए संदिग्ध है, इसलिए ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत ''पनवायर'' के विरुद्ध एनएसएफडीसी द्वारा न्यायालय के दो मामले संबंधित न्यायालय में लंबित हैं। कंपनी (पनवायर) का माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा द्वारा पारित दिनांक 01.02.2001 के आदेश द्वारा परिसमापन हो गया था। इसके पश्चात इस मामले में न्यायालय द्वारा सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया था। सरकारी परिसमापक से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार पनवायर की परिसंपत्तियां, उसके प्रतिभूत लेनदारों के प्रति कंपनी की देयताएं पूरी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। एनएसएफडीसी के एक अप्रतिभूत लेनदार होने के कारण, इसकी राशि की वसूली की कोई गुंजाइश नहीं है और उक्त कंपनी में एनएसएफडीसी द्वारा निवेश की गई राशि वसूली के लिए संदिग्ध है।

टिप्पणी 34 अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

भविष्य से संबंधित मुख्य अनुमान निम्नलिखित हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जो महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है, जिसके कारण अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की कैरिंग राशि में महत्वपूर्ण समायोजन किया जा सकता हैरू

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

जैसाकि टिप्पणी संख्या 2.7 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।

उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव, आगामी वित्तीय वर्षों में मूल्यह्रास के खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

जैसाकि टिप्पणी संख्या 2.8 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।

उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव, आगामी वित्तीय वर्षों में परिशोधन खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

ग) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों द्वारा मापे जाते हैं। इन पद्धतियों के इनपुट, जहां संभव हो, अवलोकन योग्य बाजारों से लिए लाते हैं परंतु जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य

निकालने के लिए निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। निर्णयों में लिक्विडिटी जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुटों पर विचार करना शामिल है। इन कारकों के बारे में अनुमानों में होने वाले परिवर्तन वित्तीय विलेखों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगले प्रकटीकरणों के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें।

घ) सुनिश्चित लाभ दायित्व

कर्मचारी लाभ दायित्व, बीमांकिक मूल्यांकनों का इस्तेमाल करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में ऐसे विभिन्न अनुमान लगाना शामिल है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इनमें बट्टा दर का निर्धारण, वेतन में भावी वृद्धियां और मत्यु दरें शामिल हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसके दीर्घावधि स्वरूप के कारण सुनिश्चित लाभ दायित्व इन अनुमानों में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 35 पूर्व–अवधि त्रुटियां

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
दिनांक 01.04.2017 को सामान्य आरक्षित राशि	39,273.30
पूर्वावधि समायोजन	(0.19)
दिनांक 01.04.2017 को पुनः प्रस्तुत प्रारंभिक सामान्य आरक्षित	**39,273.11**
2017–18 को समाप्त वर्ष के लिए निरंतर प्रचालन की अवधि के लिए पुनरू प्रस्तुत व्यय से अधिक आय की शेष राशि	4,747.52
2017–18 के दौरान विशेष आरक्षित राशि में हस्तांतरण	(470.11)
2017–18 के दौरान अन्य व्यापक आय	(109.97)
31.03.2018 को पुनरू प्रस्तुत प्रारंभिक सामान्य आरक्षित	**43,440.55**

इक्विटी, आय एवं व्यय का विवरण और ईपीएस पर पूर्व अवधि की त्रुटियों का प्रभाव

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी पर प्रभाव [इक्विटी में वृद्धि / (कमी)]		
अन्य देय	-	(0.02)
वैधानिक बकाया	-	(6.37)
प्राप्ति योग्य ब्याज परंतु जमा पर देय नहीं		2.52
वसूली योग्य राशि	-	(0.30)
स्टाफ को अग्रिम	-	(0.01)
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-	(0.02)
बकाया व्यय	-	0.10
इक्विटी पर निवल प्रभाव	**-**	**(4.09)**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
'आय और व्यय का विवरण' पर प्रभाव [लाभ में वृद्धि / (कमी)]		
अन्य खर्च	-	(0.22)
जमा पर ब्याज	-	2.52
कर्मचारी हित व्यय	-	(6.38)
मूल्यह्रास	-	(0.02)
कार्यालय उपकरण	-	0.04
मूल्यह्रास का प्रावधान	-	(0.04)
कुल प्रभाव	-	(4.09)
इक्विटी धारकों के प्रति	-	(4.09)

मूल और तरलीकृत प्रति शेयर अर्जनों (ईपीएस) [ईपीएस में वृद्धि / (कमी) पर प्रभाव]

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
निरंतर प्रचालन के लिए प्रति शेयर अर्जन		
इक्विटी धारकों को देय, निरंतर प्रचालनों से मूलभूत लाभ	-	(0.03)
इक्विटी धारकों को देय, निरंतर प्रचालनों से तरलीकृत लाभ	-	(0.03)

टिप्पणी 36 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

36.1 कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

(₹ लाख में)

नाम	पद
श्री श्याम कपूर	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
श्री राजेश बिहारी	महाप्रबंधक (वित्त) 09.08.2018 से
श्रीमती अन्नु भोगल	कंपनी सचिव
सुश्री विशाखा शैलानी	स्वतंत्र निदेशक 17.04.2017 से
डॉ. के. रामालिंगम	स्वतंत्र निदेशक 20.03.2019 से

36.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूर्तिः

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ किए गए लेनदेनों का स्वरूप या मात्रा

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ	85.94	63.27
नियोजनोत्तर कर्मचारी लाभ	43.26	1.66
अन्य दीर्घावधि लाभ	-	-
	129.20	**64.93**

अल्पावधि लाभ में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और स्वतंत्र निदेशकों के बैठक में शामिल होने की फीस शामिल हैं।

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
	संबंधित पार्टी को ऋण		
(i)	**श्री राजेश बिहारी (महाप्रबंधक – वित्त)**		
	वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि	5.42	-
	वर्ष के दौरान दिया गया ऋण	0.00	-
	ब्याज	0.09	-
	वर्ष के दौरान अदायगी	(1.00)	-
	अंतिम शेष	4.51	-
(ii)	**श्रीमती अनु भोगल (कंपनी सचिव)**		
	वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि	14.94	17.09
	वर्ष के दौरान दिया गया ऋण	-	-
	ब्याज	0.90	1.20
	वर्ष के दौरान अदायगी	(3.21)	(3.35)
	अंतिम शेष	12.63	14.94
	वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली राशि	**17.14**	**14.94**

36.3 सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन

उपर्युक्त लेनदेन के अलावा, कंपनी का अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

सरकार का नामः भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (100% पूंजीगत योगदान) के माध्यम से

कुछ महत्वपूर्ण लेनदेन :

(₹ लाख में)

पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पूंजीगत योगदान	13739.00	12821.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	कौशल प्रशिक्षण हेतु अनुदान	1750.00	2950
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य योजनाएं	20.21	40.76
		15509.21	**15811.76**

37. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई बाकी मूल राशि	3.09	11.16
(ii)	लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई राशि पर देय ब्याज	-	-
(iii)	निश्चित तारीख के पश्चात किए गए भुगतान की राशियों के साथ भुगतान किए गए ब्याज की राशि	-	-
(iv)	वर्ष के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि	-	-
(v)	लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि और शेष अप्रदत्त	-	-
(vi)	आगामी देय ब्याज की राशि और आगामी वर्ष में भी भुगतान योग्य, जब तक कि उस तारीख तक उक्त देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशियां, उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक, प्रबंधन द्वारा प्राप्त की गई सूचना के आधार पर इन पार्टियों की पहचान कर ली गई है। इस पर, लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

टिप्पणी 38 राष्ट्रीय स्तर के निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ किए गए लेनदेन की बाबत, वसूली योग्य/प्राप्ति योग्य राशियों का प्रतितुलन करने के पश्चात, सामूहिक रूप सेध्उनकी ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रमों के प्रति वसूली योग्य कुल धनराशि ₹8.53 लाख (31.03.2018 को ₹64.93 लाख) है।

टिप्पणी 39 निगमित सामाजिक दायित्व

(₹ लाख में)

सीएसआर व्यय	वित्तीय वर्ष	
	2018-19	2017-18
वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग शिविर	-	0.16
स्वच्छ भारत कोष/स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन में योगदान	30.00	28.50
जैव–मेथनशन योजना–सह–कार्बनिक अपशिष्ट प्रोसेसर की स्थापना	-	2.30
स्वच्छता (स्वच्छता पखवाड़ा)	1.30	1.80
सैनिटरी नैपकीन वेंडिंग मशीन की स्थापना/कौशल उन्नयन	1.33	-
चिकित्सा शिविर	9.14	-
कुल	**41.77**	**32.76**

39.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और इसकी अनुसूची–VII के साथ पठित अनुसार, सीएसआर व्यय के प्रकटीकरण के संबंध में

(क) व्यय की जाने वाली राशि का ब्योरा

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) ईओआईओई		
2014-15	-	3,614.09
2015-16	4,405.48	4,405.48
2016-17	4,900.92	4,900.92
2017-18	4,747.52	-
(ii) कुल (ईओआईओई)	**14,053.92**	**12,920.49**
(iii) घटाएं: परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए समायोजन	0.32	0.54
(iv) निवल लाभ	14,053.60	12,919.95
(v) औसत (iv/3)	4,684.53	4,306.65
(vi) (v) का 2%	93.69	86.13
(vii) वर्ष के आरंभ में अव्ययित राशि	53.37	-
(viii) वर्ष के दौरान व्ययित राशि	41.77	32.76
(ix) वर्ष के अंत में अव्ययित राशि (vi+vii-viii)	105.29	53.37

(ख) वर्ष के दौरान, सीएसआर के तहत ₹41.77 लाख बुक किया गया।

(ग) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष को अव्यथित शेष सीएसआर व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

टिप्पणी 40 मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एमपीएससीएफडीसी) ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य (एमपी) के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में द्विभाजन के कारण निगम/राज्य सरकार के बीच परिसंपत्तियों और दायित्वों के अंतरण को विनियमित करता है, के अनुसार एनएसएफडीसी ने अपने ऋण पोर्टफोलियो द्विभाजित कर दिए। तत्कालीन एमपीएससीएफडीसी के द्विभाजन के कारण एमपीएसडीएफडीसी और छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम (सीएसएएसएफडीसी) के बीच ऋण देयता के संविभाजन का मामला, अपर रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी अधिकरण, भोपाल को संदर्भित किया गया था क्योंकि एमपीएससीएफडीसी द्वारा किया गया द्विभाजन, सीएसएएसएफडीसी को स्वीकार्य नहीं था। एमपीएससीएफडीसी के पक्ष में दिया गया न्यायाधिकरण का निर्णय, सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसने इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के समक्ष अपील दायर की। यह समादेश याचिका, माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश स्वीकार कर ली गई थी। यह मामला अभी निर्णयाधीन है।

न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला निर्णय लंबित रहते हुए, देय ब्याज के साथ–साथ ₹210.09 लाख की ऋण देयताएं, सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार कर ली गई है और अदा कर दी गई है। सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार न की गई, मूलधन के प्रति ₹835.93 लाख (गत वर्ष ₹835.93 लाख) और 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ब्याज के प्रति ₹889.46 लाख (गत वर्ष ₹820.51 लाख) की दयेता के लिए, इसे एमपीएससीएफडीसी के विरुद्ध दिखाया जा रहा है और इसकी अदायगी के लिए उन्हें मांग जारी की जा रही है।

टिप्पणी 41 दिनांक 31.03.2019 को ऋणों का कुल अतिदेय, ₹4733.78 लाख (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ₹3793.71 लाख) के ब्याज सहित ₹35743.97 लाख रुपए (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ₹33277.55 लाख) है।

41.1 तीन वर्ष से अधिक के अतिदेय वाली राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां निम्नलिखित हैं

क्रम सं.	एजेंसी	राज्य	कुल अतिदेय (₹ लाख में) (31.03.2019 तक)
1	एएसडीसी	असम	597.68
2	बीएससीडीसी	बिहार	1,414.50
3	एमपीएससीएफडीसी	मध्य प्रदेश	1,797.24
4	एलएएसडीसी	महाराष्ट्र	8,614.01
5	ओएसएफडीसी	ओडिशा	1,071.45
6	पीएससीएलडीएफसी	पंजाब	1,500.00
7	पीएडीसीओ	पुद्दुचेरी	304.47
8	यूपीएससीएफडीसी	उत्तर प्रदेश	2,008.21
9	एमएसटीसीबी	मणिपुर	118.35
10	जीएमबीसीडीसी	गुजरात	1,262.14
		कुल (क)	**18,688.05**

41.2 तीन वर्ष से कम के अतिदेय वाली 'राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां' निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	एजेंसी	राज्य	कुल अतिदेय (₹ लाख में) (31.03.2019 तक)
1	जीएससीडीसी	गुजरात	3,754.67
2	डीबीआरएडीसी	कर्नाटक	3,852.42
3	लिडकॉम	महाराष्ट्र	1,464.21
4	टीएससीडीसी	त्रिपुरा	2,023.29
5	आरएससीडीसी	राजस्थान	903.22
6	जीएमबीसीडीसी	गुजरात	
6	सीटीएससीडीसी	छत्तीसगढ़	1,414.49
7	एपीएससीएफडीसी	आंध्र प्रदेश	1,394.62
8	जेएससीडीसी	झारखंड	478.25
9	जेएंडकेएससीडी	जम्मू व कश्मीर	227.97
10	शेष राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां		1,542.79
	कुल (ख)		**17,055.93**
	सकल कुल (क+ख)		**35,743.98**

41.3 31.03.2019 को ₹63,964.64 लाख (31.03.2018 को स्थिति के अनुसार ₹73,478.26 लाख) के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। एससीए/सीए–वार अप्रयुक्त निधियों के ब्योरे निम्नलिखित हैः

क्र.सं.	एजेंसी	राज्य	अप्रयुक्त निधि (₹ लाख में)	
			2018-19	2017-18
1	डीबीआरएडीसी	कर्नाटक	7,442.69	8,598.24
2	एपीएससीडीसी	आंध्र प्रदेश	8,610.33	6,347.35
3	जीएससीडीसी	गुजरात	3,122.31	5,012.95
4	डब्ल्यूबीएससीएसटीडीसी	पश्चिम बंगाल	5,938.00	4,252.90
5	एमपीबीसीडीसी	महाराष्ट्र	4,156.70	4,152.20
6	टीएससीडीसी	त्रिपुरा	3,438.98	3,451.20
7	एलएएसडीसी	महाराष्ट्र	1,862.34	3,354.84
8	सीटीएससीडीसी	छत्तीसगढ़	897.16	2,837.59
9	लिडकॉम	महाराष्ट्र	1,453.61	1,503.27
10	थाडको	तमिलनाडु	41.66	1,281.37
11	आरएससीडीसी	राजस्थान	2,045.29	1,162.81
12	जेएंडकेएससीएसटीडीसी	जम्मू व कश्मीर	330.26	1,160.34

क्रम सं.	एजेंसी	राज्य	अप्रयुक्त निधि (₹ लाख में)	
			2018-19	2017-18
13	डीएसएफडीसी	दिल्ली	964.69	1,068.69
14	केएसडीसी	केरल	1,119.40	758.95
15	एचपीएससीडीसी	हिमाचल प्रदेश	412.71	386.17
16	जीएससीएमबीसीडीसी	गुजरात	305.71	305.71
17	एएसडीसी	असम	304.75	304.75
18	पीएसएलडीएफसी	पंजाब	251.43	251.43
19	झारक्राफ्ट	झारखंड	250.00	250.00
20	यूबीईवीएन	उत्तराखंड	237.55	229.75
21	जेएससीडीसी	झारखंड	636.65	198.40
22	एमपीएससीएफडीसी	मध्य प्रदेश	166.23	166.23
23	यूपीएससीएफडीसी	उत्तर प्रदेश	160.82	160.82
24	एसएससीएसटीबीसीडीसी	सिकिकम	131.35	131.35
25	केएसडब्ल्यूडीसी	केरल	655.48	120.61
26	ओएसएफडीसी	ओडिशा	110.79	110.79
27	एनईडीएफ–मणिपुर	मणिपुर	100.00	100.00
28	शेष राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां/चैनलाइजिंग एजेंसियां		18,817.75	25,819.55
	कुल		**63,964.64**	**73,478.26**

टिप्पणी 42 आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर से छूट

आयकर/आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निगम की आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26)(ख) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है।

इसके अलावा सीबीडीटी ने दिनांक 29.05.2017 को परिपत्र सं. 8/2017 जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि धारा 10 खंड (26बी) में संदर्भित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्थापित निगम, निकाय, संस्था या संगठन के मामले में जिनकी आय में अप्रतिबंधित रूप से छूट प्राप्त है और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अनुसार वैधानिक रूप से आयकर विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, वहां स्रोत पर कर कटौती की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी आय भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के तहत कर से छूट प्राप्त है।

टिप्पणी 43 01.10.2008 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में ऋण माफी की एक योजना थी। इस संबंध में चार राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों नामतः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा से योजना के अंतर्गत, ऋण की छूट के लिए अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था जो 3 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित है। इस योजना के तहत अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण, दिनांक 05.10.2018 को उन सभी एससीए के दावों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु एक नोटिस जारी किया गया था।

इस योजना के तहत दावों का भुगतान वास्तविक भुगतान के आधार पर किया गया था। 31.03.2018 से प्रभावी भारतीय लेखा मानक को

अपनाने के बाद और लेखा नीति 2.2 के अनुसरण में अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में दावों के निस्तारण हेतु कोई प्रावधान नहीं है। इस दृष्टि से एनएसएफडीसी द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के कारण, इस संबंध में कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।

टिप्पणी 44 भारतीय लेखांकन मानक–17 'पट्टा' के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी ने कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टे व्यवस्था की है। पूर्वगामी व्यवस्था के तहत गैर–रद्दीकरण अवधि के दौरान न्यूनतम भविष्य पट्टा भुगतान ''शून्य'' है।

टिप्पणी 45 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत छूट

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 29.04.2011 के अपने पत्र सं. डीएनबीएस.एनडी.सं. 4175 एमआई/10-01-001/2010-11 के अंतर्गत यह प्रमाणित किया है कि एनएसएफडीसी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1क के उपबंधों और कंपनी के, ''सामुदायिक सेवाओं'' में विनियोजित एक ''लाभ–निरपेक्ष'' कंपनी के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत किए जाने के कारण कंपनी (एनएससीएफडीसी) के आधार पर अन्य विनियामक और विवेकपूर्ण मानकों से बैंक द्वारा छूट प्रदान कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड के संकल्प की एक प्रति प्रस्तुत करने की सलाह दी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कंपनी (एनएससीएफडीसी) जनता से निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी। तद्नुसार, दिनांक 30.05.2011 को हुई बोर्ड की 118वीं बैठक में संकल्प पारित किया गया है और यह संकल्प दिनांक 13.06.2011 के पत्र सं. एनएसएफडीसी/सचि/193/2010/2704 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

टिप्पणी 46 भौतिक वस्तुओं पर भारतीय लेखांकन मानक का आवेदन

भौतिकता के कारण पूर्व अवधि मदों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन केवल भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुरूप ही पूर्ववर्ती रूप से लागू होते हैं।

टिप्पणी 47 कंपनी ने लागू वित्तीय रिपोर्ट फ्रेमवर्क की आवश्यकता के अनुसार भारतीय लेखा मानक 155 (ग्राहकों से संविदा से राजस्व) अपनाया है। इसे अपनाने से कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

टिप्पणी 48 पिछले वर्ष के आंकडो को चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए और चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों से तुलना कर पाने के लिए पुनः एकीकृत किया गया है।

टिप्पणी 49 वित्तीय विवरण का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2019 को मंजूरी दे दी गई थी।

नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

परिशिष्ट–क
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदस्यगणों को,

एकल (स्टैंड–अलोन) भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ('कंपनी') के 31 मार्च, 2019 संबंधी तुलन–पत्र, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के आय–व्यय का विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित) और नकद प्रवाह का विवरण और उस समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे इसमें आगे ''भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण''' कहा गया है) शामिल हैं, के एकल (स्टैंड–अलोन) भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के भाग योग्य राय के लिए आधार में बतायी सामग्री के प्रभाव को छोड़कर उक्त एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना को दर्शाते हैं और कंपनी के वित्तीय प्रावधानों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की पुष्टि में 31 मार्च, 2019 को निगम की स्थिति, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक लाभ और कुल सविस्तार आय, अपनी इक्विटी और नकद प्रवाह विवरणिका में परिवर्तन के मामले में सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

1. शेष ऋणों और अग्रिमों की पुष्टि कुछ एजेंसियों (एससीए, पीएसबी/आरआरबी और एनबीएफसी–एमएफआई) से प्राप्त नहीं हुई है। शेष की पुष्टि के अभाव में, ऋणों के अंतःशेष राशि को लेखा बहियों के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया गया है। भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों पर इस अनिश्चितता के परिणाम के प्रभाव, यदि कोई है, का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता।

2. कंपनी ने ₹832.97 लाख (ओएसएफडीसी – ₹55.70 लाख और बीएससीडीसी – ₹777.27 लाख) के ऋण को 'अप्रतिभूत–अच्छा समझा गया' के रूप में वर्गीकृत किया है जब कि उसे 'अप्रतिभूत–संदिग्ध ऋण' के रूप में वर्गीकृत होना चाहिए, जिसके कारण ₹832.97 लाख के ऋण को अच्छा ऋण मानने से अतिकथन होता है और उसे एक संदिग्ध ऋण मानने से कमतर होता है।

3. कंपनी का ओएसएफडीसी (एससीए) को ₹55.70 लाख की राशि का ऋण संदिग्ध है, जो तुलन–पत्र की तिथि को 3 वर्ष से अधिक समय से अतिदेय है तथा जिसे सरकारी गारंटी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। कंपनी की नीति के अनुसार, 3 वर्ष से अधिक समय से अतिदेय राशि और जिसे सरकारी गारंटी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, की राशि पर एससीए को दिए गए ऋणों के लिए 100% की दर से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु एक प्रावधान की आवश्यकता

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002, फोनः 011– 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30, सामुदायिक केंद्र,
प्रीत विहार, दिल्ली – 110 092, फोन 011–43073220
ई–मेल: manish.gupta@nareshkgupta.com

है। तथापि, कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः कंपनी के लाभ को ₹55.70 लाख तथा वित्तीय आस्तियां–ऋण को ₹55.70 लाख अधिक दर्शाया गया है।

4. एससीए को दिए गए ऋण के संबंध में 31.03.2019 को, बकाया राशि (ब्याज सहित) से कम सरकारी गारंटी के 4 मामलों को नीचे दिया जा रहा है: (₹ लाख में)

एससीए का नाम	31.03.19 को बकाया राशि (ब्याज सहित)	31.03.19 को गारंटी की राशि
डीबीआरएडीसी	10,448.56	6,191.58
एलएएसडीसी	9,189.27	9,025.00
ओएसएफडीसी	1,071.45	891.83
एमएसटीसीबी	141.56	125.00

बकाया ऋणों के मामले में, सरकारी गारंटी में कमी के कारण भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के परिणाम भविष्य में प्रभावित हो सकते हैं। बकाया ऋणों की राशि को कवर करने के लिए कंपनी को पर्याप्त सरकारी गारंटी प्राप्त करनी चाहिए।

5. टिप्पणी सं. 7.1(ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रदत्त ऋण के संबंध में, कंपनी दिए गए ऋण में से निर्धारित अवधि से अधिक प्रयुक्त राशि के ऋण की धनवापसी के लिए पात्र है। तथापि कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राशि को निर्धारित नहीं किया गया है और इस राशि को ''वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण'' की टिप्पणी सं. 7 में गैर–चालू ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। धनवापसी हेतु देय राशि को चालू ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और तद्नुसार उसे प्रकट करना चाहिए। कंपनी द्वारा इस प्रकार की राशियों को किसी भी निर्धारित मात्रा की अनुपस्थिति में, गैर–चालू के रूप में दिखाया जाना जारी रखना चाहिए।

6. कंपनी, एससीए और सीए के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। हालांकि, 31 मार्च, 2019 को ₹63,964.64 लाख के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित हैं।

7. टिप्पणी सं. 19.3 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। कंपनी के पास सरकारी अनुदान के लिए ₹2850.86 लाख और टिप्पणी सं. 19 में दर्शाए 'अन्य वित्तीय देयताएं' के अनुसार अव्ययित अनुदान देयताओं के लिए अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अनुदान के लिए ₹83.03 लाख का अंत शेष है। कंपनी ने अनुदान की मान्यता के लिए पूंजीगत दृष्टिकोण का पालन किया है तथा व्ययों/निर्मुक्तियों को प्रारंभिक शेष अथवा वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों में से कम कर दिया गया है। लेखांकन अनुदान–वार आधार पर नहीं किया जाता है और बल्कि संचयी अनुदान प्राप्ति आधार पर किया जाता है। अतएव, अवधि के दौरान, प्रणालीबद्ध आधार पर लाभ अथवा हानि में किसी राशि को मान्यता नहीं दी गई, जिसमें संस्था संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानती, जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है। अतएव, कंपनी ने सरकारी अनुदानों के लेखांकन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 20 का उल्लंघन किया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत, हमारे दायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए 'लेखापरीक्षक का दायित्व' के भाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत नियमावलियों के तहत भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र कंपनी है, तथा हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित हैं।

अन्य मामले

1. कंपनी ने बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) से संदिग्ध अतिदेय धनराशियों के संबंध में ₹52.75 लाख की ब्याज आय बुक की है, जिसका ₹52.75 लाख की सीमा तक, प्रचालनों से राजस्व (आय) की अत्युक्तिपूर्ण कथन का प्रभाव पड़ा है। तथापि, इतनी ही धनराशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के सृजन के कारण कुछ सीमा तक व्यय से अधिक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

2. यह अवलोकन किया गया है कि अनेक एससीए ने भुगतानों में चूक की है, जिसके परिणामस्वरूप ₹186.88 करोड़ तक की राशि का तीन वर्ष से अधिक का अतिदेय हो गया है। हालांकि, ये ऋण राज्य सरकार की गारंटियों द्वारा सुरक्षित हैं, परंतु ये गारंटियां कभी भी भुनाई नहीं गईं हैं, जिसके परिणामस्वरूप निधियां अवरूद्ध हो गईं हैं।

3. कंपनी द्वारा सरकारी आश्वासन प्राप्त ₹3,285.48 लाख की ऋण राशि के संबंध में टिप्पणी संख्या 7.1(घ) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके लिए सरकारी आश्वासन प्राप्त कर लिया है। कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, सरकारी आश्वासन सरकारी विलेख/आदेश के अनुरूप नहीं है। जिसे मध्यस्थता के माध्यम से विवादित मामलों में लागू किया जा सकता है। प्रबंध समिति की दृष्टि में, कंपनी उन मामलों में पर्याप्त रूप से कवर की गई है जहां बकाया ऋण राशि के लिए सरकारी आश्वासन दिया जाता है।

4. एससीए गारंटी प्रकटीकरण के संबंध में टिप्पणी सं. 7.1(ग) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कंपनी ने 10.04.2001 को नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (''पूर्व संस्था'') के पास उपलब्ध सरकारी गारंटी को कंपनी और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (''एनएसटीएफडीसी'') के बीच सहमत अनुपात में विभाजित किया है। जैसा कि नोट में वर्णित है, यह विभिन्न पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया था तथा परिणामस्वरूप राज्य सरकार की गारंटी अभी भी पूर्व संस्था के नाम पर है, न कि कंपनी के नाम पर।

5. कंपनी की संवितरण नीति के अनुसार, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए ऋण के संबंध में, शिक्षा ऋण योजना के अलावा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को वर्ष के दौरान किए गए किसी भी संवितरण के लिए और शिक्षा ऋण योजनाओं के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को किए जाने वाली किसी मंजूरी के लिए, कंपनी को अदायगी योग्य अतिदेय राशि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक बकाया नहीं होनी चाहिए। तथापि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹4,165.69 लाख की मियादी ऋण राशि संवितरित की और 31.03.2018 को एक वर्ष से अधिक समय से अदायगी योग्य अतिदेय राशि वाली राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को ₹864.52 लाख की राशि को शिक्षा ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण मंजूर किया है। यह कंपनी की संवितरण नीति का उल्लंघन है। हालांकि, प्रबंध समिति द्वारा स्पष्ट किए अनुसार, उक्त संवितरण/मंजूरी की तारीख को राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से अतिदेय योग्य कोई राशि नहीं थी।

6. कंपनी, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 23ग में भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के व्यय को पहचान रही है। वर्ष के लिए भविष्य निधि अंशदान के व्यय को सभी पात्र कर्मचारियों को उस वर्ष के लिए मूल वेतन और मंहगाई भत्तों के 12 प्रतिशत की दर से प्रदान किया जा रहा है। यद्यपि, विवेकानंद विद्यामंदिर और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही का निर्णय भविष्य निधि अंशदान की दिशा में शुल्क की गणना के उद्देश्य से मूल वेतन की परिभाषा से विशेष भत्ते को हटाने के सिद्धांतों को निर्धारित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार जो भत्ता परिवर्तनशील है अथवा उत्पादन के लिए किसी प्रोत्साहन से जुड़ा है जिसके परिणामस्वरूप अधिक उत्पादन होता है या केवल वे ही भत्ते हैं जिन्हें सभी कर्मचारियों को बोर्ड में भुगतान नहीं किया जाता, उन्हें भविष्य निधि अंशदान की दिशा में शुल्क की गणना के उद्देश्य से मूल वेतन की परिभाषा से हटाने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रबंध समिति द्वारा स्पष्ट किया गया है कंपनी ने इस संबंध में किसी भी अतिरिक्त दायित्व के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया है क्योंकि

कंपनी को उक्त के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कोई निदेश/अनुदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

हमारी राय इन मामलों के संबंध में योग्य/संशोधित नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारियों के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी शामिल है लेकिन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराया जाना प्रत्याशित है। भारतीय लेखा मानक वित्त विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर आश्वासनात्मक निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व, अन्य जानकारी को पढ़ना और, ऐसा करने में विचार करें क्या वित्तीय विवरणों की अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है अथवा लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान अथवा अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि हमारे निष्पादित कार्यों के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री मिथ्या वर्णन है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व और एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नियमन (गवर्नेंस) करने वालों के दायित्व

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित लेखा मानकों और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्धांतों के साथ पठित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) की धारा 133 के तहत विनिर्धारित के अनुसार कंपनी अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य–निष्पादन, कंपनी की इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और नकद प्रवाहों सहित वित्तीय स्थितियों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल–कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सत्य व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं। भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कंपनी के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील संस्था से जुड़े मामलों के, यथा लागू, प्रकटन और संस्था का लेखांकन कार्यशील संस्था के आधार पर करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी होगा जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो। निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तदायी होंगे।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य यथेष्ठ रूप से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा इस बारे में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन

है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग–अलग अथवा समग्र रूप से इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इन लेखा मानकों सहित लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हमः

- एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम कंपनी में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण की सक्रिय प्रभावकारिता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्ठता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधतंत्र द्वारा कार्यशील संस्था के आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो कंपनी की इस क्षमता के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करें, अथवा, ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपनी राय में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। हालांकि भावी घटनाएं अथवा स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे कंपनी कार्यशील कंपनी के रूप में अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।

- प्रकटीकरण सहित एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्राप्त हो सके।

भौतिकता एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम है, जो अलग–अलग अथवा समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। हम (i) अपनी लेखापरीक्षा कार्य की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों के

मूल्यांकन में और (ii) भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में कोई भी पहचान की गई गलतबयानी विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक, भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ शासन(गवर्नेंस) के प्रभारियों के साथ अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में सूचित करते हैं।

हम शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों को उन विवरणों को उपलब्ध कराते हैं जिन्हें हमने संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता अनुकूल उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा उपाय, के बारे में संवाद करते हैं।

शासन से प्रभावित संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनिमय इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने से ऐसा करने के दुष्परिणामों की अपेक्षा की जाएगी।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') कंपनी पर लागू नहीं होता।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के जरिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यथापेक्षित, प्रबंधन से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर हम संलग्न ''अनुलग्नक क'' में विनिर्दिष्ट मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) में यथापेक्षित हम लागू होने वाली सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं विवरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे;

   (ख) हमारी राय में, कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जो कि नियमानुसार आवश्यक हैं, जहाँ तक उन बहियों की हमारी परीक्षा द्वारा सामने आया है;

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र, अन्य व्यापक आय सहित 'आय और व्यय का विवरण, नकद प्रवाह का विवरण और ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण' लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं;

   (घ) हमारी राय में, 'योग्य राय का आधार' के पैरा में मद संख्या 1 से 7 में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर उक्त एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 और संशोधित कंपनी नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

   (ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती;

(च) हमारी राय में, उपर्युक्त योग्य राय का आधार के पैरा में वर्णित मामले से कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है;

(छ) खातों के रखरखाव और इसके साथ जुड़े अन्य मामले से संबंधित योग्यता उपर्युक्त 'योग्य राय का आधार' के पैरा अनुसार है;

(ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, इस रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ख'' देखें।

(झ) अधिनियम की धारा 197(16), यथा संशोधित, की आवश्यकता अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

(ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

(i) कंपनी ने अपने भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव को प्रकट किया है।

(ii) कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि थी;

(iii) ऐसे कोई मामले नहीं हैं जहाँ कंपनी द्वारा राशि को निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना है।

कृते
नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002232एन

ह०
मनीष गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 093880
यूडीआईएनः 19093880एएएबीक्यूपी7136

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – क

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **मैसर्स नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन** के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के हमारे उत्तर निम्नांकित हैं:

1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को प्रक्रमित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखा की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन–देन के प्रक्रमण के निहितार्थ, यदि कोई है, का उल्लेख करें।	कंपनी का वित्तीय लेखांकन टैली ईआरपी सॉफ्टवेअर पर किया जाता है। तथापि, कंपनी का ऋण लेखांकन मैनुअल लेजर पर किया जाता है। जैसा कि प्रबंध समिति ने स्पष्ट किया है कि मैनुअल लेजर को टैली ईआरपी सॉफ्टवेअर के साथ सामंजस्य (मिलान) किया जाता है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है। ऋण लेखांकन का आईटी प्रणाली रहित प्रक्रमण से लेखा की प्रामाणिकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और अतएव इसका कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।
2	क्या ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के मौजूदा ऋण या माफी/बट्टे–खाते में डालने को पुनर्गठित किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के किसी मौजूदा ऋण या माफी/बट्टे–खाते में डालने को पुनर्गठित नहीं किया गया।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का समुचित हिसाब/इसके नियम और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया? व्यतिक्रम मामलों को सूचित करें।	हमारी रिपोर्ट के योग्य राय का आधार के पैरा सं. 7 में उल्लेखित मामले के प्रभाव को छोड़कर केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का समुचित हिसाब/उपयोग रखा/किया जाता है।

कृते
नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002232एन

ह०
मनीष गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 093880
यूडीआईएनः 19093880एएएबीक्यूपी7136
स्थान : दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2019

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ख''

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड(i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदस्यगणों को,

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** (''कंपनी'') के 31 मार्च, 2019 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण के दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी के प्रबंध समिति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार की है। यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की सीमा तक लागू है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू है तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जाँच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। नियुक्त की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण, जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन–देन का आवश्यकतानुसार रिकार्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का, बचाव अथवा समय अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल, अथवा निपटान संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करना कि उनका भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रेक्षपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, नीचे खंड 1 से 4 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2019 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

1. कंपनी की आंतरिक नियंत्रणों और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि एससीए को संवितरित अनुमोदित निधियों के अंतिम उपयोग का सत्यापन कर सकें। हमें प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को निधि जारी करने की एकल जिम्मेदारी एससीए की है। कंपनी को ऐसी कोई लेखापरीक्षा व्यवस्था पर विचार करना चाहिए जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियाँ पात्र लाभार्थियों को उचित ढंग से संवितरित की गई हैं। यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह एक 'लाभ निरपेक्ष कंपनी' है और विभिन्न नियमों के तहत अनेक छूटों का लाभ ले रही है।

2. कंपनी, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। तथापि, 31 मार्च, 2019 को ₹63,964.64 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं। यथाशीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

3. दिनांक 31.03.2019 को, एससीए को दिए गए ऋण के संबंध में कुल बकाया राशि की तुलना में सरकारी गारंटी की कमी के 4 मामले हैं, जिसका विवरण हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के ''योग्य राय का आधार'' के खंड 4 में पहले से ही साझा किया गया है। कंपनी को उन मामलों की निगरानी करने के लिए आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए जहां बकाया ऋण राशि की तुलना में सरकारी गारंटी में कमी आई है।

4. हमारी योग्य राय के आधार के खंड 1 और 7 में संदर्भित मामले आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में कमी के हैं। इस संबंध में कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की निगरानी और उसे सुदृढ़ करना चाहिए।

कृते
नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002232एन

ह०
मनीष गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 093880
यूडीआईएनः 19093880एएएबीक्यूपी7136

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2019

परिशिष्ट 'ख'

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण 2018–19 पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर

पैरा सं.	लेखापरीक्षा पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
1.	शेष ऋणों और अग्रिमों की पुष्टि कुछ एजेंसियों (एससीए, पीएसबी/आरआरबी और एनबीएफसी – एमएफआई) से प्राप्त नहीं हुई है। शेष की पुष्टि के अभाव में, ऋणों के अंतःशेष राशि को लेखा बहियों के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया गया है। भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों पर इस अनिश्चितता के परिणाम के प्रभाव, यदि कोई है, का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता।	ऋण और अग्रिम के शेष की पुष्टि लेने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। कुल 62 एससीए/सीए में से 57 एससीए/सीए से शेष की पुष्टि प्राप्त हुई। शेष एससीए/सीए से उनकी शेष राशि की पुष्टि के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।
2	कंपनी ने ₹832.97 लाख (ओएसएफडीसी– ₹ 55.70 लाख और बीएससीडीसी – ₹777.27 लाख) के ऋण को 'अप्रतिभूत–अच्छा समझा गया' के रूप में वर्गीकृत किया है जब कि उसे 'अप्रतिभूत–संदिग्ध ऋण' के रूप में वर्गीकृत होना चाहिए, जिसके कारण ₹832.97 लाख के ऋण को अच्छा ऋण मानने से अतिकथन होता है और उसे एक संदिग्ध ऋण मानने से कमतर होता है।	**I. ओएसएफडीसी –₹55.70 लाख** यह राशि ओएसएफडीसी को ऋण के ब्याज वाले हिस्से की है। एससीए द्वारा जारी गारंटी विलेख में उल्लेख किया गया है कि मूलधन और भविष्य में लगाए गए सभी ब्याज गारंटी द्वारा कवर किए गए हैं। ओएसएफडीसी ने ₹2025.00 लाख का सरकारी गारंटी विलेख और ₹11050.00 लाख का सरकारी आदेश मिलाकर कुल ₹13075.00 लाख की गारंटी प्रदान की है जिसके विरूद्ध कुल बकाया ऋण ₹8791.01 लाख है। तद्नुसार, ओएसएफडीसी को कंपनी द्वारा 'अप्रतिभूत–अच्छा समझा गया' के तहत सही तरीके से पुनः वर्गीकृत किया गया है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ओएसएफडीसी ने दिनांक 02.11.2019 को एनएसएफडीसी को ₹10.91 करोड़ की अतिदेय (मूलधन और ब्याज) की पूरी राशि चुका दी है। **II. बीएससीडीसी –₹777.27 लाख** बीएससीडीसी के मामले में, संदिग्ध ऋण के लिए बीएससीडीसी को ऋण की बकाया राशि के बराबर 100% भत्ता प्रदान किया गया है। तद्नुसार, उसे

		टिप्पणी सं. 6 पर 'अप्रतिभूत–अच्छा समझा गया' ऋण से घटाया गया है। इसके अलावा, एससीए ने देयताओं पर विवाद नहीं किया है और उस राशि की 'शेष पुष्टि' में पुष्टि की है। यह चुकौती उनके चुकौती के इरादे और आश्वासन पत्र का सम्मान का संकेत देते हैं। जैसा कि पहले से ही वित्तीय विवरणों में संदिग्ध के रूप में दर्शाया गया है, कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है और यह केवल प्रस्तुति का विषय है।
3	कंपनी का ओएसएफडीसी (एससीए) को ₹55.70 लाख की राशि का ऋण संदिग्ध है, जो तुलन–पत्र की तिथि को 3 वर्ष से अधिक समय से अतिदेय है तथा जिसे सरकारी गारंटी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। कंपनी की नीति के अनुसार, 3 वर्ष से अधिक समय से अतिदेय राशि और जिसे सरकारी गारंटी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, की राशि पर एससीए को दिए गए ऋणों के लिए 100% की दर से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु एक प्रावधान की आवश्यकता है। तथापि, कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः कंपनी के लाभ को ₹55.70 लाख तथा वित्तीय आस्तियां–ऋण को ₹55.70 लाख अधिक दर्शाया गया है।	एनएसएफडीसी की नीति के अनुसार, एनएसएफडीसी उपलब्ध सरकारी गारंटी/सरकारी आदेश/आश्वासन के बदले एससीए को ऋण संवितरण करता है। ओएसएफडीसी द्वारा 11.02.1993 को जारी विलेख के पैरा (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि: ''करार में उल्लिखित परियोजना(यों) / योजना (ओं) हेतु अनुविनि द्वारा मंजूर प्रत्येक ऋण के देयों की चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा एनएसएफडीसी को चुकौती के लिए इसमें ऊपर उल्लिखित ₹4,00,00,000.00 (रुपए चार करोड़ केवल) की समग्र सीमा में पूर्णतः बिना शर्त तथा अप्रतिसंहरणीय गारंटी देता है और एनएसएफडीसी को चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा उस ऋण की देय अदायगी या उसकी किस्त (किस्तें), जो उस ऋण के संबंध में उस दशा में देय या संदेय होंगी, की गारंटी देता है तथा चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा ऋण अथवा उसके किसी अंश अथवा अंशों तथा/अथवा किसी देय ब्याज/सेवा प्रभार की अदायगी, तथा एनएसएफडीसी को चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा भुगतानी एवं शेष देय और अप्रदत्त जो देय होगी की चुकौती न कर पाने की दशा में प्रत्याभूतिदाता एनएसएफडीसी की मांग पर उसे चुकाएगा।'' और पैरा (3) कि ''चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य अनुबंधित दर पर ब्याज/सेवा प्रभारों तथा लागत प्रभारों एवं अन्य धनराशियों सहित उक्त ऋण करार के अंतर्गत समय–समय पर दिए गए तथा सहमत हुई अग्रिम राशि की सीमा तक चैनलाइजिंग एजेंसी को एनएसएफडीसी द्वारा दी गई अग्रिम राशि अथवा दिए जाने वाले अग्रिम पर दी गई गारंटी सतत् गारंटी होगी तथा मूलधन अथवा ब्याज के रूप में उक्त

ऋण करार के अंतर्गत या उनमें से तत्समय देय कोई राशि अथवा कोई धनराशियां किसी भी समय अथवा समयों पर किसी अदायगी या शोधन द्वारा इस गारंटी की संतुष्टि के लिए विचार नहीं किया जाएगा किंतु वह उसके बाद उक्त ऋण करार के अंतर्गत किसी भी समय देय सभी भावी राशियों को शामिल करेगी तथा उनकी प्रतिभूति के लिए होगी। तथा यह गारंटी प्रत्याभूतिदाता द्वारा एनएसएफडीसी की संतुष्टि तक किसी आंशिक अदायगी अथवा अदायगियों पर विचार किए बिना इस ऋण के अंतर्गत एनएसएफडीसी को सभी देयों का पूर्ण अथवा अन्यथा पूर्णतः भुगतान किए जाने तक जारी रहेगी।''

उपरोक्त के मद्देनजर यह उचित है कि गारंटी विलेख में गारंटीदाता ने मूलधन और उस पर सभी ब्याजों को शामिल किया है। एनएसएफडीसी द्वारा ली गई ब्लॉक सरकारी गारंटी का विलेख केवल स्वीकृत ऋण की मूल राशि के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है।

अतएव, गारंटी की कमी में ब्याज के कारण अतिदेय को शामिल नहीं किया गया।

तद्नुसार, ओडिशा एससीए के मामले में सरकारी गारंटी में कोई कमी नहीं है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ओएसएफडीसी ने एनएसएफडीसी को दिनांक 07.11.2019 को अपने अतिदेयों (मूलधन और ब्याज) की पूरी राशि ₹10.90 करोड़ चुका दी है।

4 एससीए को दिए गए ऋण के संबंध में 31.03.2019 को, बकाया राशि (ब्याज सहित) से कम सरकारी गारंटी के 4 मामलों को नीचे दिया जा रहा है:

(₹ लाख में)

एससीए का नाम	31.03.19 को बकाया राशि (ब्याज सहित)	31.03.19 को गारंटी की राशि
डीबीआरएडीसी	10,448.56	6,191.58
एलएएसडीसी	9,189.27	9,025.00
ओएसएफडीसी	1,071.45	891.83
एमएसटीसीबी	141.56	125.00

लेखापरीक्षा के अवलोकन में गलत बयान है। तीन मामलों में दिनांक 31.03.2019 को उपलब्ध सरकारी गारंटी की तुलना में ऋण की बकाया राशि निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

एससीए का नाम	31.03.19 को बकाया राशि	लेखा–परीक्षा के अनुसार गारंटी	एनएसएफडीसी रिकॉर्ड अनुसार वास्तविक गारंटी/आदेश के आंकड़े	अभियुक्ति
डीबीआरएडीसी	10,248.61	6,191.58	38427.58	पर्याप्त कवर
एलएएसडीसी	8,239.17	9,025.00	9,025.00	पर्याप्त कवर
ओएसएफडीसी	761.88	891.83	891.83	पर्याप्त कवर
एमएसटीसीबी	123.35	125.00	125.00	पर्याप्त कवर

	बकाया ऋणों के मामले में, सरकारी गारंटी में कमी के कारण भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के परिणाम भविष्य में प्रभावित हो सकते हैं। बकाया ऋणों की राशि को कवर करने के लिए कंपनी को पर्याप्त सरकारी गारंटी प्राप्त करनी चाहिए।	कुछ सरकारी आदेशों के कारण अंतर है जिस पर लेखापरीक्षा में ध्यान नहीं दिया गया। चूंकि ये सरकारी आदेश संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, ये सरकारी गारंटी के बाध्यकारी और मान्य रूप हैं। चूंकि पर्याप्त सरकारी गारंटी उपलब्ध है, अतः एससीए के लिए ऋण नीति के अनुसार सरकारी गारंटी में कोई कमी नहीं है। इसके अलावा, डीबीआरएडीसी, एलएएसडीसी, ओएसएफडीसी और एमएसटीसीबी ने विधिवत् हस्ताक्षरित और मुहर लगा हुआ शेष पुष्टि का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया है। यह चुकौती के लिए उनके इरादे और गारंटी / आदेश / आश्वासन के प्रति सम्मान का संकेत है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि ओएसएफडीसी ने एनएसएफडीसी को 02.11.2019 को अपने अतिदेयों की पूरी राशि ₹10.90 करोड़ चुका दी है। डीबीआरएडीसी ने भी 17.10.2019 को अपने अतिदेय ₹104.40 करोड़ की पूरी राशि चुका दी है। ओएसएफडीसी और डीबीआरएडीसी का यह पुनर्भुगतान सरकारी गारंटी / ओदश की वैद्यता दर्शाता है।
5	टिप्पणी सं. 7.1(ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रदत्त ऋण के संबंध में, कंपनी दिए गए ऋण में से निर्धारित अवधि से अधिक प्रयुक्त राशि के ऋण की धनवापसी के लिए पात्र है। तथापि कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राशि को निर्धारित नहीं किया गया है और इस राशि को ''वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण'' की टिप्पणी सं. 7 में गैर–चालू ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। धनवापसी हेतु देय राशि को चालू ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और तद्नुसार उसे प्रकट करना चाहिए। कंपनी द्वारा इस प्रकार की राशियों को किसी भी निर्धारित मात्रा की अनुपस्थिति में, गैर–चालू के रूप में दिखाया जाना जारी रखना चाहिए।	एससीए के लिए एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, अप्रयुक्त राशि के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं: (i) यदि किसी निर्धारित अवधि के अंदर निधियों का उपयोग नहीं किया जाता तो दंडस्वरूप ब्याज वसूला जाता है। (ii) एससीए के पास रखी अप्रयुक्त राशि को एनएसएफडीसी द्वारा वापस ली जा **सकती** है। (iii) एनएसएफडीसी आगे संवितरण रोक **सकता** है। एनएसएफडीसी की ऋण योजनाओं का उद्देश्य रियायती ब्याज दर पर ₹3,00,000/- वार्षिक पारिवारिक आय सीमा से कम आय वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को ऋण उपलब्ध कराना है। उक्त वर्णित प्रावधानों से स्पष्ट है कि संविधि का उद्देश्य राज्य के वित्तीय संस्थानों को सहायता प्रदान करना है और यही कारण है कि 'सकता' शब्द का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त प्रावधान के आलोक में, अप्रयुक्त राशि का डाटा एकत्रित करना केवल प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का मामला है। जब कुछ राशि का न तो हिसाब लगाया जाना है, न

		ही पता लगाया जाना है, तो वह लेखापरीक्षा के लिए योग्य नहीं हो सकती है। इस संबंध में टिप्पणी सं.7.1(बी) स्वतः स्पष्ट है, और यह पहले ही खुलासा किया गया है कि ऐसी किसी राशि का परिणाम अनिश्चित है। सामान्यतः एससीए/सीए समय से निधियों का उपयोग करते हैं, हालांकि, एससीए/सीए कभी अपने नियंत्रण से प्रतिकूल कारणों से निधियों का उपयोग करने में अधिक समय लेते हैं। इसके अलावा, उपयोग प्रमाण–पत्र जिला स्तर से राज्य स्तरीय कार्यालय को तथा उसके बाद एनएसएफडीसी को भेजे जाते हैं। इस प्रकार की कार्यप्रणाली के कारण, एससीए/सीए उपयोग प्रमाणपत्र को समय से सूचित नहीं कर पाते हैं, चाहें उन्होंने ऋण राशि का उपयोग ही क्यों न कर लिया हो। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त टिप्पणी को ऋण की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के लेखापरीक्षा के आग्रह पर जोड़ा गया है। उपरोक्त को ध्यान मे रखते हुए प्रस्तुति सही है।
6	कंपनी, एससीए और सीए के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। हालांकि, 31 मार्च, 2019 को ₹63,964.64 लाख के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित हैं।	एससीए को संवितरण की तारीख से 120 दिनों के अंदर संवितरित निधि का उपयोग करना होता है। एनएसएफडीसी समय–समय पर उपयोगिता प्राप्त करने के लिए एससीए के साथ उपयोगिता अभियान चलाता है और उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त करता है। एनएसएफडीसी की नीति के अनुसार पूर्ववर्ती माह के अंत में न्यूनतम 80% का उपयोग स्तर एससीए को नया संवितरण देने के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। एससीए को निधियों की निर्मुक्ति के समय इस शर्त को कड़ाई से सुनिश्चित किया जाता है। व्यावहारिक रूप से देखा गया है कि कुछ मामलों में एससीए के साथ लाभार्थियों द्वारा दस्तावेजीकरण को पूरा करने में देरी करने के कारण उपयोगिता में देरी हो जाती है। इसके अलावा चैनल वित्त प्रणाली में निधियों की 15-20% की उपयोगिता हमेशा प्रक्रम में रहती है और इसलिए इस सीमा तक एससीए को अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, एनएसएफडीसी के रिकार्ड में अनुपयोगी रूप में दिखाई जा रही निधि का यह मतलब नहीं कि उनका वास्तव में क्षेत्र (फील्ड) स्तर पर उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसी संभावना है कि निधियां वास्तव में जिलों में प्रयुक्त की जाती हैं लेकिन उन्हें प्रधान कार्यालय से एससीए की क्षेत्रीय इकाई द्वारा उपयोगिता रिपोर्टों की प्रस्तुति में देरी और एससीए के

		प्रधान कार्यालय में उसके संकलन में और एनएसएफडीसी को भेजने में लंबितता के कारण एनएसएफडीसी के रिकॉर्डों में प्रयुक्त दिखाया जाता है। चूंकि लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आंकड़े सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) का मामला है और लेखा बहियों में कोई निरूपण (treatment) नहीं किए जाने के कारण यह लेखापरीक्षा के अवलोकन का मामला है और इसे योग्य राय के तहत शामिल किया जाना चाहिए।
7	टिप्पणी सं. 19.3 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। कंपनी के पास सरकारी अनुदान के लिए ₹2850.86 लाख और टिप्पणी सं. 19 में दर्शाए 'अन्य वित्तीय देयताएं' के अनुसार अव्ययित अनुदान देयताओं के लिए अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अनुदान के लिए ₹83.03 लाख का अंतःशेष है। कंपनी ने अनुदान की मान्यता के लिए पूंजीगत दृष्टिकोण का पालन किया है तथा व्ययों/निर्मुक्तियों को प्रारंभिक शेष अथवा वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों में से कम कर दिया गया है। लेखांकन अनुदान–वार आधार पर नहीं किया जाता है और बल्कि संचयी अनुदान प्राप्ति आधार पर किया जाता है। अतएव, अवधि के दौरान, प्रणालीबद्ध आधार पर लाभ अथवा हानि में किसी राशि को मान्यता नहीं दी गई, जिसमें संस्था संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानती, जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है। अतएव, कंपनी ने सरकारी अनुदानों के लेखांकन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 20 का उल्लंघन किया है।	कंपनी के नियंत्रण से परे कारणों के लिए संचयी अनुदान रसीद के आधार पर कंपनी के पास सरकारी अनुदान हैं। मंजूरी पत्र को छोड़कर, किसी विशेष वित्तीय वर्ष से संबंधित प्राप्य अनुदान राशि का पता लगाने के लिए कोई अन्य लिखित पत्र प्राप्त नहीं होता है। मंत्रालय, एनएसएफडीसी को कौशल प्रशिक्षण के लिए वर्ष विशेष में एक से अधिक किश्तों में अनुदान मंजूर करता है, जो आमतौर पर संबंधित वित्तीय वर्ष में और बाद के वित्तीय वर्षों (प्राप्त होने तक मात्रा अनिश्चित रहती है) में संघटित होता है। अतः मंत्रालय से अनुदान की वास्तविक प्राप्ति/मंजूरी के अभाव में, संबंधित वित्तीय वर्ष में अनुदान वार विशिष्ट राशि को लेखा बही में दर्ज करना संभव नहीं है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को भारत सरकार के सामान्य नार्म अर्थात, तीन किश्तों में, के अनुसार निधियों को निर्मुक्त करना होता है। पहली किश्त कार्यक्रम की शुरूआत के बाद ही निर्मुक्त की जाती है। दूसरी और तीसरी किश्त कार्यक्रम के पूर्ण होने और समय के साथ नियोजन विवरण की प्रस्तुति, पर निर्मुक्त की जाती है, जिसकी प्रमात्रा वर्ष विशेष के अंत में अनिश्चित है। अतएव विशिष्ठ वित्तीय वर्ष संबंधी भुगतान आगामी या उसके बाद के वित्तीय वर्षों में ही समाप्त होता है। विभिन्न तथ्यों की जांच के बाद, प्रबंध समिति की राय है कि प्राप्ति योग्य राशि अनिश्चित है तथा विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाता को अदा की जाने वाली राशि का भी पता नहीं चल सकता (क्योंकि विभिन्न तथ्यों और किए गए वास्तविक दावों पर आधारित है)। अतएव, प्रबंध समिति का विचार है कि व्यावहारिक और विवेक अनुसार एनएसएफडीसी को संचयी प्राप्ति के आधार पर अनुदान को बही खाते में दर्ज करने की वर्तमान प्रणाली को चलाए रख सकता है। तथापि भिन्न–भिन्न विशिष्ठ मामलों में अनुमोदन के आधार पर अन्य पीएसयू से सीएसआर अनुदान प्राप्त होता है।

परिशिष्ट 'ग'
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.2 देखें)

सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली
Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-Officio Member Audit Board-IV, New Delhi

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

स. 770-PDCA/MAB-IV/Company/A/cs/NSCFDC/2019-20/ 5399
दिनांक :- **05** .11.2019

सेवा में,

The Chairman-cum- Managing Director,
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation,
14th floor, Scope Minar, Core-1 and 2, Laxmi Nagar District Centre,
Laxmi Nagar,
Delhi-110092

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत National Scheduled Castes Finance and Development Corporation के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation** के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर **Nil Comment** प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्न :यथोपरि

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - IV

आठवाँ व नवाँ तल, सी०ए०जी० संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष / Phone : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420 फैक्स / Fax : 91-11-23239416
E-mail : mabnewdelhi4@cag.gov.in

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वित्तीय विवरिणकों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** की वित्तीय विवरणिकाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विहित लेखा परीक्षणों के मानक के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा–143 के तहत वित्तीय विवरणिका पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी **26 अगस्त, 2019** के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इसे पूर्ण किया हुआ, माना जाना चाहिए।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिकाओं पर अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र ढंग से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजात को देखे बगैर किया गया हैं तथा यह प्राथमिकतः वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चयनित लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसा कुछ विशेष नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी उठे।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
तथा उनकी ओर से

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड – IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.11.2019

पंजीकृत कार्यालय और संपर्क केंद्र

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली – 110 092
फोनः 011 – 22054394, 22054396 फैक्सः 011 – 22054395
ई–मेलः support-nsfdc@nic.in वेबसाइटः www.nsfdc.nic.in

संपर्क केंद्र

1.	**डॉ. वी. आर. सालकुटे** मुख्य प्रबंधक एनएसएफडीसी संपर्क केंद्र 5वीं मंजिल, विश्वेश्वरैया मेन टॉवर, डॉ. बी. आर. अंबेडकर वीधी, बेंगलूरू–560001 (फोन व फैक्स) 080–22865561 मोबाईल : 09845871561
2.	**डॉ. वी. आर. सालकुटे** मुख्य प्रबंधक (प्रभारी) एनएसएफडीसी संपर्क केंद्र ओशीवारा महाडा कॉम्प्लैक्स, बिल्डिंग नं.5, फ्लैट नं. 004, आदर्श नगर, न्यू लिंक रोड, आजाद नगर डाकघर, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई–400 053 फोन : 022–26361624 मोबाईल : 09845871561
3.	**डॉ के.सी महतो** उप महा प्रबंधक (प्रभारी) एनएसएफडीसी संपर्क केंद्र नया बाजार, फेज– I, 5वीं मंजिल, 15–एन नेल्ली सेनगुप्ता सारणी, कोलकाता–700 087 फोनः 033–22521395 मोबाईल : 09810448741